खण्ड–490, अंक–2
शुक्रवार, 13 आषाढ़, शक संवत् 1936
(04 जुलाई, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 490 में 3 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रधान मंत्री द्वारा वैष्णों देवी के लिये चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण	7
प्रश्नोत्तर	7-41
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	41-42
जनपद लखनऊ के ग्राम भपटामऊ निवासी को विधवा महिला की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	42
जनपद शाहजहांपुर के विसरात घाट को रेती रोड से जोड़ने हेतु छोटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
जनपद बिजनौर के सेवानिवृत्त चेचक निरीक्षक के पेंशन आदि देयों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	43-44
जनपद बलिया के अन्तर्गत फेफना विधान सभा क्षेत्र में नयी तहसील चितवाड़ा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	44
जनपद ललितपुर के महरौनी के नारहट रोड की मरम्मत/लेपन स्तर का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	44-45
जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत बहरैचा हनुमान मन्दिर के सामने लपरी नदी में पुल का निर्माण किये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद बहराइच में स्थित नवाबगंज अन्तर्गत रूपईडीहा रेलवे स्टेशन से एन0एच0 28 सी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर के मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के मध्य किये गये कार्यों व किये गये भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46
विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, कासगंज में नवस्थापित पानी की टंकियों से पेयजल आपूर्ति न शुरू होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	46-47

विषय	पृष्ठ-संख्या

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में गुलड़िया गौरी शंकर विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 47

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 47

वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 47-48

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी की कतिपय कालोनियों के मध्य पक्के नाले एवं सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना 48

चित्रकूटधाम मण्डल के कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान द्वारा भ्रष्ट कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... 48-49

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें 49

सदन में प्रस्तुत कुम्भ मेले एवं स्मारकों से सम्बन्धित महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा कराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रयास ... 49

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के विकास खण्ड दुदही में कतिपय पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र यादव आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका .... (उपस्थित की गई) 50

जनपद जालौन के विकास खण्ड नदीगाँव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबली में मृर्गा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहर सिंह कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... 50

जनपद आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेरिया मोड़ नरीपुरा धनौली से पानी निकासी हेतु मलपुरा तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रमेश चन्द्र सागर आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 50

जनपद आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामों तक कृषि योग्य जमीन के कटान रोकने हेतु तटबन्ध (ठोकर) एवं चेकडैम का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चरन सिंह वर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ... 50

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव .... (स्वीकृत)	51-52
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	52
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 के विचार एवं पारण संबंधी मद संख्या-21 को पहले लिये जाने का अनुरोध .... (पुरःस्थापित)	52-54
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 (पारित)...	54-58
जनपद देवरिया के गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के हाटा से गौरीबाजार-रूद्रपुर-कपरवार घाट होते हुये बड़हलगंज राष्ट्रीय राजमार्ग तक, 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रूद्रपुर- करहकोल होते हुये कौड़ीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुये-सलेमपुर होते हुये भागलपुर होते हुये बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को, राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुये इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन	58
वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी ''दादा'' द्वारा 21 फरवरी, 2014 संकल्प (संकल्प वापस लिया गया)	59-65
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषदों को भी शामिल करने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) द्वारा दिनांक 21-2-2014 को प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत)...	65
जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेण्टर यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 21-2-2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन... ...	65
कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प (संकल्प वापस लिया गया) ...	65-70

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनहित में आगरा में एन0एच0 से एन0एच0-2 कुबेरपुर ताज एक्सप्रेस-वे तक उत्तरी बाईपास का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरजपाल सिंह द्वारा दिनांक 19 जून, 2014 को प्रस्तुत संकल्प (व्यपगत) ...	70
आगरा जनपद के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दिनांक 19 जून, 2014 को प्रस्तुत संकल्प (संकल्प वापस लिया गया)	70-76
जनपद देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 19 जून, 2014 को प्रस्तुत संकल्प का स्थगन	76
बुन्देलखण्ड में स्थापित थर्मल पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत से बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड में एक पृथक ग्रिड की स्थापना किये जाने विषयक दिनांक 19 जून, 2014 को श्री कृष्णपाल द्वारा प्रस्तुत संकल्प (संकल्प वापस लिया गया)	76-82
नियम-301 की भांति नियम-51 में भी अनुपस्थित सदस्यों के स्थान पर उपस्थित सदस्यों की अस्वीकृत सूचनायें लिये जाने का अनुरोध	82-84
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	84-85
जनपद सहारनपुर में चाटका से सरगथल के बीच पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	85
बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैंकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलजीत सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	85
जनपद चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर विकास खण्ड नियमताबाद में चकियां मेन रोड से पंचायत भवन अमोघपुर तक पिच रोड तक पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य	86
जनपद इलाहाबाद के जमुनापार के तहसील-करछना में किसानों की जमीन बरौनी-कानपुर के प्रयाग द्वारा जमीन अर्जन का समुचित मुआवजा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	86-87

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	88
जनपद गोरखपुर के ग्राम झगहां में चकबन्दी में बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, राजस्व मंत्री का स्थगन	88-89
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के अन्तर्गत लालपुर बाजार के पास टेढ़ी नदी पर पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	89
सिंचाई खण्ड कासगंज के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के धन की अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	89
जनपद हाथरस के अलीगढ़ आगरा रोड पर तालाब चौराहे स्थित रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	89-90
जनपद हापुड़ में कन्या विद्याधन से सम्बन्धित प्राप्त चेकों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	90
जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बावन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	90-91
जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के कतिपय ग्रामों एवं कस्बों में विद्युत की सुचारु रूप से व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	91-92
वक्तव्य के समय अनुपस्थित सदस्यों की आगे सूचना न लिये जाने का अनुरोध ...	92
नत्थी	93-95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

शुक्रवार दिनांक 04 जुलाई, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-271

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
9. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
10. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
11. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
12. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
13. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
14. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
15. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
16. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
17. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
18. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
19. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
20. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
21. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
22. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
23. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
24. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
25. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
26. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
27. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
28. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
29. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
30. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
31. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
32. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
33. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
34. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
35. आशीष यादव, श्री — बदायूं
36. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
37. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
38. इकबाल, श्री — बिजनौर
39. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
40. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
41. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
42. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती
43. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
44. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री — लखीमपुर खीरी
45. उदयराज, श्री — उन्नाव
46. उदय लाल मौर्या, श्री — वाराणसी
47. उपेन्द्र तिवारी, श्री — बलिया
48. उमाकान्ती, श्रीमती — जालौन
49. उमाशंकर, श्री — बलिया
50. उमेश पाण्डेय, श्री — मऊ

51. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
52. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
53. काली चरन सुमन, श्री आगरा
54. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
55. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
56. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
57. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
58. कैलाश, श्री गाजीपुर
59. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
60. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
61. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
62. गजराज सिंह, श्री हापुड़
63. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
64. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
65. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
66. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
67. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
68. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
69. गोमती यादव, श्री लखनऊ
70. गोरख पासवान, श्री बलिया
71. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
72. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
73. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
74. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
75. जगपाल, श्री सहारनपुर
76. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
77. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
78. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
79. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
80. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
81. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
82. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
83. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
84. तसलीम, श्री बिजनौर
85. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
86. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
87. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
88. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
89. दलजीत सिंह, श्री बांदा
90. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
91. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
92. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
93. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
94. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
95. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
96. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
97. धर्मराज, श्री बाराबंकी
98. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
99. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
100. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
101. नारद राय, श्री बलिया
102. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
103. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
104. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
105. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
106. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
107. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
108. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
109. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
110. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
111. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
112. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
113. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर

114. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
115. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
116. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
117. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
118. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
119. ''फसीहा मंजर'' ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
120. फेरन लाल, श्री ललितपुर
121. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
122. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
123. बदलू खां, श्री उन्नाव
124. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
125. बाबू खां, श्री हरदोई
126. बाबूलाल, श्री गोण्डा
127. बावन सिंह, श्री गोण्डा
128. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
129. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
130. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
131. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
132. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
133. बैजनाथ, श्री मऊ
134. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
135. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
136. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
137. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
138. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
139. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
140. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
141. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
142. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
143. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
144. महबूब अली, श्री अमरोहा
145. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
146. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
147. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
148. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
149. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
150. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
151. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
152. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
153. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
154. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
155. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
156. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
157. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
158. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
159. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
160. यासर शाह, श्री बहराइच
161. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
162. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
163. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
164. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
165. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
166. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
167. रणजीत सुमन, श्री एटा
168. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
169. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
170. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
171. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
172. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
173. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
174. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
175. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़

176. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
177. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
178. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
179. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
180. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
181. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
182. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
183. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
184. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
185. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
186. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
187. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
188. राधे श्याम, श्री अमेठी
189. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
190. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
191. राम करन आर्य, श्री बस्ती
192. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
193. राम गोविन्द, श्री बलिया
194. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
195. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
196. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
197. राम मगन, श्री बाराबंकी
198. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
199. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
200. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
201. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
202. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
203. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
204. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
205. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
206. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
207. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
208. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
209. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
210. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
211. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
212. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
213. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
214. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
215. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
216. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
217. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
218. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
219. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
220. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
221. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
222. वीरपाल राठी, श्री बागपत
223. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
224. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
225. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
226. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
227. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
228. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
229. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
230. शाकिर अली, श्री देवरिया
231. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
232. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
233. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
234. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
235. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
236. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
237. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
238. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
239. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़

240.	श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
241.	संग्राम यादव, डा0	आजमगढ़
242.	संजय कपूर, श्री	रामपुर
243.	संजय प्रताप जयसवाल, श्री	बस्ती
244.	सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
245.	सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री	कानपुर नगर
246.	सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
247.	सत्यदेव पचौरी, श्री	कानपुर नगर
248.	सत्यवीर मुन्ना, श्री	इलाहाबाद
249.	सन्त प्रसाद, श्री	गोरखपुर
250.	सन्तराम कुशवाहा, श्री	जालौन
251.	सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री	बदायूं
252.	सियाराम सागर, डा0	बरेली
253.	सीमा, श्रीमती	जौनपुर
254.	सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर
255.	सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
256.	सुदामा प्रसाद, श्री	महराजगंज
257.	सुदेश शर्मा, श्री	गाजियाबाद
258.	सुधाकर, श्री	मऊ
259.	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
260.	सुनील कुमार लाला, श्री	लखीमपुर खीरी
261.	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
262.	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
263.	सुरेश राणा, श्री	शामली
264.	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
265.	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
266.	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
267.	सोबरन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
268.	स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	कुशीनगर
269.	हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री	लखीमपुर खीरी
270.	हरिओउम् यादव, श्री	फिरोजाबाद
271.	हेमराज वर्मा, श्री	पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रधान मंत्री द्वारा वैष्णो देवी के लिये चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रस्ताव है कि आज जो मां वैष्णो देवी के लिए ट्रेन चलनी है जिसका आज उद्घाटन होना है। मान्यवर, यह रेल कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार, यू0पी0ए0 सरकार के प्रयासों से चल पाई है, इसलिए मैं यहां पर प्रस्ताव करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रस्ताव आप नहीं कर सकते हैं। यह प्रस्ताव जब नेता सदन और नेता विरोधी दल की ओर से आयेगा तभी प्रस्ताव आ सकता है। आप लोग बैठिये, आप लोग कोई नियम जानते नहीं है, बेकार बात मत कीजिए।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, [* * *]

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग माना जायेगा। कृपया आप लोग बैठ जाइये।

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत गत वर्षों में लक्ष्य पूर्ण करने हेतु कारगर योजना सम्बन्धी जानकारी

श्री अखिलेश प्रताप सिंह तथा श्री मनीष असीजा-

*01-क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्मल भारत अभियान के तहत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 का लक्ष्य पूरा हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त लक्ष्य को शतप्रतिशत पूर्ण किये जाने हेतु कोई कारगर योजना बतायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री कैलाश)-

जी नहीं।

जी हां। शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मासिक माइलस्टोन (लक्ष्य) निर्धारित कर दिये गये हैं। निर्धारित लक्ष्य की उपलब्धि हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 के स्तर पर गहन अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट-[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, यह मेरा प्रश्न अल्पसूचित में लगा था और तारांकित में स्थानान्तरित किया गया था। आज उत्तर पढ़ने के बाद यह समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों किया गया था क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करके गहन अनुश्रवण किये जाने के लिए कमेटी बनाने का आदेश हुआ है। निश्चित रूप से यह आदेश हमारे प्रश्न लगाने के बाद ही किया गया होगा। हम दो-तीन सवाल करेंगे लेकिन एक बार में एक करेंगे। हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहेंगे क्योंकि यह विषय ऐसा है कि जो बलात्कार और दुराचार की घटनाएं समाज में हो रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि घरों में शौचालय का न होना। यह बहुत गम्भीर विषय है हम मा0 मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि 2012-13 और 2013-14 में प्रदेश में कितना लक्ष्य था शौचालय बनाने का और कितना बना और प्रदेश के कितने प्रतिशत घरों में अभी भी शौचालय नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी के पास कहां इसकी सूचना होगी, प्रदेश में एक लाख तो गांव हैं और उसमें घर जोड़ें तो कितने होंगे। मा0 मंत्री जी जो सूचना आपके पास हो वही बता दें।

श्री कैलाश-

मा0 अध्यक्ष जी, इसमें जो विलम्ब हुआ है वह मनरेगा के कारण हुआ है, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है, शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसकी हम लोग शत-प्रतिशत पूर्ति करेंगे। क्योंकि भारत सरकार का जो मनरेगा का पैसा है इसी के कारण दिक्कत पैदा हो रही है और मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रिक्वेस्ट करके पत्र लिखा गया है और लिखा जा रहा है कि यदि मनरेगा उसमें से निकल जायेगा तो हम जल्दी से जल्दी लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। जब इसका नाम बदला गया, पहले यह निर्मल स्वच्छता अभियान के नाम से था उस समय इसके लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरे हो जाते थे लेकिन उसके बाद इसमें कमी आई लेकिन उसका कारण मनरेगा रहा है जिसका पैसा समय से नहीं मिलता है जबकि उत्तर प्रदेश का पैसा समय से मिल गया है। यह दिक्कतें आई जिसके कारण इसका अभी लक्ष्य नहीं पूरा हुआ है इसके लिए व्यवस्था की जा रही है और लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करने की तैयारी है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, एक मिनट, मेरा अभी एक भी जवाब नहीं आया अभी तीन जवाब लेने है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि कितना लक्ष्य था कारण जो भी रहे हों हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। हम जानना चाहते है कि कितना लक्ष्य था दोनों वर्षो में और कितना पूरा हुआ उसकी संख्या बता दें और प्रदेश के कितने प्रतिशत घरों में अभी ये शौचालय नहीं है। यह हमारा पहला प्रश्न है इसके बाद एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष-

लक्ष्य कितना रखा गया था, इस वित्तीय वर्ष में और कितना प्रतिशत पूरा हुआ है, यदि सूचना हो तो बता दें।

श्री कैलाश-

मान्यवर, 2012-2013 में निर्धारित लक्ष्य 7,47,932 शौचालयों का था, उसके सापेक्ष 6,19,241 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपके प्रश्न का उत्तर आ गया, अब बैठिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

नहीं मान्यवर, अभी एक वर्ष का बताया है, 2013-2014 का नहीं बताया।

श्री कैलाश-

मान्यवर, 2013-2014 में निर्धारित लक्ष्य 8,90,881 का था इसमें 3,74,958 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

श्री अध्यक्ष-

अभी 2014 पूरा नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है, बैठिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

मंत्री जी, आपने प्रतिशत नहीं बताया, कितना प्रतिशत बाकी है यह बता दें ?

श्री कैलाश-

मान्यवर, जो हमारा लक्ष्य है उसके सापेक्ष 42.9 प्रतिशत पूरा हुआ है बाकी भी पूर्ण कर लिया जायेगा।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने सूचना दी है उसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा का जो पैसा नहीं मिल पा रहा है उसके कारण से इस योजना में परेशानी हो रही है जहां तक मुझे जानकारी है कि पूर्व की सरकार में मा0 मुलायम सिंह जी जब मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो ग्रामीण स्वच्छता के प्रति उन्होंने विशेष रुचि लेकर राज्य सरकार से विशेष अनुदान देने का काम किया था किसी कारण से यदि हमारे पास मनरेगा का पैसा ठीक समय से नहीं मिल पा रहा है या वह 60-40 का कम्पोनेन्ट है, इसमें दिक्कत क्या है, पैसा तो है लेकिन मनरेगा का पैसा कहता है कि 60 प्रतिशत श्रमिक की मजदूरी पर जायेगा 40 प्रतिशत उसमें रॉ-मैटेरियल पर जायेगा, यह दुरूहता आपको काम करने से बाधित कर रही है, इस योजना की जो गम्भीरता है जैसा मा0 सदस्य ने कहा अपराध की दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सौ बीमारियों की एक दवा है ग्रामीण स्वच्छता तो क्या राज्य सरकार अपना राज्यांश बढ़ाने का काम करेगी ?

श्री कैलाश-

यह भारत सरकार के गाइड लाइन्स के अनुसार ही बनता है और मनरेगा का पैसा भारत सरकार देती है, राज्य सरकार 30 प्रतिशत देती है और उसी के विलम्ब के कारण है। जितना मा0 सदस्य की एक सवाल के प्रति गम्भीरता है तो उससे कहीं ज्यादा सरकार की इस सवाल के प्रति

गम्भीरता है, सरकार संवेदनशील है। इन शौचालयों के निर्माण में जो अव्यवस्था है उसको हम व्यवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें सुधार हो सकता है। इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान देकर इसको कराने का काम कर रही है।

श्री मनीष असीजा-

क्या मंत्री जी राज्यांश बढ़ाने का काम करेंगें ?

श्री कैलाश-

यह नीतिगत प्रश्न है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मनरेगा का जिक्र किया 2012-2013 से 2013-2014 तक, यह बता भी रहे हैं कि इतने बन गये, इससे स्पष्ट होता है कि इनके बयान और इस जवाब में मेल नहीं खाता है। हम यह जानना चाहते है, हमने स्वयं भी अपने जनपद देवरिया और अपनी विधान सभा की लिस्ट देखी और पता किया है कि 30 से 40 प्रतिशत ये कागजों पर हैं, पैसे खाये गये हैं तो क्या यह सरकार पूरी तो जांच करा नहीं सकती, अधिकांश या पूरे जनपदों के किसी एक-एक ब्लाक में रेण्डम चेकिंग करेगी कि हकीकत में बनाया है या नहीं बनाया है ? क्योंकि इसमें घपले बहुत हैं, यह फैक्ट है हमने खुद सूची लेकर जांच की थी तो क्या यह सरकार बने हुए शौचालयों के रेण्डम चेकिंग के लिए प्रत्येक जनपद से मिनिमम एक-एक ब्लाक में इसकी जांच करायेगी ?

श्री कैलाश-

माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

(कांग्रेस के अनेक सदस्यों द्वारा यह कहने पर कि सम्बन्धित माननीय सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं।

श्री कैलाश-

माननीय सदस्य जी को काफी जानकारी है।

श्री अध्यक्ष-

वह अध्ययन करते रहते है। माथुर जी बड़े नेता है वह इनको इतना महत्व नहीं देते है।

श्री कैलाश-

यह अपने सामने न महत्व दें तो यह मेरा दोष नहीं है। माननीय सदस्य की विधान सभा ही नहीं इनका ब्लाक ही नहीं इनका गांव ही नहीं हमारी सरकार इसके प्रति संवेदनशील है पूरे प्रदेश में जहां भी अनियमितता पाई गई वहां दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाई की जाएगी और इस अभियान को बहुत तेजी के साथ चलाया जाएगा।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल भी करना चाहता हूं और एक सुझाव भी

देना चाहता हूं। निर्मल भारत का जो अभियान चलाया गया अभी उत्तर प्रदेश में कहीं निर्मल उत्तर प्रदेश दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां पर मंत्री जी बता रहे है कि इस योजना को सरकार गम्भीरता के साथ चला रही है तो जिला स्तर पर इसकी मानीटरिंग की विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेरा प्रश्न है कि सरकार शौचालय बनाने के लिए जो धनराशि स्वीकृत करती है प्रति शौचालय जो धनराशि दी जा रही है उतनी धनराशि में आज क्या शौचालय बनना संभव है। क्योंकि जिस तरह से ईटा, सरिया, मोरंग के दाम बढ़े हैं उस कारण इतनी धनराशि में शौचालय बनाना संभव नहीं है क्या सरकार उसको बढ़ाने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश-

यह भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार ही है। हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे उसके बाद इस पर विचार कर लेंगे।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह इतना गम्भीर विषय है हम लोगों का दुर्भाग्य रहा होगा कि दुनियां की सबसे बड़ी संस्था के महासचिव बानकी मून ने उत्तर प्रदेश के शौचालयों को लेकर टिप्पणी की एक दुखद घटना के सम्बन्ध में। शायद यह पहली बार हुआ है सरकार को इसको गम्भीरता से लेना चाहिए था लेकिन मंत्री जी के जवाब से वह गम्भीरता दिखती नहीं है। यह तो कह रहे हैं कि हमने 42 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया ठीक बात है जब आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपका लक्ष्य 42 प्रतिशत हुआ।

श्री अध्यक्ष-

यह इसी वित्तीय वर्ष का है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी टिप्पणी के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और अधिकांश जगहों पर शौचालय के लक्ष्य पूरे हो जाएं उसके लिए क्या कार्यवाही की है।

श्री कैलाश-

मैंने इसका कारण भी बता दिया किस वजह से विलम्ब हुआ उसको भी बता दिया कितना प्रतिशत हुआ इन कारणों से यह भी बता दिया सरकार अब इस पर गम्भीरता से काम कर रही है और शत प्रतिशत लक्ष्य हम पूरा करने की कोशिश करेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है अभी माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि यह केन्द्र प्राविधानित योजना है यह सही भी है प्रदेश सरकार इसमें राज्यांश 30 प्रतिशत देती है लेकिन संचालित केन्द्र द्वारा की जाती है और शौचालयों के निर्माण पर केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार जो धन आवंटित किया गया है, इतना न्यून है कि उससे शौचालय निर्माण संभव नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि धनराशि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में आपके यहां से प्रतिवेदन जाना चाहिए एक चीज दूसरी चीज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि देवालय से ज्यादा महत्वपूर्ण शौचालय है। तो जब देवालय से ज्यादा महत्वपूर्ण शौचालय है यह सिद्धान्त प्रधानमंत्री जी का है जिनकी केन्द्र में सरकार है तो स्वाभाविक रूप से इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके शौचालयों को धन

बढ़ाने का काम उन्हें करना चाहिए। मैं केवल इतना माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी तरफ से केन्द्र सरकार को इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रतिवेदन इस आशय का दें कि जो धन आवंटित है उसमें शौचालय का निर्माण सम्भव नहीं है। अतः धन बढ़ाये जाने की मैं मांग करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके द्वारा इसकी स्वीकृत किया जाय।

श्री कैलाश-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं पत्र ही नहीं लिखूंगा भारत सरकार में जा करके आग्रह भी करूंगा कि इसको बढ़ाया जाय क्योंकि यह गम्भीर समस्या है इससे हमारे सारे माननीय सदस्य इस विषय के लिये चिन्तित है, उसके लिये हम हमेशा प्रयास करते हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि देवालय से ज्यादा आवश्यक शौचालय है। माननीय अध्यक्ष जी, पूरे विधान सभा से एक प्रस्ताव जाना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार इसके प्रति बहुत गम्भीर है, ऐसा माननीय मंत्री जी ने कई बार इस बात को रिपीट किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो मुझे लगा कि प्रश्न पूछेंगें पर नहीं पूछा, कुछ सुझाव दे दिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप प्रश्न करिये ना।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के यह जो विषय मान्यवर, पूछा गया है यह इस वित्तीय वर्ष के लिये। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि 2012-2013, 2013-2014 मान्यवर, आपने कृपा करके इसका संज्ञान लिया आपने कहा कि 2014 में पूरा नहीं हुआ, 2013-14 में पूरा हो गया। 2014-2015 की बात है मान्यवर। मान्यवर, यह उन दो वर्षो का जवाब है जब केन्द्र में इन दोनों की समर्थित सरकार थी। मान्यवर, यह बात कहना इसलिये जरूरी है क्योंकि यह अभी घुमा फिराकर कहेंगें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय महाना जी, एक मिनट, इसमें सभी माननीय सदस्य है। हम लोग गांव से आते है और जो हाल गांव में है जैसा मौर्या जी ने कहा है। हम लोगों ने यहां इतनी जो धनराशि है मेरे अपने क्षेत्र में कितने सेक्रेट्री, प्रधान दंडित हो गये कि उस हिसाब से क्यों नहीं बने। अब धनराशि है कम, ईमानदारी की बात है, जितना धनराशि दी जाती है उतने में शौचालय नहीं बन सकता इसलिये जो इनका सुझाव है वह महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने कहा कि मैं भारत सरकार से जाकर कहूंगा। यह अच्छी बात है, अब उसमें क्या पूछ रहे हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं उस सुझाव से अपने को जोड़ रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी ने जो मिसाल दी, यह सही बात है कि पैसा भी कम है, ज्यादा होना चाहिए। हमारे समर्थन से केन्द्र सरकार चल रही थी, कहीं गलतियां रही होंगी। उसी समर्थन के नतीजे में आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक रेल का उद्घाटन भी किया है, उसमें भी हमारा समर्थन था। (मेजें थपथपाई गई) उसमें भी हमारा समर्थन था।

श्री सतीश महाना-

कितनी मान्यवर, दर्द होती है।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिये, सवाल।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा बहुत चिन्तित हैं, प्रदेश सरकार भी बहुत चिन्तित है। मैं आपके माध्यम से सीधा प्रश्न है कि जो सुझाव भेज रहे है, भेजें उसको वह सरकार का अधिकार है, भेजना भी चाहिए। मेरा सीधा प्रश्न है कि सरकार भी केन्द्र सरकार की तरफ ताकेगी सरकार भी कोई राज्यांश बढ़ाकर क्योंकि आपने कुछ चिन्ता व्यक्त की है। राज्यांश बढ़ाने की कोई बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी राज्यांश बढ़ाने का कुछ है।

श्री कैलाश-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार से हम प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगें, उसके बाद फिर विचार किया जायेगा।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पान मसाला एवं तम्बाकू युक्त गुटखा पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

*01-श्री सतीश महाना तथा श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पान मसाला एवं तम्बाकू युक्त गुटखा के कारण बढ़ रही बीमारियों को दृष्टिगत रखते हुये पान मसाला एवं गुटखे पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय, प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 के अनुक्रम में अधिसूचना दिनांक 04-10-2012 द्वारा प्रदेश में तम्बाकू अथवा निकोटीन युक्त पान मसाला एवं गुटखे के विनिर्माण, भण्डारण, विक्रय अथवा वितरण को दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उक्त अधिनियम/विनियम में तम्बाकू रहित पान मसाले को प्रतिबन्धित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

श्रीमन् यह प्रश्न आम व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा है। दुर्भाग्य से मान्यवर मुझे एक मरीज को देखने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट बम्बई में जाना पड़ा। कैंसर नाम की बीमारी है मैं इसको दुर्भाग्य के नाम से जोड़ता हूं। वहां पर मान्यवर बहुत से मरीज थे उनमें 70 प्रतिशत मरीज मुंह के कैंसर से पीड़ित थे वह तम्बाकू और विशेष रूप से घटिया पान मसाला को खाने के कारण उत्पन्न हुए थे। सरकार अगर मान्यवर, रटा रटाया जवाब देगी, सरकार इसको स्वीकार नहीं करेगी तो हम सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते है कि सरकार किसी प्रकार से उसमें सुधार की बात करेगी। जिन अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता है मैं उनका संज्ञान नहीं लूंगा लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर बोलूंगा मेरी जानकारी है कि तम्बाकू से बहुत तरह के कैंसर होते हैं सबको पता है। मान्यवर, बाहर से करोड़ों रुपये का पान मसाला जिसमें घटिया पान मसाला मिला हुआ है आज भी प्रदेश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। एक प्रश्न के संबंध में मैंने एक बात को पहले भी कहा था आज भी कहना चाहता हूं आप संज्ञान नहीं लेंगे मुझे मालूम है लेकिन अभी अगर एक आदमी को भेज दिया जाए तो विधान सभा के बाहर वह वाला पान मसाला अभी उपलब्ध हो जाएगा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, तम्बाकू कितने लोग खा रहे है विशेष रूप से कमजोर तबके का आदमी, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वह पान मसाले को खाने का काम कर रहा है। मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है इस तरह का पान मसाला बाजार में बिक रहा है आपके माध्यम से मैं दो प्रश्न करना चाहता हूं एक तो यह कि क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है अगर जानकारी नहीं है तो वह अपनी टीम को भेजकर करवा लेंगे कि इस प्रकार का पान मसाला बिक रहा है अगर इस प्रकार का पान मसाला बिक रहा है तो क्या इस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे ? दूसरा प्रश्न कहिए तो अभी कर लूं या बाद में कर लूं।

श्री अध्यक्ष-

कर लीजिए दोनों प्रश्न के एक साथ जवाब आ जाएंगे।

श्री सतीश महाना-

दूसरा प्रश्न मेरा है कि एक विज्ञापन पान मसाले का आ रहा था तो उन्होंने कहा कि इसके साथ एक छोटू भी उपलब्ध है मैंने सोचा यह छोटू कहां से आ गया, दो रुपये में छोटू भी उपलब्ध है, जब उस छोटू को ढूंढने का प्रयास किया तो यह छोटू और ज्यादा खतरनाक है उसमें तम्बाकू था और बड़े में पान मसाला दोनों को संयुक्त रूप से पैच किया गया था।

श्री अध्यक्ष-

पहले प्रश्न का जवाब आ जाने दीजिए वह भूल जाएंगे आप छोटू लिए घूम रहे हैं।

श्री कैलाश-

भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिन गुटखों पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए वह लग चुका है। जो सादे पान मसाले हैं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबन्ध नहीं लगा सकती है और एक बात आपने और कहा छोटू के बारे में, उसको दिखवा लेंगे मैं तो खाता नहीं हूं।

आप भारत सरकार के नियमों में आप परिवर्तन करा दें तो भारत सरकार जिस हिसाब से परिवर्तन कर देगी उस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार उसका पालन करेगी।

श्री सतीश महाना-

मुझे लगता है यह प्रश्नकाल या जितनी भी बातें हैं, सारी बातों का एक ही उत्तर है मंत्री जी आप कोई उत्तर राजनीतिक दृष्टि से मत दीजिए यह आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है इसको गम्भीरता से लीजिए। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं जो भी उसके नियम हैं जो भी नार्म्स है उसको चाहे भारत सरकार तय करती हो चाहे प्रदेश सरकार तय करती हो नार्म्स के विपरीत बाजार में वह पान मसाला और गुटखा बिक रहा है।

मान्यवर, मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रमाणिकता के आधार पर कह रहा हूं, ऑन रिकार्ड, कि वह बिक रहा है। मुझे मालूम है, आप नहीं खाते है, मैं भी नहीं खाता। लेकिन जो चीज हम और आप नहीं खाते हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो प्रश्न किया था, उसे पुनः रिपीट करता हूं कि क्या जो प्रतिबन्धित गुटखा का उसकी पुनः जांच कराकर कड़ी कार्यवाही सरकार करेगी ? दूसरा मान्यवर, जो धोखा देने के लिए उसके साथ एक छोटू जोड़ दिया गया है, उस छोटू पर भी प्रतिबन्ध लगाये का काम करेंगे ?

श्री कैलाश-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रतिबन्धित है, जैसा महाना जी कह रहे हैं, उसको दिखवा लिया जायेगा और जो छोटू है, उसको भी दिखवा लिया जायेगा।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन सा गुटखा और मसाला प्रतिबन्धित है और कौन सा नहीं है ? क्या इसमें बड़े घरानों को बढ़ने का मौका दिया जा रहा है और छोटों को मारा जा रहा है ? मान्यवर, वैसे तो गुटखा और मसाला पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए और जो छोटू की बात है, यह तो वही बात हो गयी, जैसे-एक जेब में चाकू और एक जेब में पैसा। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि किन-किन पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है और किन पर नहीं लगाया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा0 अरुण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने की इजाजत थी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, यह गुटका और पान मसाला अक्सर स्कूल और कालेजों के आसपास दुकानों पर बिकता है, क्या मंत्री जी के नॉलेज में यह चीज है और अगर ऐसा है तो स्कूल, कालेजों के पास गुटका और तम्बाकू के वितरण पर रोक लगायेंगे ?

श्री कैलाश-

अध्यक्ष जी, जिन वस्तुओं पर हमको अधिकार है, उस पर हम प्रतिबन्ध लगायें, वह चाहे कहीं भी हों।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'-

माननीय अध्यक्ष जी, हम सतीश महाना जी की इस बात से सहमत हैं कि तम्बाकू से बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जिससे मुंह के कैंसर का मामला बहुत प्रमुख है। लेकिन एक यह भी बात सम्भव है कि जो भी सरकार इस पर फैसला करेगी, वह नियम और कानूनों के तहत् ही कर सकती है और यह भी सही है कि बहुत सारी चीजें केन्द्र सरकार से जुड़ी होती हैं। लेकिन इस सब बातों से अलग यह भी सही है और यह तय होना चाहिए कि इन चीजों का प्रचार-प्रसार कम हो। जनता को इसके लिए अवेयर करना चाहिए, क्या सरकार अलग से जनता को अवेयर करने का काम करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आपका सवाल है कि जनता में अवेयरनेस लाने का कोई प्रयास करेंगे ?

श्री कैलाश-

मान्यवर, प्रयास किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, सत्ता दल के विधायक के प्रश्न से यह स्पष्ट हो गया कि सत्ताधारी दल के विधायक भी इस बात को मानते हैं कि सरकार इसकी कोई अवेयरनेस नहीं पैदा कर रही है। अब मैं अपने प्रश्न पर आ रहा हूं। अध्यक्ष जी, छोटू के बारे में तो नहीं जानते हैं लेकिन जो मूल बड़कू अभी भी बिकता है, क्या मा0 मंत्री जी ये बतायेंगे कि कितने केसेज में धरपकड़ हुई है, 25 हजार तक का जुर्माना है, 6 महीने से 3 साल तक की जेल की व्यवस्था है। बड़कू बेंचने वाले लोगों को अभी तक मंत्री जी ने क्या सजा दिलवायी है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, आपके पास इसकी सूचना है ?

श्री कैलाश-

मान्यवर, इन-इन मण्डलों में कार्यवाही की गयी है-आगरा मण्डल में निरीक्षण की संख्या-226, छापे-20, संग्रहीत नमूने-14 और सामग्री की मात्रा-654 किलो और इसका मूल्य है दो लाख सत्ताइस हजार। इसी तरह से अलीगढ़ मण्डल, आजमगढ़ मण्डल, इलाहाबाद मण्डल, कानपुर मण्डल का है। तो इन सब मण्डलों में कार्रवाई हुयी है। यह सब कहिये तो भिजवा दें। इन सब मण्डलों में छापे हुए हैं और कार्रवाई हुयी है। यह हम आपको भिजवा देंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, गुटखा चाहे तम्बाकू रहित हो चाहे तम्बाकू मिश्रित हो। यह पूरी तरह से सबको पता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार अगर गाइडलाइन दे तो हम उत्तर प्रदेश में बंद करेंगे। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर सरकार चाह ले तो किसी भी तरह का गुटखा यहां प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो मैं आपके माध्यम

से मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो तम्बाकू रहित मसाला धड़ल्ले से बिक रहा है उसको पूर्णतया प्रतिबंधित करने पर सरकार क्या विचार करेगी ?

श्री कैलाश-

मैंने पहले बता दिया कि भारत सरकार के द्वारा जो प्रतिबंधित है उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। भारत सरकार अगर अपने गाइडलाइन में पूरा प्रतिबंधित कर देगी तो उत्तर प्रदेश सरकार उसे लागू करेगी।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

अगर भारत सरकार नहीं करती है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब महाना जी को पूछने दो आपका उत्तर आ गया। बैठो।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मेरी चिन्ता है उसके ऊपर मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि यह सार्वजनिक रूप से बिक रहा है। अभी मा0 मंत्री जी ने मण्डलों का बताया कि इन-इन मण्डलों में कार्रवाई हुयी। अच्छी बात है लेकिन मान्यवर, कहीं बिक रहा है तभी तो कार्रवाई हुई। लेकिन अभी मेरे प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न में इन्होंने कहा था कि नहीं बिक रहा है, कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के आप मण्डलों पर कार्रवाई कैसे कर रहे हैं।

श्री कैलाश-

मा0 महाना जी, मैंने यह बात नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष-

आप सीधा प्रश्न करिये न ?

श्री सतीश महाना-

मैं छुटकऊ बढ़कऊ की बात करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

यह कानपुर में ही छुटकऊ बढ़कऊ है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, महाना जी और डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी यह दोनों छुटकऊ बढ़कऊ के रूप में ही बैठे हैं।

(हंसी)

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, अगर नेता प्रतिपक्ष मेरे बगल में आकर खड़े हो जायें तो छुटकऊ बढ़कऊ अपने आप पता चल जायेगा। मान्यवर, मेरा आखिरी प्रश्न है कि जिस प्रकार से आपने उन पर कार्रवाई की है तो आप थोड़ा और सख्ती से प्रदेश में और कड़ी कार्रवाई करें जिससे कि प्रदेश में अवैध रूप से जो बिक रहा है वह नहीं बिके और यह छोटू के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। अब मेरा भी आग्रह सुन लीजिए। मा0 सदस्यगण कभी-कभी मण्डप के अन्दर भी यह पान मसाला खाकर थूका मिलता है तो मैं आप सभी मा0 सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कम से कम आप लोग तो पान मसाला खाकर यहां न आये। अगर आप लोग इतने चिंन्तित हैं। तो सारे सदन को इस पर विचार करना चाहिए और सदन के अन्दर पान मसाला खाकर नहीं थूकना चाहिये।

श्री धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी है, आपने हमें अनुपूरक पूछने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, पान मसाला और तम्बाकू, निकोटीन युक्त यह तय है, मा0 मंत्री जी ने सवाल के जवाब में उत्तर दिया कि हम इन्हें प्रतिबन्धित नहीं कर सकते। तो मान्यवर, जो निकोटीन युक्त हैं पान मसाला तम्बाकू तो सरकार इनको प्रतिबन्धित क्यों नहीं करेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, यह हम आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहते हैं।

श्री कैलाश-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इस बात को नहीं कहा, जो प्रतिबन्धित है, उस पर प्रतिबन्ध लग रहा है, उसे रोकने की सारी व्यवस्था हो रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो सादा है जिसमें यह सब चीजें नहीं हैं, उस पर हम कैसे कार्रवाई कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी सदन में चोर को मारने की बात हो रही है, चोर की अम्मा को मारने की बात नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

वह अम्मा आप ले आये हैं।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

हां बता रहा हूं मैं, बिकने की बात हो रही है कि बिकने पर प्रतिबन्ध हैं, बनता है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और बिक भी रहा है उसको रोकने की क्या व्यवस्था है एक बात, दूसरी बात जहां बिकता है वहां से उन राज्यों में जाता है, जहां पर यह आलरेडी प्रतिबन्धित है, जबकि वहां भेजना गलत है, सरकारी सुविधा से, पुलिस की सुविधा से जाता है, कई बार पुलिस पकड़ती भी है छापा मार कर और कई बार जाने की व्यवस्था भी करती है, तो ऐसी व्यवस्था न बन पाये कि प्रतिबन्धित राज्य में न जाय एक बात और दूसरा, बिकने पर ही रोक न लगे बल्कि बनने पर भी रोक लगे उत्तर प्रदेश के अन्दर, इस पर कोई व्यवस्था है क्या सरकार की ?

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब चलिये बैठिये, अब इस पर कोई प्रश्न नहीं।

प्रदेश में गेहूं क्रय करने की योजना सत्र समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने सम्बन्धी जानकारी

*02-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गेहूं क्रय करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में सरकार द्वारा कुल कितने गेहूं के क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? इनमें नये क्रय केन्द्र कितने हैं ? क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य की अपेक्षा बाजार में गेहूं के दाम अधिक हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइय्या'')-

जी हां, शासन के आदेश संख्या-19/184/29-5-2014-5(1)/14 दिनांक 27-03-2014 द्वारा निर्गत खरीद नीति के अनुसार प्रदेश भर में गेहूं क्रय करने की सरकार की योजना है। वर्तमान में गेहूं की खरीद की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत रु0 1400.00 प्रति कुन्तल की दर पर किसानों से सीधे गेहूं खरीद की जा रही है।

प्रदेश में कुल 5045 गेहूं क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

कोई नया क्रय केन्द्र नहीं है।

बाजार में गेहूं का प्रचलित बाजार भाव रु0 1400.00 प्रति कुन्तल समर्थन मूल्य के बराबर और कहीं-कहीं इससे अधिक है।

प्रत्येक रबी विपणन वर्ष के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाती है और प्रदेश सरकार द्वारा उक्तानुसार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही गेहूं क्रय किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी से मेरा प्रश्न गेहूं क्रय करने के बारे में था जो सीधे किसानों से सम्बन्धित है, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गेहूं क्रय करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में क्या था, क्या वह लक्ष्य प्राप्त हो गया और उस लक्ष्य के लिए जितनी धनराशि, जितने बोरे की व्यवस्था थी, वह क्या क्रय केन्द्रों तक पहुंची थी, मैं यह आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पिछले साल का लक्ष्य था 60 लाख कुन्तल, इस साल 45 लाख कुन्तल।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने मा0 मंत्री जी से जानना चाहा था, लक्ष्य क्या था और यह लक्ष्य प्राप्त हो गया क्या और लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जितने बोरों की आवश्यकता थी और जितनी धनराशि की आवश्यकता थी, किसान का भुगतान करने के लिए, उतने की व्यवस्था क्रय केन्द्रों तक गई थी क्या ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बोरों की पर्याप्त व्यवस्था थी और बोरे आवश्यकता से कहीं ज्यादा थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

प्रश्न का उत्तर नहीं आया मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

वो तो बता दिये बोरे की व्यवस्था थी। आपका दूसरा साथ में था कि क्या पर्याप्त धनराशि मिली थी। यही एक प्रश्न रह गया था बोरा तो बता दिया उन्होंने कि बोरा पर्याप्त था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, कृपा करके संरक्षण दीजिए। आपका कृपापूर्ण संरक्षण चाहिए। मेरा यह कहना था कि मंत्री जी ने लक्ष्य बता दिया तो लक्ष्य की प्राप्ति हो गई या कसर, कमी रह गई और उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी और पिछली बार यह 60 लाख का लक्ष्य था, इस बार 45 लाख का निर्धारित किया गया, इस कमी का कारण क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, रबी क्रय वर्ष 2014-15 हेतु निर्धारित लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष दिनांक 28 जून, 2014 तक 59 लाख 08 हजार 352 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जो लक्ष्य के सपेक्ष 13.30 प्रतिशत है। गेहूं का बाजार भाव न्यूनतम मूल्य 1400 रुपये प्रति कुण्टल के बराबर अथवा इससे अधिक रहा। समर्थन मूल्य से अधिक बाजार भाव होने के कारण व्यापारी तथा अन्य निजी संस्थाओं द्वारा सीधे किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा था परिणामस्वरूप गेहूं की आवक में कमी रही।

*श्री मनीष असीजा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को यह बात अवगत कराना चाहता हूं और फिर इससे ही मैं प्रश्न पूछूंगा। 2013-14 में उत्तर प्रदेश में 330 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया गया। 330 टन का उत्पादन, हमारी खरीद का लक्ष्य 45 लाख टन और खरीद हो पाई 6 लाख मीट्रिक टन की। इसका कारण जो बताया गया है कि बाज़ार के बराबर या बाज़ार से अधिक मूल्य था। मैं मा0 मंत्री जी को यह अवगत कराना चाहता हूं पीठ के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश के पास के जो सीमावर्ती राज्य हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश वे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 150 रुपये प्रति टन का बोनस देते हैं। दूसरी बात जो पास की मण्डियां हैं हरियाणा की और पंजाब की, वहां पर जो क्रय की व्यवस्था है वह सरकार के मान्यता प्राप्त जो अढ़तियां हैं जो 2.5 प्रतिशत कमीशन पर काम करते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वे किसानों से जब गेहूं खरीदते हैं तो उससे उनके ऊपर बोझा नहीं पड़ता। प्रदेश का किसान हमारे यहां जब क्रय केन्द्र पर जाता है तो उसको लाइन में लगना पड़ता है और 15 से 20 रुपया प्रति कुण्टल उसका छटाई, सफाई, बिनाई के नाम से कट जाता है। जो राज्यवार खरीद की एजेंसियां हैं उनके पास पैसे की कमी है। वे चेक देती हैं किसान को तारीख आगे एक-डेढ़ महीने की देती हैं कि एक-डेढ़ महीने बाद उसका भुगतान होगा। इस कारण से हमारे प्रदेश का इतना बड़ा गेहूं उत्पादक किसान या पास के राज्यों को या निजी व्यापारियों के हाथों अपना माल बेच रहा है। सरकार को इसमें बड़ा नुकसान है। वैट का नुकसान है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करो न।

श्री मनीष असीजा-

बस सब आ रहा है, प्रश्न आ रहा है। ढाई प्रतिशत मण्डी शुल्क का भी नुकसान है। इसका एक उदाहरण और देता हूं कि पंजाब में जितना गेहूं पैदा होता है, वह पूरा खरीद कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में उनका जितना चावल, धान पैदा होता है वह सब खरीद लेते हैं, सेण्ट्रल पूल में भी देते हैं। प्रदेश सरकार, इतनी बड़ी संख्या में जो गेहूं उत्पाद है उसकी नहीं खरीद पा रही है, इस पर विशेष ध्यान देगी, विशेष कार्य योजना बनाकर आगामी वर्ष में यह सुनिश्चित करेगी कि अधिक से अधिक गेहूं अपने किसानों का प्रदेश में ही खरीद लिया जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह सुझाव के तौर पर तो अच्छा है लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी है, जैसे बार-बार बात आ रही है कि भारत सरकार की तरफ से ऐसा और भारत सरकार की ये चिट्ठी है मेरे पास, जून, 2012 की जिसमें लिखा है कि ''आई होप यू विल एप्रीशिएट वैट सच डिक्लरेशन आफ बोनस बाइ द स्टेट गवनमेंट डिस्टोर्टस द मार्केट आफ कन्सर्न्ड कामोडिट'' यानी इस तरह का बोनस अगर राज्य सरकारें देती हैं तो इससे बाजार प्रभावित होता है, तो जब भारत सरकार की तरफ से इस प्रकार की रोक लगती है तो अगर कोई राज्य सरकार इस तरह का बोनस देती है, तो हम समझते हैं कि यह नियम संगत नहीं है। यह सही है कि जो उस समय मूल्य मांगा गया था। देखिये हमारे यहां से जो चिट्ठी गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीद वर्ष 2013-14 के लिये धान का प्रति कुण्टल मूल्य 1810 भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को प्रस्तावित किया गया था लेकिन भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1310 प्रति कुण्टल ही माना गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खरीद वर्ष 14-15 के लिए गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य 2300 भारत सरकार के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को प्रस्तावित किया गया था लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसका न्यूनतम मूल्य 1400 रुपये तय किया गया, तो मान्यवर, यह बाध्यता है, इसी वजह से अच्छा क्योंकि खुले बाजार में ज्यादा पैसा मिल रहा था किसान को इसलिए उसकी जाहिर है, रोका नहीं जा सकता।

श्री वीरपाल राठी-

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि अप्रैल और मई माह में गेहूं के क्रय केन्द्र लगाये जाते हैं, उस वक्त बाजार का भाव बहुत कम मिलता है, किसान को बहुत नुकसान होता है। क्या सरकार दिसम्बर माह में गेहूं के क्रय केन्द्र लगवायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पर विचार किया जा सकता है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो व्यवस्था है मान्यवर समर्थन मूल्य पर राज्य सरकारें मान्यवर गेहूं का तथा धान का स्टॉक करती है। उनके दो उद्देश्य है एक तो बफर स्टॉक को बढ़ाना मान्यवर, दूसरे मार्केट को भी मेनटेन रखना ताकि उससे ज्यादा किसान को उनके गेहूं में घाटा न हो सके। मान्यवर, उसके उद्देश्य केवल दो है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो सेन्टर के ऊपर जो व्यवस्था है मान्यवर, अगर मार्केट में फ्लेक्चुएशन ज्यादा है तो बिना सिफारिश के गेहूं खरीदा नहीं जाता और जो सेन्टर पर खरीदा जाता है, उस पर किसान अपने आपको सहज महसूस नहीं करता। अगर मार्केट नीची है और सेन्टर का मूल्य ऊंचा है, मान्यवर तो क्या मा0 मंत्री जी यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि सेन्टर के ऊपर जो किसान का उत्पीड़न होता है या जो किसान असहज महसूस करता है, उसको सहूलियत प्रदान करने के लिए जो सेन्टर की व्यवस्था है, उसको मान्यवर, दुरूस्थ करेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह अच्छा सुझाव है मान्यवर, बिल्कुल असहज नहीं महसूस करना चाहिए, किसान को प्रोत्साहित करना चाहिए। जहां तक वफ़र स्टॉक की बात है, हम लोग आम तौर पर यह जानते है कि जितने हम लोगों के पास रखने के साधन है, उतना ही स्टॉक किया जा सकता है। बाक़ी आप देखते हैं कि कितना बर्बाद होता है और हमें तो यह मालूम हुआ जैसे ही व्यवस्था बदली कि सूखा पड़ गया और हालात गंभीर हो गए देश के, तो मालूम यह हुआ कि काफ़ी है, हमारे पास जख़ीरा काफ़ी है। पिछली सरकार ने इतना करके रखा है कि कोई कमी नहीं आयेगी, ऐसा सुना है।

श्री अध्यक्ष-

अब यह आखिरी सवाल है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मा0 अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी एक पत्र पढ़कर सुनाया जो केन्द्र सरकार का आया है कि बोनस न दिया जाये ताकि मार्केट फोर्सेस अनाज को ले सके और मार्केट में उसकी एवलिबिलिटी बनी रहे लेकिन बहुत सारे राज्यों ने उसको स्वीकार नहीं किया है, जहां तक मेरा संज्ञान है और वह बोनस दे रही है, राजस्थान ने बोनस रोक लिया लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला सब बोनस दे रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहती हूं कि यह कोई प्रतिबंध नहीं है, यह उनका सुझाव है और गलत सुझाव है मैं समझती हूं क्योंकि राज्य द्वारा खरीद की व्यवस्था ही इसलिए की गई थी एम0एस0पी0 के द्वारा कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, बिचौलिये हैं उनके शोषण से किसानों को बचाया जा सके और आपने कहा कि बाजार में ज्यादा मिल रहा था, मेरा संज्ञान है कि बाजार में जो मूल्य मिल रहे थे, बिचौलिये जो खरीद रहे थे, वह सस्ता खरीद रहे थे। तो क्या बोनस देने पर आपकी सरकार विचार कर रही है या नहीं और बोनस आप देंगे या नहीं, ये मैं जानना चाहती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने थोड़ा-सा लिहाज़ रखा था इस बात का कि केन्द्र सरकार ने जो पिछली चिट्ठी भेजी थी, उसमें काफ़ी ऐसे शब्द थे, जो नहीं इस्तेमाल होने चाहिए थे। केन्द्र सरकार की मंशा का राज्य सरकारों को लिहाज़ रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी थ्रीटियर सिस्टम है। अगर हम केन्द्र सरकार की मंशा के बिल्कुल नज़रअंदाज करेंगे, तो फिर लॉ-लेसनेस पैदा हो जायेगी, लॉ-कानूनियत पैदा हो जायेगी, अराजकता पैदा होगी। राज्य सरकारों की अलग सरकार चलेगी, केन्द्र सरकार फिर किस पर राज करेगी, तो हमें केन्द्र सरकार की चिट्ठियों का संज्ञान लेना चाहिए, उनका लिहाज़ रखना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। अब सरकार चली जाने के बाद ये महसूस हो कि सरकार की चिट्ठी गलत आई थी, तो आगे के लिए तो इसकी रोकथाम हो सकती है। मैं आगे का पढ़ कर सुना दूं। आप केन्द्र सरकार के पत्र की इस लाइन को देंखे जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिस आलसो जेनरेट्स पॉसिबिल्टीज फॉर मालप्रेक्टिसेज तो बहुत सख़्त चिट्ठी उन्होंने लिखी है। राज्य सरकार को तो इस चिट्ठी का आदर करना है। केन्द्र सरकार की तो सुपरीमेसी है उसको चैजेन्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत सरकार से आने वाले पत्रों का संज्ञान न लिया जाय। केन्द्र सरकार तो केन्द्र सरकार ही है। अगर इसमें कोई टकराव होगा तो वह ख़तरनाक हो जायेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, यदि कोई वहां से जन विरोधी, किसान विरोधी चिट्ठी आती है तो उसका तो विरोध होना ही चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बड़ी देर कर दी मेहरबां होते-होते, आपको तो आपके अधिकारियों ने छक दिया। यह आपके समय की केन्द्र सरकार की चिट्ठी है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

मान्यवर, आप बोनस देंगे या नहीं। यह बतायें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप इतना डॉट क्यों रही हैं ? अब तो आपकी केन्द्र सरकार तो रही नहीं। अब तो इनकी केन्द्र सरकार है।

श्री अध्यक्ष-

माननीया जोशी जी, अब आप बैठ जायें।

श्री सुरेश राणा-

मान्यवर, किसान क्रय-केन्द्रों पर किसान घटतौली का शिकार है, वहां पर पल्लेदार है नहीं, तौलाई उनकी समय पर होती नहीं हैं। क्योंकि तौलाई वाले भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। एक-एक ट्राली की तौलाई में तीन-तीन घण्टे लग जाते है और किसानों की ट्रालियों की लाइन लग जाती है, तो क्या सरकार इन क्रय-केन्द्रों पर तौलाई कर्मियों की व्यवस्था करने और घटतौली की समस्या से निजात दिलवाने का काम करेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, उचित व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, यही कोशिश है कि यह उचित व्यवस्था हो। समर्थन मूल्य अगर अच्छा होगा तो जाहिर है कि ज्यादा भीड़ होगी। उसमें अगर व्यवस्था होती है तो अच्छी बात है लेकिन समर्थन मूल्य ज्यादा मिले तो किसान को। वह वक़्त आये तो, ऐसा हुआ नहीं, कोशिश यही होनी चाहिए कि किसान को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे दूर किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त।†

*03-श्रीमती माधुरी वर्मा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

अतारांकित प्रश्न

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को प्रदेश लागू किये जाने की मांग

01-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 जो भारत सरकार का अधिनियम है, को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु भारत सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों हेतु श्रम विभाग द्वारा कोई प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)-

जी हां।

जी नहीं।

जी हां।

भारत सरकार के अधिनियम को लागू करने हेतु राज्य नियमावली प्रख्यापित/अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। राज्य नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त सम्बन्धित योजनाओं को राज्य में लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा में खराब पड़े हैण्डपम्पों की मरम्मत कराये जाने की मांग

02-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के विधान सभा क्षेत्र ओबरा के विकास खण्ड म्योरपुर, चोपन तथा राबर्ट्सगंज में खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† नोटः-नत्थी 'ख' के तारांकित प्रश्न संख्या-2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री कैलाश-

जी हां।

खराब हैण्डपम्पों की सूचना मिलते ही उसकी मरम्मत करायी जाती है। माह जून के द्वितीय पक्ष में विधान सभा, ओबरा के विकास खण्ड-म्योरपुर के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 85, चोपन में 94 व राबर्टसगंज में 46 हैण्डपम्पों की मरम्मत करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सोनभद्र के कतिपय विकास खण्डों में शौचालयों का निर्माण कराये जाने की मांग

03-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड म्योरपुर, चोपन तथा राबर्ट्सगंज में वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 में स्वीकृत हुये शौचालयों में से कितने बनवाये गये व कितने बनाना शेष हैं ? क्या सरकार उक्त की सूची उपलब्ध कराते हुये अवशेष शौचालयों का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जनपद-सोनभद्र के ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान नया नाम निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में विकास खण्ड-म्योरपुर में 316, चोपन में 1222 एवं राबर्टसगंज में 838 व्यक्तिगत शौचालय स्वीकृत हुए थे। स्वीकृत के सापेक्ष विकास खण्ड-म्योरपुर में 265, चोपन में 1170 एवं राबर्टसगंज में 838 शौचालय बनवाये गये है तथा विकास खण्ड-म्योरपुर में 51 तथा चोपन में 52 शौचालय बनाने शेष हैं।

जी हां। सूची † संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

04-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[3सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

05-श्री राजेश त्रिपाठी-

[3सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-15 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजियाबाद के फरीदनगर मार्ग पर बसों का संचालन कराये जाने की मांग

06-श्री सुदेश शर्मा-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में मोदीनगर से पिलखुआ तक वाया फरीदनगर मार्ग पर हजारों यात्रियों का रोजाना आवागमन रहता है परन्तु रोडवेज की एक भी बस की व्यवस्था न होने के कारण आवागमन अव्यवस्थित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर शीघ्र रोडवेज बसों का संचालन शुरू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)-

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि मार्ग में गड्ढे हैं, अतः उक्त मार्ग पर बसों का संचालन सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

देखिये नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या-93-95 पर।

जनपद झांसी में बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने योजना सम्बन्धी जानकारी

07-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-झांसी में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता खत्म करके युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या सरकार कोई ठोस कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

कार्य योजना है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को कैरियर काउन्सिलिंग एवं रोजगार मेलों का आयोजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया जाता है।

समाज के निर्बल वर्ग के बेरोजगारों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में जनपद झांसी सहित 52 जनपदों में शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जहां आशुलिपि, सचिवीय पद्यति, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी तथा कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली में गोपनीय तरीके से टेण्डर कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

08-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत जनपद चन्दौली में गोपनीय तरीके से टेण्डर कराये जाने एवं अपने चहेतों को काम दिये जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का मा0 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0-ख 5 एन 321578, दिनांक 25-02-14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

पत्र पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चन्दौली से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्या के अनुसार शिकायत निराधार पायी गयी। टेण्डर की कार्यवाही नियमानुसार की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में परास्नातक की कक्षायें आरम्भ कराये जाने की मांग

09-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में अभी तक परास्नातक स्तर की शिक्षा देनी शुरू नहीं हो पायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में परास्नातक की कक्षायें अगले सत्र से आरम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सत्र 2014-15 से प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार/केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद् से निरीक्षण करते हुए अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है। निरीक्षण अभी लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मेहनतकश मजदूरों का दुर्घटना बीमा कराने की योजना

10-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मेहनतकश मजदूरों का दुर्घटना बीमा कराने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र वैरिया से बसें संचालित कराये जाने की मांग

11-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के वैरिया विधान सभा क्षेत्र में वैरिया से बलिया पर यात्रियों की सुविधा हेतु परिवहन निगम की अतिरिक्त बसे संचालित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

बलिया से वैरिया के लिये जनवरी, 2010 में बस संचालित की गयी किन्तु उक्त मार्ग पर लोडफैक्टर अत्यन्त कम होने के कारण बस सेवा बन्द कर दी गयी। वर्तमान में उक्त मार्ग पर अनुबन्धित बस सेवा वैरिया-बलिया-आजमगढ़-जौनपुर-आजमगढ़-बलिया-वैरिया मार्ग पर माह मई, 2014 से पुनः प्रारम्भ की गयी, किन्तु उक्त मार्ग पर लोडफैक्टर/यात्रियों की उपलब्धता बहुत कम पायी गयी, जिसके कारण उक्त मार्ग पर बस का संचालन निगम हित में नहीं है।

प्रदेश में बी0पी0एल0 सूची के परिवारों के समकक्ष परिवारों को कार्डधारकों के समान सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

12-श्री मनीष असीजा-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0पी0एल0 सूची में आने वाले परिवारों के समकक्ष आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वाले ऐसे परिवारों को जो वर्तमान में बी0पी0एल0 कार्ड धारक नहीं हैं को क्या सरकार राज्य व्यापी सर्वेक्षण कराकर उन्हें बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के समान सुविधायें प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''-

सम्प्रति शासन में इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है। प्रदेश में बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है और उसी के अनुरूप बी0पी0एल0 राशन कार्ड निर्गत किये गये हैं।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में छात्रों के ज्ञान हेतु शव उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

13-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेडिकल कालेजस में चिकित्सा छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान हेतु एन0आई0टी0 विभाग में कैडेवर (शव) प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे चिकित्सा शिक्षा का स्तर व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार को जानकारी है कि एन0आई0टी0 ऐक्ट, 1956 में स्पष्ट प्राविधान है कि लावारिस शवों को उपरोक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है परन्तु इसके कार्यान्वयन के लिये प्रदेश/जिला स्तर पर कोई समिति अथवा संगठन उपलब्ध नहीं है, जिससे स्थानीय स्तर पर उक्त उद्देश्य हेतु शव उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मेडिकल कालेजस में चिकित्सा छात्रों के ज्ञान हेतु एन0आई0टी0 विभाग में कैडेवर (शव) उपलब्ध कराने के लिये जिला स्तर पर समिति का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

एम0सी0आई0 के मानक के अनुसार प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष शव विच्छेदन हेतु पर्याप्त शव उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

उ0 प्र0 एनाटामी ऐक्ट, 1956 की धारा-3 के अन्तर्गत चिकित्सा विभाग द्वारा एक या एक से अधिक अधिकारियों को अधिसूचित कराये जाने का प्राविधान है, जिनका कर्तव्य यह होता है कि अस्पतालों/कारागार/सार्वजनिक स्थलों से प्राप्त लावारिस शवों को ग्रहण करते हुए किसी शैक्षणिक संस्थान को उपलब्ध कराये।

उ0 प्र0 एनाटामी ऐक्ट, 1956 में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को शैक्षणिक संस्थाओं हेतु शवों को उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा समय-समय पर शव चिकित्सा शिक्षा विभाग को विच्छेदन हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की चारों तहसीलों में बराबर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये जाने की मांग

14-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की चारों तहसीलों क्रमशः मुरादाबाद ठाकरद्वारा, बिलारी एवं कांठ को कितना मिट्टी का तेल आवंटित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि तहसील कांठ को उसके हिस्से से कम मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील कांठ को उसके हिस्से का बराबर मिट्टी का तेल आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''-

जनपद मुरादाबाद की तहसील मुरादाबाद को 1,52,525 राशन कार्डों के सापेक्ष 448.7 के0एल0 तहसील ठाकुरद्वारा को 1,33,669 राशन कार्डों के सापेक्ष 393.1 के0एल0, तहसील बिलारी को 1,33,668 राशन कार्डों के सापेक्ष 393.3 के0एल0 एवं तहसील कांठ को 87,038 राशन कार्डों के सापेक्ष 255.9 के0एल0 मिट्टी का तेल आवंटित है।

जनपद मुरादाबाद में समस्त तहसीलों को प्रचलित राशन कार्डों के सापेक्ष समानुपातिक रूप से मिट्टी का तेल आवंटित है तथा किसी भी तहसील को कम या ज्यादा मिट्टी का तेल आवंटित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में बुनकरों को सूत उपलब्ध कराके सूत डिपो खोले जाने की मांग

15-श्री अनीसुर्ररहमान-

क्या हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जनपद की तहसील कांठ में बुनकरों की भारी संख्या होने के बावजूद यहां पर कोई सरकार का सूत डिपो नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के गरीब बुनकरों को सरकारी दर पर सूत उपलब्ध कराने के लिए जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में सूत डिपो खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)-

जी नहीं। सूत डिपो स्थापित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आयुवेर्दिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट प्रवेश परीक्षा में निर्धारित सीटों पर आरक्षण का लाभ न दिये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

16-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल विधान सभा उ0प्र0 का पत्र 255/ने0वि0द0/2014, दिनांक 16-05-2014, जो कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट प्रवेश परीक्षा 2012-2013 एवं 2013-2014 में करायी गयी काउन्सलिंग में अनु0जा0 एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं दिये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा पचोखर में मार्ग निर्माण विषयक पत्र पर कार्यवाही

17-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा पचोखर में नहर से अनुसूचित जाति बस्ती तक मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रार्थीगणों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग 5 एन 140129, दि0 2-06-14 जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के ग्राम सभा विसौरी से पोखर पाटे जाने का कथित प्रकरण

18-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा बिसौरी दलित बस्ती में ग्राम सभा की पोखरी को अतिक्रमण कर जबरजस्ती पाटे जाने के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ग 5 नं0-140126, दि0 2-06-14 जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

19-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा में कस्बा सिकन्दरा से खटकर तक सड़क की मरम्मत न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत, कानपुर देहात की कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है। उक्त मार्ग प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कानपुर के अधीन है।

जनपद कानपुर देहात सिकन्दरा में कस्बा सिकन्दरा से डेटापुर तहसील होकर रूटा मुख्यालय माती तक बस सेवा के संचालन की मांग

20-श्री इन्द्रपाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के क्षेत्र सिकन्दरा में कस्बा सिकन्दरा से डेटापुर तहसील होकर रूटा मुख्यालय माती तक बस सेवा का संचालन न होने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग पर बस का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर से माती, सिकन्दरा तथा अकबरपुर, रूरा, डेरापुर होकर निगम बसें संचालित हैं तथा उक्त समस्त स्थानों पर निगम बसों का घोषित फेयर बस स्टाप है तथा निगम बसें यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है।

राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं कतिपय चिकित्सालयों में हो रहे घोटाले विषयक पत्र पर कार्यवाही

21-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय गोमतीनगर व सिटी स्टेशन लखनऊ में हो रहे दवाओं के घोटाले के सम्बन्ध में श्री राम मोहन तिवारी, सचिव, पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ का पत्र दिनांक 4 मई, 2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासन के पत्रांक-सी0एम0-105/आयुष-2-2014-8(शि0)/2014, दिनांक 19-6-2014 द्वारा निदेशक, होम्योपैथी को शिकायतों की जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों हेतु दुर्घटना बीमा का विचाराधीन प्रकरण

22-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों मेहनतकश मजदूरों का दुर्घटना बीमा कराने की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में धान क्रय केन्द्र स्थापित कराये जाने की मांग

23-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत धान क्रय केन्द्र स्थापित न होने के कारण कृषकों को अपना धान बेचने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर क्रय केन्द्र स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया''-

जी नहीं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 क्रय एजेन्सी के 05 धान क्रय केन्द्र (एस0एस0एस0 बिचपरी, मोहम्मदी, एस0एस0 कुईया मदारपुर, फतुआबाद, एस0एस0 बगरेठी, एफ0एस0एस0 मूडागालिब एवं सी0एम0एस0 मोहम्मदी शीतगृह) तथा उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम क्रय एजेन्सी के 02 धान क्रय केन्द्र (मोहम्मदी मण्डी एवं परसगवां) धान खरीद हेतु खोले गये थे।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व में ही मोहम्मदी विधान सभा क्षेत्र में 07 धान क्रय केन्द्र स्थापित हैं।

जनपद आगरा के ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

24-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में ग्राम पंचायत स्तरीय सफाई कर्मचारियों के कितने पद रिक्त है ? क्या सरकार रिक्त पदों पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जनपद आगरा में ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारियों के 40 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समूह ''घ'' के रिक्त पदों की सामान्य भर्ती पर प्रतिबन्ध है।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही

25-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा कठौरी (पाल बस्ती) वि0ख0-नियामताबाद में मेन रोड से रामाश्रय पाल के घर तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग 5 एन 140106, दि0 25-03-2014 खण्ड विकास अधिकारी, वि0 खण्ड-नियामताबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा एकौनी में नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

26-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय के अन्तर्गत ग्राम सभा एकौनी जो बवरी चन्दौली मार्ग पर है, के मेन रोड पर एकौनी ग्राम सभा के दोनों तरफ नाली न होने के कारण रोड पर जल भराव रहता है जिसके कारण वहां के निवासी एवं आम जनता को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम सभा के मेन रोड पर नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी हां।

उक्त मार्ग पर नाली बनाये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या-382 दिनांक 30-6-2014 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

तमकुही रोड (सेवरही) में बस डिपों का निर्माण कराये जाने की मांग

27-श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तमकुही रोड (सेवरही) में बस डिपो बनाने हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस डिपो का निर्माण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

तमकुही रोड से पड़रौना वाया कटकुइया की दूरी 40 कि0मी0 है। पड़रौना में मार्च, 2013 से डिपो स्थापित है। तमकुही रोड (सेवरही) तहसील मुख्यालय है। तमकुही रोड से गोरखपुर व अन्य स्थानों के लिये परिवहन निगम की 25 सेवाएं संचालित हैं जिससे तमकुही रोड के यात्रियों को परिवहन सुविधा प्राप्त हो रही है। इसलिये अलग से डिपो बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद के कांच उद्योग के श्रमिकों हेतु दुर्घटना बीमा योजना बनाये जाने की मांग

28-श्री मनीष असीजा-

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद नगर के कांच उद्योग में लाखों की संख्या में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कोई आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शाहिद मंजूर-

विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराये जाने की मांग

29-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालयों के अभाव में खुले स्थानों पर शौंच के कारण फैली गंदगी से मुक्ति दिलाने तथा पर्यावरण को प्रभावित होने से बचाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की कतिपय ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन कर एक नई ग्राम पंचायत बनाये जाने की मांग

30-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक ददरौल जनपद शाहजहांपुर की ग्राम पंचायत रज्जव नगर, शहबाजनगर मुख्यालय से काफी दूरी पर है तथा ग्राम राई खुर्द भी एक ग्राम पंचायत का तीसरा पार्ट है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पुनर्गठन करके राई खुर्द तथा रज्जव नगर को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम रज्जवनगर ग्राम पंचायत शहबाजनगर (न्याय पंचायत-घुसगवां) का राजस्व ग्राम न होकर एक मजरा है और ग्राम राईखुर्द ग्राम पंचायत राईखेड़ा (न्याय पंचायत-राईखेड़ा) का एक राजस्व ग्राम है। उ0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1947 (यथासंशोधित-1994) की धारा-11(च) के प्राविधानुसार ग्राम पंचायत शहबाजनगर के मजरा ग्राम रज्जवनगर को ग्राम पंचायत राई खेड़ा के राजस्व ग्राम राईखुर्द को मिलाकर एक ग्राम पंचायत नहीं बनाया जा सकता है।

31-श्री बब्बन सिंह चौहान-

ग्राम्य विकास [3सरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय में क्षतिग्रस्त कच्चे मार्ग का निर्माण कराये जाने की मांग

32-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा छित्तमपुर-धरना में रामनगर रोड ब्लाक हटबी से मदरसा होते हुए सज्जन चौहान के घर तक कच्चा क्षतिग्रस्त मार्ग को क्या सरकार जनहित में पिच स्तर तक निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

उक्त मार्ग पर पिच बनवाये जाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय के पत्र संख्या-381 दिनांक 30-6-2014 द्वारा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चन्दौली को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के मुगलसरय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा छितमपुर में रामनगर रोड जवाहिर के घर से खजूर गांव बार्डर रामजी के घर तक क्षतिग्रस्त रोड का डामरीकरण कराने विषयक

33-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा छित्तमपुर में रामनगर रोड जवाहिर के घर से खजूरगांव बार्डर रामजी के घर तक कच्चा रोड क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश यादव-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद आगरा की ग्राम पंचायत सहारा में क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने की मांग

34-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहारा में पानी की टंकी से सप्लाई हेतु पाइप लाइन डालने के कारण गांव के समस्त खड़न्जे, सी0सी0 रोड क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

ग्राम पंचायत सहारा में पानी की टंकी की सप्लाई हेतु पाइप लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त हुई सी0सी0 रोड एवं खड़न्जे की मरम्मत करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों में एन्जियोग्राफी एवं हृदय की शल्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग

35-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में हृदय रोगियों की संख्या (विशेषकर कम उम्र की) एवं इसके महंगे इलाज को मद्देनजर रखते हुये सरकार प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में एन्जियोग्राफी एवं हृदय की शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

मेडिकल कालेज, कानपुर के अन्तर्गत हृदय रोग संस्थान, कानपुर में एन्जियोग्राफी निःशुल्क की जा रही है। मेडिकल कालेज, कन्नौज में हृदय रोग संस्थान का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर वहां पर भी उक्त सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेजों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में असाध्य रोग निधि हेतु भेजी गयी धनराशि के सम्बन्ध में जानकारी

36-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सभी सरकारी मेडिकल कालेजों में असाध्य रोगों से पीड़ित गरीब नागरिकों के इलाज की सुविधा हेतु असाध्य रोग निधि हेतु धनराशि भेजी जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 के लिये इस निधि की धनराशि भेज दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये लेखानुदान के माध्यम से कुल रु0 8.33 करोड़ की प्राविधानित धनराशि में से असाध्य रोगों के इलाज हेतु मांग के आधार पर एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ तथा डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ को क्रमशः रु0 1-1 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0एन0 मेडिकल कालेज में कैंसर यूनिट में ब्रेकी थैरेपी की सुविधा के सम्बन्ध में जानकारी

37-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0एन0 मेडिकल कालेज में कैंसर यूनिट में ब्रेकी थैरेपी की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसे स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

38-39-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के धनौली, अजीजपुर में जलभराव से निजात हेतु नाले का निर्माण कराये जाने की मांग

40-श्री काली चरन सुमन-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में जगनेर रोड खेरिया मोड़ से धनौली होते हुये आगे जाने वाला मलपुरा तक नाला अधूरा होने के कारण धनौली अजीजपुर क्षेत्रों में जलभराव की समस्या रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार धनौली से मलपुरा तक नाला का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

ग्राम पंचायत अजीजपुर धनौली से मलपुरा तक नाले के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय की ग्राम सभा चकिया में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत विषयक पत्र पर कार्यवाही

41-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अमोधपुर ग्रामसभा में चकिया रोड से पंचायत भवन अमोधपुर तक पूर्ण रूप से

क्षतिग्रस्त सड़क का पिच कार्य कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ग-5 एन-140133, दिनांक 02-06-2014 जिलाधिकारी जनपद चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आजीवन कैद की सजा काट रहे कैदियों की समय-सीमा निर्धारित करने की मांग

42-श्रीमती माधुरी वर्मा-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आजीवन कैद की सजा काट रहे कैदियों हेतु कोई समय-सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उसे निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)-

जी नहीं।

आजीवन कारावास की सजा का आशय व्यक्ति के जीवन पर्यन्त सजा से है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध 14 वर्ष की सजा काट चुके सिद्धदोष बन्दियों की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन ऐक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत लाइसेन्स/फार्म-ए, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-432 सपठित उ0 प्र0 के जेल मैनुअल के प्रस्तर-198ए के अन्तर्गत नामिनल रोल तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित उ0 प्र0 के जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफारमिटी रोल पर समयपूर्व रिहाई पर विचारण शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 दिनांक 06-09-2004 एवं शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19 जी/2012 दिनांक 02-11-2012 के अन्तर्गत किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के अधीन किसी भी अवधि की सजा काट चुके सिद्धदोष बन्दियों की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचारण शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13-4-2005 के अन्तर्गत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

विधिक रूप से आजीवन कारावास की सजा का तात्पर्य जीवन पर्यन्त सजा से है, जिसकी समय-सीमा निर्धारित किया जाना उचित नहीं है।

प्रदेश की जेलों में बीमारियों के ग्रस्त कैदियों की समय पूर्ण रिहाई की योजना सम्बन्धी जानकारी

43-श्रीमती माधुरी वर्मा-

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जेलों में गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त निरुद्ध महिला एवं पुरुष कैदियों की समय पूर्ण रिहाई के सम्बन्ध में, सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम यादव-

जी हां।

आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों जो वृद्ध, अंग शैथिल्य अथवा घातक बीमारी से पीड़ित हैं, को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-432 सपठित उ0 प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-195, 196 तथा 197 के अन्तर्गत इनफरमिटी रोल पर समयपूर्व रिहाई हेतु विचार केस टू केस गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1658/22-2-2004-25(94)/97 दिनांक 06-09-2004 एवं शासनादेश संख्या-1292/22-2-2012-19 जी/2012 दिनांक 01-11-2012 द्वारा प्रक्रिया निर्धारित है।

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध वृद्ध, अंग शैथिल्य अथवा घातक बीमारी से पीड़ित सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा 14 वर्ष से कम सजा भोगी गयी है को संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई हेतु विचारण केस टू केस किया जाता है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13-4-2005 तथा शासनादेश संख्या-796/22-2-2012-18(64)/99टी0सी0 दिनांक 29-6-2012 उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के विकास खण्ड कोटखैरा चौराहे की खराब लाइट ठीक कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

44-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विकास खण्ड कोटखैरा चौराहे पर लगी खराब हाईमास्क लाइटों को ठीक कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-04-2013 जिलाधिकारी बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

हाईमास्ट लाईट ट्रांसफार्मर की खराबी से नहीं जल रहा है जिसे ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत विभाग को ठीक कराने के लिये अवगत कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, रेडियो थिरेपी की व्यवस्था कराने विषयक

45-श्री गुटियारी लाल दुवेश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के एस0एन0 अस्पताल में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, रेडियो थिरेपी की व्यवस्था न होने के कारण मरीजों को इलाज हेतु अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, रेडियो थिरेपी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सी0टी0 स्कैन की सुविधा वेटलीज के आधार पर उपलब्ध है। एम0आर0आई0 मशीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मेडिकल कालेज, आगरा के लिये सी0टी0 स्कैन मशीन एंव एम0आर0आई0 मशीन के क्रय हेतु बजट का प्राविधान कर दिया गया है।

रेडियोथेरेपी विभाग उपलब्ध संसाधनों से क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही कतिपय क्षतिग्रस्त रोडों की मरम्मत कराये जाने विषयक

46-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर मार्ग पर डालमिया चीनी मिल नहर पुलिया से नहर पटरी पर कुदिरना तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में नहीं है और न ही जिला पंचायत की बैठक में उक्त मार्गों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है।

जनपद शाहजहांपुर में विकास खण्ड सिन्धौली में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने की मांग

47-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिन्धौली में कटिया बुजुर्ग शाहजहांपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम तेरा कटिया बुजुर्ग शाहजहांपुर मार्ग से करनापुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग जो बरसात के समय जलभराव हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाश-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के स्वामित्व में नहीं है और न ही जिला पंचायत की बैठक में उक्त मार्गों के डामरीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पारित हुआ है।

[11.56 बजे] नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित मा0 सदस्यों के नाम के सम्मुख सूचनायें स्वीकार की गईं जो पढ़ी हुई मानी गईं।

पहली सूचना श्री इन्दल कुमार की जनपद लखनऊ के ग्राम भपटामऊ निवासी विधवा महिला की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की जनपद शाहजहांपुर के विसरात घाट को रेती रोड से जोड़ने हेतु छोटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद बिजनौर के सेवानिवृत्त चेचक निरीक्षक के पेंशन आदि देयों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री उपेन्द्र तिवारी की जनपद बलिया के अन्तर्गत फेफना विधान सभा क्षेत्र में नई तहसील चितवाड़ा बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

पाँचवीं सूचना श्री फेरन लाल की जनपद ललितपुर के महरौनी से नारहट रोड की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री राजबली जैसल की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव अन्तर्गत बहरैचा हनुमान मन्दिर के सामने लपरी नदी में पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की जनपद बहराइच में स्थित नवाबगंज अन्तर्गत रूपईडीहा रेलवे स्टेशन से एन0एच0 28 सी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री वीरपाल राठी की जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर के मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री मदन चौहान की गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के मध्य किये गये कार्यों व किये गये भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

दसवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, कासगंज में नवस्थापित पानी की टंकियों से पेयजल आपूर्ति न शुरू होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में गुलड़िया गौरी शंकर विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं सूचना श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है

चौदहवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी की कतिपय कालोनियों के मध्य पक्के नाले एवं सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में है।

पन्द्रहवीं सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की चित्रकूटधाम मण्डल के कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान द्वारा भ्रष्ट कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष माननीय सदस्य की सूचनायें अस्वीकार की गयीं। अब कुछ नहीं लेंगे। यह लोग रहते नहीं है नोटिस देकर के टाइम वेस्ट करते हैं।

(अनेक सदस्यों द्वारा अपनी-अपनी सूचना लिये जाने का आग्रह करने पर)

ठीक है, जो क्रम बना है अस्वीकृत सूचनाओं का उसी क्रम में से पहली श्री ममतेश शाक्य की, दूसरी श्री धर्मपाल सिंह की, तीसरी श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की, चौथी श्री रवीन्द्र जायसवाल की, पांचवी श्री अनिल कुमार की, छठी श्री चन्द्र भान सिंह पटेल की स्वीकार की गयी।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री शमशेर सिंह बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री कालीचरन सुमन, श्री बृजेश कुमार/श्री दीपक पटेल एडवोकेट, श्री सन्तराम कुशवाहा, डा0 अरूण कुमार, श्री दिलनवाज खान, श्री त्रिलोकी राम, श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री रोशन लाल वर्मा, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री राधेश्याम सिंह।

(सदन की सहमति में स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद लखनऊ के ग्राम भपटामऊ की निवासिनी महिला की भूमि पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्दल कुमार-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद व तहसील सदर लखनऊ स्थित ग्राम भपटामऊ में खाता खतौनी क्रम संख्या-00336 में अंकित गाटा संख्या-38 व 388 मि0 श्रेणी-1क संक्रमणीय भूमि जो श्रीमती अख्तर जहां बेवा महमूद के नाम अंकित भूमि को कतिपय भू-माफियाओं ने बलात पूर्वक कब्जा कर लिया है, विरोध करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दिया है।

उक्त कृत्य से विधवा महिला के परिवार एवं जान माल की सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो गया है। उक्त कृत्य सरकार के महिला सशक्तिकरण के मंसूबों पर पानी फेरने वाला है। अपरजिलाधिकारी के द्वारा स्थल निरीक्षण/पैमाइश कराकर कब्जा दिलाया जाना अपेक्षित है।

अतः आपसे आग्रह है कि कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को गम्भीरता से लेते हुये उक्त विधवा महिला की भूमि को वापस दिलाने हेतु माननीय अध्यक्ष पीठ से प्रभावी निर्देश देने की कृपा करें।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर के विसरात घाट को रेती रोड से जोड़ने हेतु छोटे पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[महोदय,

मेरे विधान सभा 135-शाहजहांपुर के विसरात घाट को रेती रोड (हथौड़ा चौराहे से पुत्तूलाल चौराहे तक) से जोड़ने के लिये एक छोटा पुल बनना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। काफी दिनों से इसकी मांग की जा रही है तथा जिलाधिकारी के माध्यम से एक प्रस्ताव स्टीमेट सहित शासन के लोक निर्माण विभाग को भेजा गया है। आधे शहर को बीच में जोड़ने वाला यह प्रस्तावित पुल आवागमन के लिये अत्यन्त सुविधाजनक होगा। वर्तमान में मोहल्ला रेती, अहमदपुर, नियाजपुर, लौका विहार, लोधीपुर आदि के निवासी विसरात घाट, हुसेनपुरा, हनुमत धाम आने के लिये 5-6 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आते हैं। विसरात घाट से रेती को जोड़ने वाला प्रस्तावित पुल, जो खन्नौत नदी पर बनेगा, के बनने के बाद उक्त क्षेत्र के लोगों को चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये विसरात घाट को रेती रोड से जोड़ने वाला पुल एप्रोच रोड सहित बनवाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बिजनौर के सेवानिवृत्त चेचक निरीक्षक के पेंशन आदि देयों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[महोदय,

श्री रामगोपाल सिंह, सेवानिवृत्त चेचक निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग, जनपद बिजनौर (उ0प्र0) दिनांक 30 सितम्बर, 1995 को सेवानिवृत्त होने के तुरन्त बाद से ही निरन्तर प्रत्यावेदन एवं संबंधित अधिकारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करके पेंशन अनुमन्य कराये जाने हेतु तन्मयता से प्रयत्नशील हैं। परन्तु अब तक संबंधित अधिकारियों ने उनकी वेदना एवं टीम के सम्बन्ध में अपेक्षित सहयोग नहीं किया है।

ज्ञातव्य हो कि उक्त श्री रामगोपाल की स्वास्थ्य विभाग से चेचक निरीक्षक के पद पर दिनांक 14 अगस्त, 1962 को नियुक्ति हुई तबसे दिनांक 30 सितम्बर, 1970 तक सेवा की तथा जिलाधिकारी, बिजनौर के आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 1970 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 1970 को सेवा समाप्त कर दी गयी। जिन्हें पुनः विचारोपरान्त स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी। इस प्रकार पुनः दिनांक 26 सितम्बर, 1989 से 30 सितम्बर, 1995 तक स्वास्थ्य विभाग में सेवा की। पेंशन हेतु पुर्नविचार प्रत्यावेदन दिनांक 31 जुलाई, 2013 को जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा पुनः दिनांक 14 अक्टूबर, 2013 को निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध मण्डलायुक्त के समक्ष कार्यवाही योजित की गयी जिसमें की दो विकल्प पेंशन हेतु उल्लिखित किये गये प्रथम दिनांक 14 अगस्त, 1962 से 30 सितम्बर, 1970 तक तथा दिनांक 26 सितम्बर, 1989 से 30 सितम्बर, 1995 तक दोनों अवधि

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जुड़वाकर तथा दूसरा अंतिम 6 वर्ष की सेवा विशेष परिस्थिति 10 वर्ष की छूट प्रदान कर पेंशन स्वीकृत की जाये। इस प्रकार न्याय विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग तथा प्रशासन विभाग से कथित प्रकरण में सहमति अपेक्षित हुई तद्नुसार उक्त प्रत्येक विभाग ने सकारात्मक टिप्पणी के साथ ही साथ सहमति भी प्रदान की है। परन्तु संबंधित पत्रावली बार-बार इधर से उधर प्रेषित करके 30 सितम्बर, 1995 से अब तक लगभग 19 वर्षों से श्री राम गोपाल सिंह को अनावश्यक परेशान किया जा रहा है जिसकी दो अविवाहित पुत्रिया हैं। भरण-पोषण पुत्रियों के विवाह आदि का कोई संसाधन नहीं है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस तात्कालिक विषय पर सदन में चर्चा कराये जाने की अनुज्ञा प्रदान कराने की कृपा की जाये साथ ही संबंधित विषय पर कार्यवाही कराने की भी मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के अन्तर्गत फेफना विधान सभा क्षेत्र में नई तहसील चितवड़ा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र तिवारी-

[महोदय,

बलिया जनपद स्थित फेफना विधान सभा का क्षेत्र लगभग 75-80 किमी0 की दूरी में बंटा हुआ है। आज फेफना विधान सभा के लोगों को न्यायिक कार्यों हेतु बलिया मुख्यालय पर सदर तहसील जाने की आवश्यकता पड़ती है जो काफी दूर पड़ता है। जिस कारण एक ओर जहां समय की बर्बादी होती है वहीं दूसरी ओर धन का व्यय भी ज्यादा होता है। जबकि फेफना विधान सभा के मध्य चितवड़ा गांव टाउन एरिया पहले से चली आ रही है। इसलिये चितवड़ा गांव नगर में ही सदर तहसील चितवड़ा गांव बना दिया जाय। इससे यहां के नागरिकों को काफी सुविधा हो जायेगी। जनहित में तहसील का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः लोकमहत्व की इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये फेफना विधान सभा क्षेत्र की चितवड़ा गांव को नया तहसील बनाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद ललितपुर के महरौनी से नारहट रोड की मरम्मत/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फेरन लाल-

[महोदय,

अवगत कराना है कि जिला-ललितपुर के विधान सभा के महरौनी से नारहट रोड दूरी लगभग-28 कि0मी0 पी0एम0जी0वाई0 के तहत बनाया गया था जो कि मानक के अनुरूप एवं गुणवत्ताहीन निर्माण होने वह तुरन्त ही खराब हो गयी उसमें बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं एवं बरसात के समय सड़क के गड्ढों में पानी भर जाता है आवागमन बाधित होता रहता है। जिससे अनेकों दुर्घटनायें होती रहती हैं, जिसके कारण से क्षेत्रीय जनता को आवागमन हेतु एवं बरसात के समय भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में अनेकों बार पत्राचार के माध्यम से एवं वर्तालाप

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से शासन को अवगत कराया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रतिभारी जनाक्रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये जनहित में उक्त सड़क की मरम्मत/लेपन कार्य कराने की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत बहरैचा हनुमान मन्दिर के सामने लपरी नदी में पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजबली जैसल-

[महोदय,

अवगत कराना है जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र कोरांव के अन्तर्गत ग्राम-बहरैचा ग्राम के हनुमान मन्दिर के सामने लपरी नदी में पुल का निर्माण न होने से भरसा लाला का पुरवा जहां इटवा कला से महुली तक पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। लोगों के आवागमन में काफी असुविधा होती है उक्त स्थान पर बन जाने से कई ग्रामवासियों को आने-जाने की सुविधा हो जायेगी। उक्त स्थान पर पुल के निर्माण हेतु पूर्व में मेरे द्वारा दिया गया प्रस्ताव/आगणन भी शासन में लम्बित है उपरोक्त स्थान पर पुल का निर्माण न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये बहरैचा हुनमान मन्दिर के सामने लपर नदी में पुल निर्माण कराये जाने की कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच में स्थित नवाबगंज अन्तर्गत रूपईडीहा रेलवे स्टेशन से एन0एच0 28 सी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माधुरी वर्मा-

[महोदय,

अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 283, नानपारा, जनपद-बहराइच में स्थित नवाबगंज ब्लाक बार्डर डेवलपमेंट के अन्तर्गत आता है। रूपईडीहा कस्बा नेपाल राष्ट्र के बार्डर पर स्थित है। रूपईडीहा रेलवे स्टेशन से एन0एच0 28 सी मार्ग तक सड़क बहुत ही जर्जर एवं गड्ढायुक्त हो गयी है जिसका पुनर्निर्माण बार्डर डेवलपमेंट से तत्काल कराया जाना अति-आवश्यक है। इसलिये शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये अनुरोध है कि शासन शीघ्र उक्त मार्ग के पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना अति-आवश्यक है। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः जनहित के इस अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करती हूं।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर के मुख्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरपाल राठी-

[महोदय,

जनपद सुल्तानपुर के तहसील कादीपुर के अन्तर्गत ब्लाक अखण्डनगर के अन्तर्गत ग्राम हाजीपुर बीरी के मुराल के बांध से हाजीपुर व चिचियौना की ओर लगभग 2.00 किमी0 मुख्य सम्पर्क मार्ग अति क्षतिग्रस्त हो गयी है तथा पत्थर, गिट्टी उखड़ गये हैं, मुख्य सम्पर्क मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं जिससे क्षेत्रीय जनता को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गांव के गम्भीर मरीज को अस्पताल ले जाने में उक्त मार्ग के खराब होने के कारण देरी हो जाने से मौत भी हो जाती है। इसके पुनर्निर्माण कराने के लिये जिला प्रशासन को कई बार प्रार्थना-पत्र दिया गया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह प्रकरण जनहित से संबंधित है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त मुख्य सम्पर्क मार्ग के पुनर्निर्माण/मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूं।]

गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका द्वारा वर्ष 2011 से 2014 के मध्य किये गये कार्यों व किये गये भुगतान की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[महोदय,

पूर्व में नगरपालिका गढ़मुक्तेश्वर में फर्जी कार्यों की भरमार रही तथा कार्यों की गुणवत्ता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा नगर पालिका के पूर्व के कार्यों का भुगतान 2011-2012, 2012-2013 व 2013-2014 जो लम्बित पड़े थे आज किया जा रहा है जिसमें कार्य भौतिक रूप से मार्ग निर्माण नहीं हुआ लेकिन भुगतान हो रहा है जो पूर्णतयः राजस्व की हानि है। इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर मैं ध्यानाकर्षित करते हुये उच्चस्तरीय जांच शासन से टी0ए0सी0 के द्वारा कराने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, कासगंज में नवस्थापित पानी की टंकियों से पेयजल आपूर्ति न शुरू होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ममतेश शाक्य-

[महोदय,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नवस्थापित पानी की टंकियों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमांपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नवस्थापित पानी की टंकियों का निर्माण किया गया था। जिसके संचालन हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान को अधिकृत किया गया है। समस्त ग्रामवासियों को नलों का कनेक्शन भी अभी तक नहीं दिया गया है तथा पानी की टंकियां निष्प्रयोज्य पड़ी है। जिससे पेयजल संकट यथावत बना हुआ है।

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं विधान सभा क्षेत्र अमांपुर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नवस्थापित पानी की टंकियों से समुचित पेयजल आपूर्ति किये जाने वास्ते उचित प्रबन्ध किये जाने एवं समय-सीमा के अन्तर्गत इन टंकियों के समुचित प्रयोग किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला में गुलड़िया गौरी शंकर विद्युत सब-स्टेशन की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय,

ग्राम गुलड़िया गौरीशंकर ब्लाक-मझगवां आंवला विधान सभा क्षेत्र जनपद बरेली का महत्वपूर्ण गांव है और यह अलीगंज बिजली घर व बरसेर बिजली घर के बीच स्थित है।

ग्राम अलीगंज बिजली घर लगभग 90 ग्रामों को बिजली आपूर्ति करता है। इसीलिये लाइन खराबी व अन्य तकनीकी कारणों से पश्चिम दिशा के लगभग 40 ग्रामों को बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि ग्राम गुलड़िया गौरीशंकर विद्युत सब-स्टेशन बना दिया जाय।]

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना के कतिपय मजरों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र-222, बबीना (झांसी) में ग्राम पंचायत-हीरापुर के मजरा-ढंगा एवं आदिवासी बस्ती तथा ग्राम पंचायत खाड़ी में बैरागढ़ एवं खुशीपुरा मजरा, ग्राम पंचायत-बेदौरा के मजरा-भड़रा, छोटी डुबकी, बड़ी डुबकी, छर्रा एवं आदिवासी कालोनी में आजादी से अब तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है तथा लोग आज के इस वैज्ञानिक युग में विद्युतीकरण न होने से नारकी जीवन को मजबूर हैं, जिससे क्षेत्रीय जनता को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी उत्तरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

[महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र वाराणसी उत्तरी के अन्तर्गत पेयजल का भीषण संकट है। इस क्षेत्र में पानी की टंकियों, हैण्डपम्प, ट्यूबवेलों की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र के निवासियों को

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेयजल की समस्या से जूझना पड़ता है। पेयजल की समस्या के निदान हेतु हुकूलगंज, पांडेपुर, तरना, लहरतारा, रमरेपुर पचकोशी, बघवानाला, बड़ी बाजार, ढेलवरिया, शैलपुत्री के पास ट्यूबवेल लगाया जाना जनहित में आवश्यक है। इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा काफी समय से ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग की जाती रही है परन्तु अभी तक ट्यूबवेल न लगने से जनमानस में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये ट्यूबवेल लगाकर जलापूर्ति किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी की कतिपय कालोनियों के मध्य पक्के नाले एवं सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव सरवट जिसकी आबादी लगभग 60 हजार है और यह गांव क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। इस गांव के अन्तर्गत 20 बड़ी-बड़ी कालोनियां हैं। ग्राम पंचायत होने के कारण शासन से विकास कार्य के लिये सीमित ही धनराशि उपलब्ध हो पाती है। जिससे इस गांव के कई क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाता है। इस गांव के मुहल्ला निरालानगर, अंकित विहार व बचन सिंह कालोनी व आदर्श कालोनी के मध्य यह एक कच्चा नाला गुजरता है। जिससे जलभराव होने के कारण यहां की स्थिति बहुत दयनीय है। बरसात के मौसम में मुहल्ले वालों के घरों में गन्दा पानी घुस जाने के कारण लोगों को अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। मोहल्लेवासियों द्वारा उक्त नाले के पक्के निर्माण व दोनों ओर की पटरियों को सी0सी0 निर्माण न किये जाने से क्षेत्रीय लोगों को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उक्त गांव में नाले के दोनों तरफ पटरी के दोनों तरफ सी0सी0 रोड बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

चित्रकूटधाम मण्डल के कार्यवाहक अधिशाषी अभियन्ता, जल संस्थान द्वारा भ्रष्ट कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्रपाल सिंह पटेल-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद-चित्रकूट में श्री दयाशंकर बाजपेयी कार्यवाहक अधिशाषी अभियन्ता जल संस्थान चित्रकूट जो चित्रकूट मण्डल के मूल निवासी हैं। चित्रकूट के पूर्व इनकी तैनाती अपने मूल जनपद-बांदा में थी, शिकायत के आधार पर इनका स्थानान्तरण जनपद-बांदा से चित्रकूट में हुआ था। यह सबसे जूनियर अभियन्ता है फिर भी अपने स्वजातीय महाप्रबन्धक की सांठ-गांठ से जनपद-चित्रकूट में सहायक अभियन्ता के पद के साथ-साथ कार्यवाहक अभिशाषी अभियन्ता का पद

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भार ग्रहण किये हुये हैं। इनकी सभी रिश्तेदारियां इसी मण्डल में हैं। चित्रकूट जनपद में लगभग 80 लाख रुपये के गोपनीय टेण्डर बहुप्रचारित समाचार-पत्रों के स्थानीय एडीशनल में न देकर अपने चहेते ठेकेदारों को गोपनीय तरीके से टेण्डर देने का कार्य किया था। इनके द्वारा बिना कार्य कराये हुये भी अपने चहेते को 60 प्रतिशत कमीशन लेकर सरकारी धन का भुगतान करा लिया गया है। स्थल में कुछ कार्य आज भी अधूरे हैं। अपने कार्यालय में पत्र सं0 404/लेखा-5 मानिकपुर, 480/लेखा-5 मानिकपुर, सरकारी धन को अपने चहेते ठेकेदारों के माध्यम से निकाल कर हड़पने का कार्य किया है। मैंने कई बार लिखित पत्र भी बिन्दुवार शिकायत की है। जिसकी अभी तक कोई जांच एवं कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मेरा सरकार से अनुरोध है कि कार्यवाहक अधिशाषी अभियन्ता जल संस्थान चित्रकूट धाम मण्डल श्री दयाशंकर बाजपेयी की भ्रष्ट कार्यों की तत्काल जांच कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

[11.56 बजे] औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-300 की आज प्राप्त 6 सूचनाओं में से कोई सूचना ग्राह्य नहीं है।

सदन में प्रस्तुत कुम्भ मेले एवं स्मारकों के सम्बन्धित महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा कराये जाने विषयक औचित्य के प्रश्न को उठाने का प्रयास

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब आपका ऐसे कैसे ग्राह्य हो जायेगा ?

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप वरिष्ठ सदस्य हैं और आप समितियों में भी हो, यह कैसे इसमें आयेगा ? यह इसमें आयेगा नहीं, हम सुनेंगे नहीं, गलत बात है। आप जबरदस्ती मत करिये अगर आपको व्यवधान डालना हो तो पहले बता दीजिये। यह एक भी नहीं बनता है, यह नहीं लिया जायेगा।

(श्री प्रदीप माथुर एवं श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर)

आप जबरिया बोल रहे हैं, आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा न यह हमारे कार्यवाही का अंग है। कल इस पर फैसला हो गया, यह पी0ए0सी0 में जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब जाइये, चले जाइये तब आइयेगा।

(श्री प्रदीप माथुर अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

[11.59 बजे]जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमुकुहीराज के विकास खण्ड दुदही में कतिय पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र यादव आदि निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमुकुहीराज के विकास खण्ड दुदही में कतिय पुलों का निर्माण कराये जाने विषयक श्री जितेन्द्र यादव व श्री बिजुल प्रसाद निवासीगण जनपद कुशीनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद जालौन के विकास खण्ड नदीगांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबली में मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहर सिंह कुशवाहा आदि निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री सन्त राम कुशवाहा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद जालौन के विकास खण्ड नदीगांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बाबली में मृगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहर सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेरिया मोड़ नरीपुरा धनौली से पानी निकासी हेतु मलपुरा तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रमेश चन्द्र सागर आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री कालीचरन सुमन-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खेरिया मोड़ नरीपुरा धनौली से पानी निकासी हेतु मलपुरा तक पक्के नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रमेश चन्द्र सागर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामों तक कृषि योग्य जमीन के कटान रोकने हेतु तटबन्ध (ठोकर) एवं चेकडैम का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चरन सिंह वर्मा आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री काली चरन सुमन-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत यमुना नदी के किनारे बसे ग्रामों तक कृषि योग्य जमीन के कटान रोकने हेतु तटबन्ध (ठोकर) एवं चेकडैम का निर्माण कराये जाने विषयक श्री चरन सिंह वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-6 में कुछ नहीं है।

---

† छापी नहीं गयी।

[12.01 बजे] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 03 जुलाई, 2014 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 04 जुलाई, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

1-दिनांक 03 जुलाई, 2014 को सदन में पुरःस्थापित विधेयक पर विचार एवं पारण सम्बन्धी मदें दिनांक 04 जुलाई, 2014 को ली जायं।

2-तद्नुसार दिनांक 04 जुलाई, 2014 से 18 जुलाई, 2014 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

<u>जुलाई, 2014</u>

04 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)। 3-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसका पारण।
05 शनिवार 06 रविवार	बैठक नहीं होगी।
07 सोमवार 08 मंगलवार 09 बुधवार 10 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
11 शुक्रवार	1-असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2-विधायी कार्य (आधा दिन)।
12 शनिवार 13 रविवार	बैठक नहीं होगी।
14 सोमवार 15 मंगलवार 16 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

17 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

2-3.00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2014 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

18 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

2-विधायी कार्य (आधा दिन)।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-8 इसमें कुछ नहीं है।

[12.02 बजे] उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014†

लोक निर्माण, सिंचाई एवं राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) (संशोधन) विधेयक, 1014 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 के विचार एवं पारण सम्बन्धी मद संख्या-21 को पहले लिये जाने का अनुरोध

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, एक अनुरोध है। आज की कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश जो सदन ने पारित की है उसमें है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं उसका पारण। यह कार्य सूची में नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

है, आप मद संख्या-21 को देखो। आप पूरा पढ़ तो लिया करो।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

अध्यक्ष जी, पहले इसी को ले लीजिये जिसको माननीय मंत्री जी ने कहा है, इसके बाद में फिर दूसरी मदों को लीजिये।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध था कि यदि असरकारी दिवस यदि सरकारी कार्य के बाद होता, आधे दिवस का मामला है। चूंकि क्रम के हिसाब से यह यहां आ गया है। यदि इन चर्चाओं के पूर्व अग्रेत्तर इसको कर लेते तो ज्यादा उचित रहता, यही मेरा अनुरोध था। मैं इसी वजह से इसको यहां ढूंढ रहा था। मेरी गलती है लेकिन मैं यहां इसलिये ढूंढ रहा था कि उसके बाद आधा असरकारी दिवस जो है, वह चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्यगण, जब असरकारी दिवस होता है और यह आपका दिवस होता है, विपक्ष के विधायकगण या कोई विधायक प्राइवेट बिल लाते हैं, अपना संकल्प रखते हैं तो इस तरह से यह आपका ही होता है। नियम-56 के अन्तर्गत होता है कि काम रोक करके जो विषय है उसको प्राथमिकता के आधार पर सुना जाए। इस प्रकार से यदि आप ही के काम रोक करके आपका ही सुना जाना है तो यह उचित नहीं है, ऐसा नियम नहीं है और परम्परा भी नहीं है इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज नियम-56 नहीं लिया जायेगा आज इस पर चर्चाएं चलेंगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नियम-56 पर ध्यान ही आकृष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 खन्ना साहब, आप तो विद्वान हैं, इसीलिये मैं आपको यहां पर बैठाता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, हम बहुत आपको सुनते हैं आज आप हमारी सुन लीजिए, सोमवार को जो कहना हो खूब कहियेगा, कृपया बैठ जाइये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मैं निवेदन करना चाहता हूं चूंकि व्यवस्था तो पीठ से ही आती है इसलिए मेरा अनुरोध है कि क्योंकि कल मा0 सदस्यों को इस बात की जानकारी थी कि आज नियम-56 लिया जायेगा। इसलिए सूचनाएं आ गईं तो आप इसे न लें लेकिन उस पर सरकार का ध्यान खींच लें इससे इनकी सूचनाओं का सम्मान रह जायेगा और आपकी व्यवस्था का भी सम्मान रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप कहें तो मैं सोमवार के लिए ट्रांसफर कर सकता हूं लेकिन आज नहीं, आज छोड़ दीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

यह अच्छी परिपाटी नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अम्बिका चौधरी जी का कहना है कि पहले विधेयक को ले लिया जाए।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मेरा अनुरोध सिर्फ इसलिए है कि असरकारी दिवस प्रारम्भ होने के बाद सरकारी कार्य लिये जाने की न कोई परम्परा है और न ही इसके पहले ऐसा हुआ है। सरकारी कार्य असरकारी दिवस के बाद के लिए पेंडिंग रखा जाए यह ठीक नहीं होगा क्योंकि असरकारी दिवस जब प्रारम्भ होगा तो असरकारी दिवस ही चलेगा इसलिए जो क्रम-21 पर आ गया है इसको अग्रेता दे करके इसे ले लीजिए यही हमारा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता विरोधी दल, सरकार का कहना है कि विधेयक पहले ले लिया जाए यह 21वें नम्बर पर चला गया है उसके बाद यह लगातार चले, दो मिनट लगेगा अगर आप सभी की अनुमति हो तो ले लें।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मा0 अध्यक्ष जी, लगता है कि मा0 मंत्री जी को कहीं जाना है इसीलिए जल्दी में हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप लोग सहमत हों तो पांच मिनट लगेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सहमति है। जब वह पहले से ही कार्यसूची में है, लिया ही जाना है तो कोई आपत्ति नहीं है, लिया जा सकता है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जब आपका आदेश है तो सहमति तो है ही, आपका आदेश शिरोधार्य है इस निवेदन के साथ कि असरकारी दिवस के अवसर पर सरकार भी उपलब्ध रहे ऐसा न हो कि असरकारी दिवस ही रहे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसा नहीं है, संकल्प जिस मंत्री का है वह तो रहते ही हैं।

[12.08 बजे] उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मा0 अध्यक्ष जी, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सदन के सामने उपस्थित होंगे। मान्यवर, आपकी हर चीज बड़ी छोटी सी होती है लेकिन उसका प्रभाव बड़ी दूर तक जाता है। छोटी चीजों के माध्यम से आप क्या-क्या कर जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में जो अध्यक्ष होते हैं उनकी उम्र पहले 65 साल थी अब उसे बढ़ाकर 68 साल कर दिया गया है सरकार को अपने सारे विभागों के बारे में, सारे निगमों के बारे में और अपने द्वारा बनाये गये सारे आयोगों के बारे में एक स्पष्ट नीति रखनी चाहिए, इसमें पिक एण्ड चूज नहीं होना चाहिए। हम जिस पद को जब चाहें 65 से 68 कर दें और जिसको जब चाहें 68 से 65 कर दें व्यक्ति सापेक्ष निर्णय लेंगे तो जो कानून की अवधारणा है कि इस देश में कानून का राज्य चलता है व्यक्ति का नहीं, वह अवधारणा समाप्त हो जाती है। हमें जो सत्ता दी गयी है, हमें जो ताकत दी गयी है, हम बहुत बार उसका उपयोग करते-करते दुरुपयोग करने लगते हैं। बातें यहां से निकलती हैं और कोर्ट तक चली जाती हैं और यह आरोप लगने लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यह कार्यकाल 65 साल से बढ़ाकर 68 साल किया जा रहा है। यह बहुत सैद्धान्तिक प्रश्न है। अध्यक्ष जी, कई सदस्य समर्थन में सिर हिला रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार के पास अपनी प्रशासनिक कमेटी है जो इस बात का निर्णय कर सकती है कि कौन सी वह उम्र मानी जाए जिसके बाद आदमी रिटायर कर दिया जाना चाहिए। अलग-अलग विभागों में रिटायरमेण्ट की अलग-अलग उम्र हो अलग-अलग निगमों और आयोगों में अलग-अलग उम्र हो, यह समझ के परे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 60 साल हो, उच्च शिक्षा में 62 हो और जहां सबसे अधिक शिक्षकों की कमी है मेडिकल कालेजों में, हम लोग रगड़ते रह गये कि उनकी रिटायरमेण्ट की उम्र बढ़ा दी जाए क्योंकि शिक्षकों की कमी दूर नहीं हो रही है, सरकारी अस्पतालों में हम लोग रगड़ते रह गये कि उनकी उम्र बढ़ा दी जाए कि डाक्टरों की कमी दूर नहीं हो रही है। आप इन्हीं शिक्षकों और डाक्टरों को 60 साल पर रिटायर कर देते हो फिर संविदा पर नियुक्त कर लेते हो यानी आप यह मानते हो कि जो रिटायर हो गये वह मेडिकल कालेज में पढ़ाने के योग्य है और जिला अस्पताल में चिकित्सा देने के भी योग्य हैं अर्थात् योग्यता के आधार पर तो आपने उन्हें रिटायर किया नहीं है। आपने जिद पकड़ी हुई है कि हम उनको रिटायर कर ही देंगे। आपने दिल्ली में एक राम मनोहर लोहिया कर लिया। ऐसी विसंगति है अध्यक्ष जी, मेडिकल कालेज, बी0आर0डी0 में जहां शिक्षकों की कमी है वहां रिटायरमेण्ट 62 साल में होगा और राम मनोहर लोहिया में रिटायरमेंट 65 साल में होगा। फल क्या हुआ, यह हुआ कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में जो बड़े-बड़े चिकित्सक वहीं गोरखपुर में काम करते हुए लेक्चरर से प्रोफेसर तक गये, जब गोरखपुर को अपनी सर्वाधिक सुविधा दे सकते थे तो उन्होंने जोड़ घटाना किया कि यदि वहां चले

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेंगे तो हमको 3 साल काम करने का मौका और मिलेगा। उन्होंने गोरखपुर छोड़ दिया और आपने राम मनोहर लोहिया में उन्हें ले लिया, फल क्या हुआ ? मैं नाम गिना सकता हूं लेकिन यह सदन उन नामों के लिए नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार लड़ते हैं शिक्षकों की कमी के नाते और आपकी नीतियों के नाते वहां शिक्षकों की कमी होती चली जा रही है। तो आखिर सरकार कब तक यह मनमानी करेगी, सरकार को कहीं न कहीं एक समिति बनानी चाहिए और यह तय करना चाहिए...

(मा0 मुख्य मंत्री जी के आसन के पास एक सदस्य के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आप काफी देर से खड़े हैं या तो बात कर लीजिए या तो चले जाईये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

बात कर लेने दीजिए और आश्चर्य की बात है मा0 अध्यक्ष जी कि एक ऐसे मुख्य मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वह उपलब्ध नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

नौ बजे ही आफिस आ जाते हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

यह बिल्कुल सत्य है अध्यक्ष जी। मैं विषयान्तर नहीं करूंगा। तो मैं सरकार से मांग करूंगा समस्त विपक्ष की ओर से और अपने मा0 सदस्यों की ओर से भी जो उधर बैठे हैं, सरकार इस पर व्यक्ति सापेक्ष निर्णय न ले, एक कमेटी बना दे, वह इस पर गम्भीरता से विचार कर ले, सरकारी सेवाओं के बारे में, निगमों के बारे में और आयोगों के बारे में। जितने आयोग हैं उसकी रिटायरमेन्ट की एज, जितने निगम हैं उसकी रिटायरमेंट की एज और जितनी सेवायें हैं उसकी रिटायरमेट की एज तय कर लें मुझे कोई एतराज नहीं है अन्यथा एक किसी आयोग में यह किया जाना अनुचित है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, डा0 राधा मोहन दास जी ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव रखा है और उसके हवाले से कई दूसरे विभागों की चर्चा उन्होंने की है। उसकी बातों में कहीं व्यतिक्रम को दूर किए जाने का आग्रह है यही मात्र है। इस संशोधन को उन्होंने इस मेरिट पर कहीं नहीं कहा कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में आयु बढ़ा देने से बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाएगी ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। जो संशोधन हम लेकर आए हैं इसकी उन्होंने कोई आलोचना नहीं की उन्होंने जो कुल तर्क दिया है वह यह दिया कि एकरूपता होनी चाहिए विभिन्न आयोगों में विभिन्न आयोगों की कार्य प्रणाली भिन्न है इसलिए उन आयोग में किसी में सदस्य बढ़ाने की आवश्यकता है किसी में घटाने की आवश्यकता है। जहां तक रिटायरमेंट की आयु का सवाल है पहले से ही तमाम सेवाओं में यह बात चली आ रही है आयोग में नामिनेशन की बात और इम्प्लाइज के रिटायरमेंट के प्रकरण अलग-अलग तरह के हैं। पिछली बार जब माननीय नेता जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अध्यापकों की आयु को 58 से 60 साल किया कहीं 60 से 62 साल किया। आज मैं उसको उद्धत नहीं करना

चाहता कि किस सेवा में कितना किया किस सेवा में कितना नहीं किया। यह पहला उदाहरण नहीं है मैं अग्रवाल साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संशोधन तो रखा लेकिन जो प्राविधान हम संशोधन के लिए ले आए हैं इसके प्रति उन्होंने कोई ऐतराज नहीं किया। यह छोटे-छोटे दो संशोधन हैं मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें और सर्वसम्मति से इसको पारित कराएं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मैंने कहा कि व्यक्ति सापेक्ष निर्णय नहीं होना चाहिए अब अगर यह खुलकर व्यक्ति सापेक्ष निर्णय को कहलाना चाहते हैं तो मैं कह दूं। दूसरी बात सरकार अगर यही कह देती कि हम रिटायरमेंट के बारे में कामन नीति बना लेंगे तो मैं अपने संशोधन को सचमुच वापस ले लेता। इतना बड़ा दिल तो सबका होना चाहिए। हम जो कहें वही सही इससे पता चला पहला दूसरा तीसरा रोज एक संशोधन आए इसका कोई मतलब नहीं है। आप यही कह दीजिये कि हम रिटायरमेंट की उम्र के लिए विचार करेंगे और कमेटी बनायेंगे मैं समझता हूं कि सब इस पर सहमत हो जाएंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वह विद्वान सदस्य हैं वह जानते हैं। एक प्रस्ताव से यह नहीं हो सकता जब किसी आयोग का गठन होगा तो उसके अध्यक्ष की योग्यता और आयु को लिखना पड़ेगा। एक संशोधन से यह नहीं होगा इसलिए इस संशोधन का कोई अर्थ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16, सन् 1980 की धारा 5 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में न तो नियुक्त किया जायेगा और न इस रूप में बना रहेगा,-

(क) आयोग के अध्यक्ष के रूप में, यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या

(ख) आयोग के सदस्य के रूप में, यदि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।''

(ग) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

''(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले अध्यक्ष के साथ-साथ प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।''

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जनपद देवरिया के 1-गोरखपुर-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा गौरी बाजार रुद्रपुर-कपराट घाट होते बेइहलगंज राष्ट्रीय राज मार्ग तथा 2-कसया राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया-रुद्रपुर-करहकोल होते हुए कौडीराम राष्ट्रीय राजमार्ग तक तथा 3-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से देवरिया रिंग रोड का निर्माण करते हुए सलेमपुर होते हुए भागलपुर होते हुए बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग तक को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करते हुए इसका पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

इस बिन्दु पर माननीय सदस्य श्री अखिलेश प्रताप सिंह ने अग्रेतर चर्चा का निवेदन किया है उनके इस अनुरोध को स्वीकार किया जाता है।

[12.20 बजे] वाराणसी के गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करते हुए उसमें गिरने वाले काले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी दादा द्वारा 21 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि वाराणसी में गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले जल-मल युक्त गन्दे नालों को अविलम्ब बन्द किया जाये।''

मान्यवर गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जाय इस विषय में कोई दो मत नहीं हो सकता और आज सबसे ज्वलंत समस्या है कि पर्यावरण से, गन्दगी से अपने जो आस्था के केन्द्र है, जिनको हम मां के नाम से सम्बोधित करते हैं, मां गंगा, जिनके प्रति लगभग 50 करोड़ से भी अधिक लोगों की आस्था है, उनका विश्वास है और ऐसे लोग जन्म के बाद और मरने के बाद भी उसका उपयोग करते हैं, और बहुत श्रद्धा से करते हैं और विभिन्न आस्थाओं की पूर्ति होगी ऐसा मान करके वह करते हैं। मान्यवर, दिसम्बर 2012 में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश के लगभग 20 राज्यों के 190 छोटे शहरों से गुजरने वाली 41 नदियों की सफाई के काम पर तकरीबन अब तक 4032 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। लेकिन यह विषय हर भारतवासी के सोचने और समझने का है, कि उनकी गाढ़ी कमाई का 4032 करोड़ रुपया जिस गंगा को पर्यावरण से मुक्त करने के लिये गंदगी को साफ करने के लिए खर्च किया गया उस पैसे का क्या हुआ ? उसका परिणाम क्या हुआ ? परिणाम देखने को कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अगर हम अपनी काशी की बात करें तो दिन ब दिन उसकी स्थिति गिरती जा रही है, या उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लगभग 84 घाट है, जिनमें से 20-25 घाट इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि उस पार जो बालू का एकत्रीकरण हो रहा है उस पर रोक लगने से विशेषज्ञों का यह कहना है। मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं विशेषज्ञों का यह मानना है, उनका यह कहना है कि उस कारण पानी का जो दबाव है वह इस तरफ घाटों पर आ रहा है और ऐसा होने से घाटों के अंदर-अंदर खाली हो रहे हैं और उन घाटों को भी खतरा हो गया है और घाट किनारे जो भव्य इमारते हैं, बिल्डिंग हैं, उनको भी खतरा हो गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 2012 में विज्ञान एवं तकनीकी तथा पर्यावरण एवं वन मामलों की विभागीय संसदीय स्थाई समिति ने भी लोक सभा में 2012-2013 के लिये अनुदान सम्बन्धी 224वीं रिपोर्ट पेश करने के दौरान संसदीय समिति ने कहा कि छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत गंगा नदी को साफ सुथरा बनाने के लिये जो एक्शन प्लान बनाया गया और विभिन्न नामों से इसको चलाया गया उसके अंतिम प्रयासों से भी कोई वाकिफ है और वास्तविकता यही है कि गंगा के जल की गुणवत्ता दिनों दिन खराब होती जा रही है अथवा गिरती जा रही है। आज की परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक यह समझा जा रहा है कि जो माडल पर अभी तक सरकारें काम करती आ रही हैं गंगा को साफ करने के लिये, प्रदूषण मुक्त करने के लिये, उस माडल को परिवर्तित किया जाय और आज के आधुनिक टैक्नोलाजी के समय में जो परिणाम आये हैं उससे जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उसको देख कर यह जो माडल है, उसको खत्म किया जाय और नदियों को पुनर्जीवन और उनकी बहाली के उद्देश्य को नये सिरे से शुरू किया जाय जैसा कि वर्तमान केन्द्र सरकार का भी संकल्प है। सभी जो विद्वान है, जो इस पर चिन्तन करते हैं उनका अध्ययन है,

उनका कहना है अतीत की कमजोर प्लानिंग और खराब साफ सफाई के नतीजतन अशोधित घरेलू सीवेज और कचरा गंगा में डाला जा रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का योगदान इस संकट को और भी बढ़ा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2013 के एक अनुमान के अनुसार गंगा की मुख्य धारा और उसकी दो सहायक नदियों रामगंगा और काली गंगा।

764 इंडस्ट्रीज रोजाना 1113 मिलियन औद्योगिक अवशिष्ट डालती है। चिन्ता का विषय यह है कि जहां हम खड़े हैं, जो सरकार है उनके सामने यह विषय है कि 90 फीसदी इन्डस्ट्रीज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह इस नदी में सर्वाधिक प्रदूषण फैला रही है। प्रदूषण फैलाने में पल्प और पेपर उद्योग शामिल है और इसमें टेनरीज की संख्या सबसे अधिक है यह कई बार प्रश्न भी आये कि इन टेनरीज को या और ऐसे उद्योग जो कचरा डालते हैं जिनकी आत्मा मर चुकी है खाली धन कमाना ही उनका एक मात्र उद्देश्य है, उनके लिये जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा असंवेदनशील विभाग है वह प्रदूषण नियंत्रण विभाग है जो उन्हें एन0ओ0सी0 देती है बिना मानक पूरा किये हुए और एस0टी0पी0 जो लगाये जाते हैं वह भी कागज पर लगातार शो कर दिये जाते हैं और विभाग की मिलीभगत के कारण उसको ओ0के0 कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप जितने भी कचरे है उनके अवशिष्ट है उनके कारखाने से सम्बन्धित यह सारे गंगा नदी में आते है। मेरा अपना काशी की गंगा नदी के बारे में अनुभव है, अध्यक्ष महोदय, काशी की गंगा का अपना अलग महत्व है उसके महत्व को देखते हुए पूरे हिन्दुस्तान से देश और विदेश से भी लोग आते हैं कि एक बार बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, गंगाजी में स्नान करेंगे और भी जो दर्शनीय स्थल है उनको भी देखेंगे और अपना जीवन हम धन्य कर लेंगे लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय कि काशी की गंगा का जो जल है उसका प्रवाह घट रहा है वेग घट रहा हैं उसमें जो अवशिष्ट बहुत दूर से चले आते हैं देखने में यह भी आता है कि सीजन में एक बार जरूर ऐसा होता है कि गंगा नदी के जल का रंग बदल जाता है और जो वैज्ञानिक है वह टेस्ट करके यह बताते हैं कि वह पानी पीने योग्य तो नहीं आचमन करने योग्य भी नहीं रह गया है और यही कारण है कि बहुत से जो विदेशी हैं जो वहां आते हैं। वह स्नान करने से परहेज करते हैं। वह गोल्डन टेम्पल देखकर और दर्शनीय स्थलों को देखकर लौट जाते हैं जैसा मैंने कहा आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे गंगा नदी के प्रति 50 करोड़ लोगों का सीधा जुड़ाव है इसलिये गंगा का प्रवाह सीधे महत्व रखता है मैं चाहूंगा कि इस गंगा नदी को और विशेषकर काशी की गंगा नदी को जिसमें तमाम टेनरीज और उद्योग इतने बनारस में तो उद्योग नहीं है लेकिन आस-पास के जिलों में जो चमड़ा उद्योग है और अन्य उद्योग है, पेपर मिल्स है तो रिपोर्ट यह बताती है कि उन लोगों के द्वारा जो बिना शोधित किये हुए जो गन्दा पानी है जो अवशिष्ट है वही उसमें डाला जा रहा है वह बहते-बहते काशी तक पहुंच रहा है और काशी के घाटों को भी उससे खतरा हो रहा है और उसका जल भी दिन-प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी अपने इस छोटे से वक्तव्य के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं क्योंकि जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा खतरा गंगा नदी को जो उत्तर प्रदेश की पेपर मिल है पल्प मिल्स है टेनरीज द्वारा जो अशोधित जल छोड़ा जा रहा है उनके कारण है। सरकार इसका संज्ञान ले और उचित कार्यवाही करे क्योंकि चाहे केन्द्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो जो उसकी गाढ़ी कमाई का पैसा इस पर व्यय हो रहा है और आज तक 4 हजार 32 करोड़ रुपया व्यय हो चुका है उसका सही मूल्यांकन हो, सही उपयोग हो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वरिष्ठ सदस्य, आदरणीय श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' ने जो बातें रखी हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूं कि गंगा की सफाई के काम को केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार बहुत महत्व के साथ ले रही है। मान्यवर, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, हम केवल गंगा तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि वह हमारी आस्था और अस्तित्व के साथ भी जुड़ी है। मान्यवर, आस्था भिन्न-भिन्न हो सकती है लेकिन अस्तित्व तो सबका है। मान्यवर, जिस समय बनारस की गंगा की सफाई की बात होती है, इलाहाबाद की गंगा की सफाई की बात होती है तो मान्यवर, प्रदूषण कानपुर से होता हुआ आगे तक जाता है। मान्यवर, कानपुर से पहले जो नगर हैं वहां से होता हुआ यह प्रदूषण और कचरा आता है, काली नदी के किनारे जो शुगर मिल्स है, उनके द्वारा प्रदूषण होता है, फर्रुखाबाद आदि की शुगर मिल्स से यह प्रदूषण पीछे से आता है और कानपुर में टेनरीज का पानी उसमें और जुड़ जाता है। मान्यवर, उसके कारण जितना यह प्रदूषित जल होता है आपको जानकारी भी है, उस जल को शोधन करने के लिये उसमें जब तक डोमेस्टिम जल नहीं मिलाया जाता है, वह शोधन की स्थिति में भी नहीं हो पाता है और मान्यवर, डोमेस्टिम वाटर जितना आ रहा है और प्रदूषित जल जिसका शोधन हो रहा है, यह डोमेस्टिम वाटर इतना पर्याप्त नहीं है जितना केमिकल मिश्रित पानी आ रहा है जो वहां फैक्ट्रियां हैं जो अपना प्रदूषण गंगा में डालती है। इसीलिये मान्यवर, जो गंगा की सफाई की बात है उस गंगा को पीछे से ले करके अर्थात् फर्रुखाबाद के पास से जैसे ही गंगा हरिद्वार से आगे निकलती है वहां से आगे बढ़ते हुए हर स्टेज पर हर प्रदेश में हर जिले में जहां से गंगा निकलती हैं, शोधन की आवश्यकता है और जब ऐसा किया जायेगा तभी गंगा स्वच्छ हो सकेगी। गंगा सफाई का समग्र रूप से लिया जाए। मान्यवर, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, गंगा में दर्जनों गन्दे नालों का पानी गिर रहा है उनको अविलम्ब बन्द कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने तो संकल्प रखा है और आप इस पर बोल भी चुके हैं। कोई और सदस्य है तो बोलना चाहते हैं ?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

मान्यवर, बनारस में वरुणा नदी का पानी गंगा नदी में जाता है। वरुणा नदी पर एस0टी0पी0 प्लान्ट लगाया गया था, इस एस0टी0पी0 प्लान्ट के लिये 7 अरब रुपये खर्च हो गये लेकिन अभी तक वहां जमीन नहीं मिली है। जमीन न मिलने के कारण 2008 से ले करके आज तक 7 अरब रुपये खर्च करने के बावजूद सारा गन्दा पानी वरुणा में जा रहा है और फिर वरुणा नदी के द्वारा वह सारा गन्दा पानी गंगा में आ रहा है। मान्यवर, वहां पर प्लान्ट के लिये तत्काल सरकार जमीन दे जिससे वरुणा नदी गंदी न हो सके और गंगा की सफाई हो सके।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जो संकल्प मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी ने रखा है, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस पूरे सदन की इस पर दो राय हो ही नहीं सकती। यह ऐसा विषय है, जिस पर दो राय होने का

कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न सिर्फ यह है कि हम इसके लिये कितने सक्रिय है इसके लिये हम कितने सचेत हैं और इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता किस स्तर की है यह महत्वपूर्ण बात है। विगत दो दशक से ज्यादा समय से कभी गंगा एक्शन प्लान-1, कभी गंगा एक्शन प्लान-2, इनके नाम पर मान्यवर, हजारों करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और जो बात आपने कही कि टेनरीज का पानी कई जगहों पर उसके प्रशोधन के जो यंत्र हैं और कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है कि जो पूर्व से तमाम उद्योग लगे हुए हैं जब सभ्यता का विकास हुआ, मान्यवर, तो सभ्यता का विकास ही नदियों के किनारे हुआ और उसके बाद जब उद्योगों की शुरुआत हुई तो उद्योग भी नदी के किनारे लगाये गये और वस्तुतः नदियों को हमने एक कैरियर मान लिया कि हमारे कचरे को ले जाने वाला एक कैरियर होगी यह नदियां। मान्यवर, शुरुआत में समस्या इतनी गम्भीर नहीं थी इसलिये कदाचित इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जैसे-जैसे उद्योग बड़े और जैसे-जैसे नदियों का प्रदूषण बढ़ा, वैसे-वैसे यह खतरा पहले से और ज्यादा बढ़ता चला गया। क्योंकि गंगा की बात आपने कही, मान्यवर, उत्तर वाहिनी गंगा को जो महत्व है, काशी में ऐसा हमारा मानना है जो हिन्दू मतावलम्बी है और हम सब की श्रद्धा है कि हम काशी में गंगा स्नान कर लें तो हमारे पापों का मोचन हो जायेगा और बाबा विश्वनाथ की कृपा से हमको मोझ मिलता है। इसलिये आदरणीय चौधरी साहब ने जिन बातों का उल्लेख किया है। उससे किसी को इंकार नहीं हो सकता। अभी जो आपने वरुणा का जिक्र किया। वरुणा और असी के बीच में वाराणसी है तो हम वरुणा का जिक्र किये बिना बनारस की गंगा का जिक्र नहीं कर सकते। मान्यवर, पिछले दिनों ऐसा हुआ कि वरुणा का फाटक टूट जाने के कारण पूरी वरुणा ड्रेन हो गयी और पूरी वरुणा की स्थिति नाले से अधिक बनारस में नहीं रह गयी है और उस पर भारी अतिक्रमण हुआ और अतिक्रमण ऐसा हुआ कि लोगों ने नदी के पेटे में जाकर आवास बना लिये, नाजायज कालोनियां बन गयीं और तमाम भू-माफियाओं ने उस जमीन को अवैध तरीके से बेच दिया। लोगों ने मूर्खतावश उस जमीन को खरीद कर उस पर तमाम घर बना दिये हैं। जिससे उसका प्रवाह भी रुक गया है और जहां से वरुणा आती है वह भी रुक गया है। मैं इस सदन को आज अवगत कराना चाहता हूं कि वरुणा को पुनर्जीवित करके वरुणा को पुरानी स्थिति दी जाये इस तरह की योजना सरकार के सम्मुख नहीं है लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसको तय कर दिया है और अधिकारियों को आदेशित किया जा चुका है कि आप इसका प्लान बना लीजिये और इस पर जितना भी पैसा खर्च हो सरकार देने को तैयार है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इसके निर्देश दिये हैं। मान्यवर, वरुणा को चौड़ा करने का काम और अगर आवश्यकता हो तो उसमें दूसरी जगह से जल कैसे डाला जा सके इस प्रकार की योजना बनाने के लिये भी सिंचाई विभाग से कहा गया है ताकि सतत् प्रवाह वरुणा का बना रहे और वाराणसी का जो पौराणिक महत्व है उसको हम किसी तरह से कम न होने दें। गंगा की सफाई की बात है सरकार इस बारे में इतनी सचेष्ट है और जितनी उसकी फीडर नदियां हैं। खासतौर से शहरों के किनारे से जाने वाली गोमती की अगर हम बात करें। मा0 नगर विकास मंत्री जी ने गोमती नदी को स्वच्छ करने के लिये एस0टी0पी0 की फंक्शनिंग प्रापर हो, नालों को डिजाइन करके उनके डिस्चार्ज को बिना ट्रीटमेंट के बिना शोधन के उस पानी को गोमती में न जाने दिया जाये इस बारे में लगातार काम चल रहा है। इसलिये सरकार द्वारा इस मुद्दे पर जो भी गम्भीरतापूर्वक कार्रवाई की जा सकती है वह की जा रही है और मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग की भी अगर कहीं कोई लापरवाही है और जानबूझकर इस तरीके से

अपशिष्ट डालने के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी अनदेखी से या मिलीभगत से भी अगर बिना शोधन के अपशिष्ट नदियों में डाला जा रहा है तो इसको बहुत गम्भीरता से देखने का काम होगा। यह हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। मैं आदरणीय चौधरी साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस गम्भीरता से वह इसमें कार्यवाही चाहते हैं सरकार इसमें प्रयत्नशील है और सरकार उनकी भावनाओं से भी सहमत है इसलिये वह अपना संकल्प वापस लेने की कृपा करें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसमें मेरा एक ही एतराज यह है कि जैसा कि हमने कहा कि वैज्ञानिक लोगों ने कहा है और यह कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। गंगा आज जो प्रदूषित हो रही है उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का है। 90 प्रतिशत जो इंडस्ट्रीज हैं उनका योगदान है। मैंने कोट किया है पेपर मिल्स हैं, टेनरीज हैं और भी कई प्रकार के उद्योग हैं। तो इसका ज्यादा शेयर 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश का है। तो उस विषय में मा0 मंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है कि इस 90 प्रतिशत को घटाने के लिए वह क्या करने वाले हैं सरकार की क्या योजना है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

आपका कहना है कि यह 90 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से आता है। मैं वैज्ञानिकों की प्रमाणिकता को कोई चुनौती नहीं देता हूं। मेरा कहना है कि यह 90 प्रतिशत न भी हो चाहे कम भी हो वह 50 प्रतिशत हो लेकिन प्रतिशत से आगे बढ़कर मैं कहना चाहता हूं कि इसको रोका जाना सरकार की प्राथमिकताओं में है।

और हमने उसके लिए कदम उठाये हैं, मैंने उल्लेख किया आपसे बनारस को स्वच्छ करने के लिए और घाटों के लिए 30 करोड़ रुपया इसी बजट में मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख रखने का काम किया। बनारस तो प्राथमिकता पर है, बनारस को और सुन्दर बनाने के लिए जो उसका पौराणिक महतव है, उसको उस क्रम में रखने के लिए, उसी क्रम में मैंने वरुणा का भी जिक्र किया और मैंने गोमती का भी जिक्र किया, मैं आज इन सारी योजनाओं को आपके सम्मुख रखकर के यह निवेदन करना चाहता हूं और मैंने यह कहा कि चाहे वह कानपुर का उद्योग हो चाहे दूसरे शहरों का जो अपशिष्ट आ रहा है, उसके बारे में सम्पूर्ण कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं और अत्यन्त गम्भीरता से हम उसको कर रहे हैं, इसलिए अनुरोध करता हूं कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 मंत्री जी, मैं मा0 अध्यक्ष जी के माध्यम से एक बात पर बल देना चाहता हूं कि जहां गन्दगी है मेरे संकल्प का विषय है प्रदूषण, वहीं यह भी है कि काशी में आज भी घाट किनारे लगभग 20 नाले, उसका जो डिस्चार्ज है, गन्दा जल है, मल-मूत्र है, वह आज भी गंगा नदी में गिर रहे हैं। तो इसको बन्द करने का मैंने अनुरोध किया और संकल्प का यह विषय भी है कि उन नालों को अविलम्ब बन्द किया जाय। तो उस पर भी तो आपको कोई वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन नालों को अगर हम आज बन्द कर देंगे तो नागरिक जीवन कठिन हो जायेगा, उसका प्रबन्ध यह किया जा रहा है कि नालों का पानी शोधन के बाद ही नदी में जाय, इसका सारा

प्रयास हम कर रहे हैं, अगर आज सिर्फ नालों को बन्द कर देने की बात होगी तो कदाचित आप इस तरह से नहीं कहना चाहेंगे कि बंगाली टोला के सारे नाले बन्द कर दिये जायें और निकलने का रास्ता बन्द हो जाय ऐसा आप कहना नहीं चाहेंगे, मैं जानता हूं आप ऐसा नहीं कहेंगे और शहर दक्षिणी के आप विधायक हैं, अस्सी नाला जा रहा है, उसको ब्लाक कर दिया जाय, ऐसा आप कहना नहीं चाहेंगे, जैसी मेरी समझ है। मैं नहीं समझता कि बन्द कर दिया जायेगा का तात्पर्य आप यह समझते हैं कि नगर विकास मंत्री जी का आदेश जायेगा और बनारस के सारे नाले बन्द कर दिये गये, ऐसा आपके संकल्प की मन्शा नहीं हैं। जो मन्शा है आपकी उस मन्शा के अनुरूप हम काम कर रहे हैं, इसलिए हम अनुरोधा कर रहे हैं कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अब गंगा का इतना बढ़ा अभियान चल रहा है, तो आप अपना संकल्प वापस ही ले लीजिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल सही कहा है मा0 मंत्री जी ने कि यह तो सम्भव नहीं है कि सारे नाले बन्द कर दिये जायेंगे और देखिये इन सच्चाइयों से इन्कार मत कीजिए, कितना काम हुआ है बनारस में, इससे इन्कार मत कीजिए, सारी पाइप लाइन पूरे शहर की बदली गयी है, पिछली सरकार में काम शुरू हुआ, अब तक वह काम चला, सारी पाइप लाइन नई डाली गयी, सीवर सिस्टम कितना दुरुस्त किया गया, सीवर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट कितने लगाये गये। मान्यवर इन नालों के पानी को भी नदी में जाने के काबिल बनाने के लिए कितनी जगह काम चल रहा है, आपके संज्ञान में है। यह सारी बातें आपके संज्ञान में होने के बाद भी अगर आपका यह संकल्प रहे तो यह दुख का विषय है। मैं समझता हूं, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ भी हैं और जानकार भी हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि समाजवादी सरकार का कितना योगदान है गंगा को लेकर, बनारस को लेकर, श्रद्धा को लेकर, पानी को लेकर ओर कहने को तो कुछ भी कहा जाय कि यह रिपोर्ट आई, वैसी रिपोर्ट आई इलाहाबाद के लिए, कुम्भ के लिए, लेकिन हमें जिन लोगों से आशीर्वाद चाहिए था, वह श्रद्धालु थे, जो स्नान के लिए आये थे, जो करोड़ों की तादात में आये, एक दिन में सवा तीन करोड़ लोग आये, उनका कैसा इन्तज़ाम हुआ उसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई। देश जानता है, साधु-सन्त जानते हैं, महात्मा जानते हैं यहां तक कि विदेशों से बुलावा आया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक से कि आप यहा आकर के बताइये कि आप ऐसा इन्तजाम कैसे कर सके। तो मान्यवर आप तो ऐसा अनर्थ न कीजिए, इस सच्चाई को तो मानिये और फिर आप तो अक्सर वापस ले लेते हैं ऐसे संकल्प, मेरा भी निवेदन है कि वापस ले लीजिए ताकि हमारी इच्छा बनी रहे और हमारी हिम्मत बनी रहे काम करने की।

श्री अध्यक्ष-

दादा आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ? वापस ले लीजिए, मान लिया आपने वापस ले लिया।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, आप हमारी कभी नहीं मानते, लेकिन हम आपकी मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, दादा ने अपना संकल्प वापस ले लिया, आपको धन्यवाद। अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि माननीय संकल्पकर्ता सदस्य को अपना संकल्प प्रस्ताव वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में प्रदेश के छावनी परिषदों को भी शामिल करने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले द्वारा दिनांक 21-02-2014 को प्रस्तुत संकल्प (व्ययगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह मद व्यपगत रहेगी।

जनपद देवरिया के सदर अस्पताल में 50 बिस्तरों का ट्रामा सेण्टर यथाशीघ्र खुलवाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 21-02-2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा का स्थगन

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

वह तो लिख कर चले गये, हैं ही नहीं।

[12.45] कानपुर महानगर स्थित आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्रों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा दिनांक 21-02-2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, महानगर से सम्बन्धित जो विषय है, उनके विस्तार को लेकर, वहां पर आवासीय व्यवस्था को लेकर, वहां पर अवस्थापना सुविधाओं को लेकर अलग-अलग समय में विधान सभा में विस्तार से उसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। आज विशेष रूप से हम जितने भी महानगर देखते हैं, बड़े शहर देखते हैं, जो उनका आउटर स्कर्ट है, बाहरी क्षेत्र, उसका विस्तार होता जा रहा है और वह अनियोजित कॉलोनीज के रूप में परिवर्तित होता चला जा रहा है। वह अनियोजित कॉलोनीज नहीं होनी चाहिए लेकिन मान्यवर, सरकार के द्वारा नियोजित विकास जिस समय किया जाएगा तभी अनियोजित कॉलोनीज नहीं बनेंगी। अगर यहीं से अनियोजित तरीके से जो अपेक्षाएं हैं, जरूरतें हैं आम व्यक्ति की जो शहरों में रहना चाहता है उसको अगर पूरा नहीं करेंगे तो वह अनियोजित विकास के कारण वह सारी समस्याएं खड़ी होती जाएंगी। मान्यवर, मैंने जा संकल्प डाला है इस पर मैं आपका ध्यान और संरक्षण चाहता हूं। मैंने लिखा है कि आवास विकास परिषद् एवं विकास प्राधिकरणों के द्वारा जो क्षेत्र डेवलप किये गये हैं। मान्यवर, हम जब यह उम्मीद करते हैं कि हमने सोसाइटी एरिया में या किसी बाहरी क्षेत्र में जहां पर न सड़क हैं, न सीवर हैं, न पानी है, न नाली है वहां पर हम लेना नहीं चाहते हैं मकान तो हम कहां जाएं तो स्वाभाविक है कि जो सरकार के जो हैं, चाहे विकास प्राधिकरण

हों या नगर निगम हों या आवास विकास परिषद् हों या सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो भी कालोनीज डेवलप हो रही हैं, मान्यवर हम उसमें मकान लेना चाहते हैं। मुझे पीड़ा इस बात की है कि जिस समय हम सरकार के द्वारा निर्धारित प्राधिकरणों के द्वारा, परिषदों के द्वारा जिस समय हम मकान लेते हैं तब हमारी यह अपेक्षा होती है कि वह सही तरीके से प्लैण्ड हो और वहां पर सारी सुविधायें हमको मिलें। कम से कम इन्फ्रास्ट्रक्चर से सम्बन्धित जितनी बात है हमको मिले। मैंने परसों भी इस बात को कहा था, मैं दोहराना चाहता हूं, मैं लग्जरीज की बात नहीं करना चाहता हूं। लग्जरीज की बात, अगर वह पैसा देता है, एच0आई0जी0 की बात करता है तो उसको वहां पर लग्जरी भी चाहिए लेकिन गरीब आदमी जिस समय सरकारी मकान वह खरीदता है। उसमें ई0डब्ल्यू0एस0 वह सरकारी योजना में है, मिडिल इनकम ग्रुप वाले खरीदते हैं सरकारी योजना में हाई, लोवर इनकम ग्रुप वाले खरीदते हैं सरकारी योजना में आई तो वहां पर मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं, जैसे कानपुर महानगर का मैंने इसमें विशेष रूप से उल्लेख किया है। कानपुर में आवास विकास परिषद् की हंसपुरम् कालोनी है। मान्यवर, आवास विकास परिषद् के द्वारा कालान्तर में 15 साल, 20 साल, 25 साल से वह कालोनी डेवलप है। मान्यवर, आज तक वहां पर पक्की सड़क नहीं बनी, आज तक वहां पर सीवर लाइन नहीं डली, आज तक वहां पर पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, कोई मेरा पुराना क्षेत्र था, इधर परिसीमन में वह नया क्षेत्र जुड़ा है, मैं वहां पर गया हूं। मैंने वहां पर पूछा कि यहां पर सड़क है ही नहीं, तोड़ दी क्या तो कहा गया बनी ही नहीं। मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को वहां पर बुलाया और मैंने कहा कि भइया यहां पर सड़क है नहीं, उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की योजना आई थी वह मकान बनाने की थी। हमने मकान बना करके इनको दे दिया। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण और खराब बात है। जो भी योजना हो, चाहे वह केन्द्र सरकार की हो, चाहे वह प्रदेश सरकार की हो। अगर वहां पर यह कहा जाता है मकानों के लिये मान्यवर, जैसे आज ग्रामीण क्षेत्र में इन्दिरा आवास हुआ या शहरी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं जैसे कांशीराम था। अब आपने नया नाम देकर उसकी शुरुआत की है। मान्यवर, उन मकानों को डेवलप करने से पहले वहां पर जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो, तब तक मकान नहीं बनाए जाने चाहिए और जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर न हो तब तक उन प्लाटों की बिक्री भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहां पर नालियों जैसे खेत में काट करके जैसे कुछ भू-माफिया बेच रहे हैं तो उसमें और सरकारी एजेंसियों में कोई अंतर ही नजर नहीं आता। उन्होंने भी काटकर बेच दिया, उसमें बस फर्क यह है कि किस्त के ऊपर पैसे दे रहे हैं और वो अपने हिसाब से पैसा ले रहे हैं। मान्यवर, जो सड़क है, जो नाली है उसके साथ-साथ जैसे मैंने आवास विकास परिषद् के हंसपुरम् की आपसे बात की और विकास प्राधिकरणों की कॉलोनीज की बात की। मान्यवर, जो प्लैण्ड नहीं, जहां पर लगभग 2 लाख की आबादी आवास विकास में रहती है। मान्यवर, वहां पर प्लैनिंग में न तो कोई डाकघर, उसकी प्लैनिंग में न तो वहां पुलिस स्टेशन है, उसकी प्लैनिंग में न तो कोई हॉस्पिटल है, उसकी प्लैनिंग में न तो वहां कोई सरकारी स्कूल है, उसकी प्लैनिंग में न तो वहां कोई परिवहन का साधन है। मान्यवर, तो इतने बड़े क्षेत्र में केवल खानापूर्ति करके मकान बनाकर हम बेच लें और मकान बेचने के बाद हम बैठकर सो जायें। मान्यवर, ये सारी प्लैनिंग्स होनी चाहिए। मान्यवर, कहीं पर कहा जाता है कि सड़क के किनारे सब्जी वाले सब्जी लगा लेते हैं

क्योंकि प्लैण्ड नहीं है कि यहां पर सब्जी मार्केट लगेगी, सब्जी मार्केट ही प्लैण्ड नहीं है तो आदमी जो वहां पर रह रहा है।

कहीं पर प्लान नहीं है कि यहां पर सब्जी मार्केट लगेगी, जब सब्जी मार्केट ही प्लाण्ड नहीं है तो आदमी जो वहां पर रह रहा है, उसको वहां पर सब्जी खरीदने भी जाना पड़ेगा, तो जब सब्जी खरीदने जायेगा तो सब्जी वाला भी बेचेगा, जब भाई हमको जरूरत है, जीवन में उसके बिना रह नहीं सकते तो जहां भी सड़क के किनारे हो बैठ जायेगा। उसको वहां डण्डा लेकर पुलिस वाले भी भगाते हैं, सरकार भी कहती है कि यार यह तो यहां तो सड़क को घेर के बना रहे हैं, अतिक्रमण किये हुए हैं, तो मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि वहां से भगाया जा रहा है तो उनके लिए जगह कौन सी निर्धारित की गयी है। जगह निर्धारित करेंगे नहीं, उनको वहां पर सब्जी बेचने नहीं देंगे। मेरा प्रश्न सिर्फ विकास प्राधिकरणों, आवास विकास और सरकारी कॉलोनियों से संबंधित है, कोई प्लान नहीं है वहां पर, मैं मा0 मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जो हो गया, उसमें हम कैसे ठीक करने की योजना बना सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी बात है मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी का संरक्षण भी चाहूंगा इसमें ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो यह कॉलोनीज बना देते हैं, ये कॉलोनीज बन जाने के बाद नगर निगम में और इन विभागों में आपस में द्वंद चलता है, वह कहते हैं कि हमें हस्तान्तरित नहीं हुई है कॉलोनी हम इस पर काम नहीं करेंगे, जो बनाती है एजेंसी वह कहती है कि हमने तो बना दिया हमारा यह बाम नहीं कि सफाई करना और रोजमर्रा की स्ट्रीट लाइट लगाना हमारा काम नहीं है, इसलिए यह काम नहीं करेंगे। आदमी खरीदता विकास प्राधिकरण से आवास विकास से और काम करवाने के लिए उन्हें सफाई करवानी हो तो नगर निगम जाओ। सीवर जाम हो तो नगर निगम जाओ। हैण्डपम्प खराब हो तो नगर निगम जाओ। नगर निगम आदमी जाता है तो वह कहते हैं कि हमें तो यह कॉलोनी हस्तान्तरित ही नहीं है, तो उनके हस्तान्तरण न होने के कारण वह काम नहीं करते। इनके पास इस प्रकार का फण्ड या योजना नहीं होती है इसलिए यह काम नहीं करते। तो आदमी जो सरकारी एजेंसीज में भी मकान ले रहा है मान्यवर, वह भी दुविधा में है, उसको भी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता दिखायी नहीं देता कि हम सरकार से मकान ले रहे हैं, यहां पर रहने में या उन क्षेत्रों में रहने में जो सोसाइटीज एरिया है, उसमें कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए मान्यवर, यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इस संकल्प के माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो हस्तान्तरित नहीं हुई है कॉलोनी, उनका हस्तान्तरण करवायें और जिस मद में मेरी जानकारी में कुछ है कि कुछ पैसा यहां प्राधिकरण से कानपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम को हस्तान्तरित भी हुआ है, कुछ कालोनीज का सबका नहीं वह जो पैसा गया है मान्यवर, नगर निगमों के पास, वह जिस कालोनी के लिए मान्यवर, निर्धारित रूप से गया है, वह उसी कालोनी के लिए खर्चा हो क्योंकि नगर निगम के पास बहुत बड़ा फण्ड होता है और बहुत कुछ करने के लिए होता है। पता चला की हंसपुरम् कालोनी के लिए, गंगापुर कालोनी के लिए पैसा आया तो लेकिन वह दूसरी जगह खर्च हो गया, तो जिस मद में जो पैसा आया हो, वहां पर खर्च हो, हस्तान्तरण का काम भी पूरा हो और वहां पर अवस्थापना सुविधायें दी जायें मान्यवर। मैं इतनी बात कहकर आपको धन्यवाद, देना चाहता हूं।

(श्री रविन्द्र जायसवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप तो बनारस पर बोले अब कानपुर में क्या बोलेंगे ?

श्री रविन्द्र जायसवाल-

अवस्थापना निधि में फण्ड जाता है, आवास विकास के लिए और विकास प्राधिकरण के लिए, मेरा कहना है कि जो उनके पास फण्ड जाती है आवास विकास में अवस्थापना के लिए उसका अगर उपयोग कर दिया जाये वहां पर काफी मेनटेन होगा हमारे यहां बनारस मे आवास विकास, विकास प्राधिकरण में जो फण्ड जाता है उससे काफी हद तक हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

ये कानपुर का बहस हो रहा है, बनारस का तो हो गया।

श्री रविन्द्र जायसवाल-

उसी में आ रहा हूं, मा0 अध्यक्ष जी, वहां उसका उपयोग किया जाये, विकास प्राधिकरण में तो काफी हद तक सुधार आ जायेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

क्या भूल गये थे ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मनुष्य हूं न कहीं-न-कहीं भटक ही जाता हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां अब उम्र भी हो गयी है। बाल रंगने से थोड़े उम्र नहीं रहेगी।

श्री सतीश महाना-

एक और निवेदन है इन्होंने याद दिलाई, उन्हें मैं धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, 2 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जो पैसा जाता है विकास के लिए वह भी उनको दिया जाये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, दो प्रतिशत का पैसा जैसे-जैसे मांग होती है, वैसे-वैसे दिया जाता है। कहीं ऐसा नहीं है कि मांग की गई हो और वह पैसा ने दिया गया हो। जहां तक महाना जी का प्रश्न है यह अच्छी बात है महाना जी बड़े-बड़े लोगों की सुविधाओं के लिए अक्सर प्रश्न उठाते रहे हैं। बड़ी कालोनियों को सुविधा मिले, बड़े लोगों की रिहाइश अच्छी हों, उनकी सड़के अच्छी हों लेकिन यह भी तो आप जाकर देखिए कि इस तरह की जहां कालोनीज डेवलप की गयीं हैं, जैसे आवास-विकास की आपने मिसाल दी, कितना इनक्रोचमेंट किया है आप लोगों ने, अपने मकानों के बाहर जनरेटर लगा लिये हैं, अपने मकानों के बाहर गैराज बना लिये हैं, नालियां बंद करके उन पर अपने गैराज बना लिये हैं। पानी के निकास की कोई जगह नहीं रह गयी है, जब पानी का निकास ही नहीं होगा तो जाहिर है कि डामर की सड़क के लिए पानी मौत है, तो अगर इनक्रोचमेंट हटाएंगे मान्यवर, महाना जी कहेंगे कि कोठी वाले नाराज हो रहे हैं, व्यापारी नाराज हो रहे हैं वह भी परेशानी होगी। तो बड़ी

दुविधा रहती है। मैं अक्सर जब निकलता हूं तो देखता हूं कि बहुत शानदार कोठी बनी है और उसमें रैम्प निकाला गया है आधी सड़क तक । उसे अन्दर से नहीं लायेंगे, उसे बाहर से नहीं बनवायेंगें। अगर तुड़वाते हैं तो धरना-प्रदर्शन होता है। तो इन चीजों को लेकर भी बड़ी अव्यवस्था हैं जहां कोई कमी है, उसे जरूर दिखवाते रहते हैं और दिखवायेंगे। आपके संकल्प का हमेशा संज्ञान लिया है और लेते रहेंगें। आपने फुटपाथ पर बैठने वालों की बात कही। फुटपाथ की नीति केन्द्र सरकार बनाना चाहती है। फुटपाथ का मतलब है पैदल चलने वाले लोगों की जगह, अगर फुटपाथ का एलाटमेण्ट होने लगेगा, फुटपाथ को अगर बैठने के लिए, नियमित किया जायेगा, तो हमने केन्द्र सरकार मे भी यह कहा था कि इसका नाम बदल दिया जाय। फिर इसका नाम फुटपाथ न रखें इसका नाम भी बाजार कर दें, सब लेन कर दें, लेकिन फुटपाथ तो फिर नहीं कह सकते। जिन सब्जी वालों की आप ने बात कही, आप नहीं आप से कहीं ज्यादा हम हमदर्द हैं क्योंकि आप ने बात कोठियों से शुरू की। आवास-विकास की रिहाइशों से उनकी सुविधाओं से शुरू की और बात आपकी खत्म हुई सब्जी वालों पर। मान्यवर, जहां सब्जी का बाजार हो, वहां सब्जी हो, जहां दूसरे बाजार हैं वहां हों, अगर इस तरह होगा कि जगह-जगह सब्जी वाले या ठेले वाले, इनक्रोच करेंगे तो उससे परेशानी हमारी भी और परेशानी आपकी भी बढ़ेगी। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि शहर का हाल आज क्या हो गया है। जो चार पहिया ठेले हैं उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो गयी है कि शहरों में निकलना दूभर हो गया है। हमारी अपनी परेशानी यह है कि ठेलों की तादाद तय करने के लिए, हैं हमारी कमियां भी हैं। यह सही बात है, हम तकरीबन छः महीने पहले अपने ही विभाग में लिख चुके है कि कितने ठेले किस शहर में हैं, शहर की आबादी के हिसाब से कितने ठेले होने चाहिये, हम अभी लागू नहीं करा सके हैं। यह विडम्बना भी है, मगर जो बातें हैं, उसमें जो कमियां हैं उसे अवश्य दिखवायेंगें। लेकिन इन्क्रोचमेन्ट जब तक नहीं हटेगा, उस वक्त तक पानी की निकास नहीं होगी और सड़कों को सही नहीं किया जा सकेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं दो वर्षों से इस बात का निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से कर रहा हूं कि आवास और नगर विकास को एक साथ कर दिया जाय।

(श्री मोहम्मद आजम खां ने बैठे-बैठे कहा कि यह सही है)

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा पूरा क्षेत्र शहरी है ओर मैं उस विभाग में थोड़े समय के लिए मंत्री भी रहा हूं, माननीय मंत्री जी आवास-विकास का नाम केवल बड़े लोगों के लिए नहीं है। नब्बे प्रतिशत लोग वहां पर मान्यवर, ई0डब्लू0एस0 क्वाटरों में रहते हैं। एल0आई0जी0 में रहते हैं और दस प्रतिशत लोग ही एच0आई0जी0 मे रहते हैं, अगर उन्होंने अपनी कार को रखने के लिए आधी सड़क घेरी है, तो मेरा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री जी, कि आप उनके खिलाफ कार्यवाही करिये। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। दूसरी बात आपने सड़क पर जो इन्क्रोचमेंट की बात कही है फुटपाथ पर आपने मैं कतई उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन हमने उनके लिए, कोई व्यवस्था तो की हो। हमने कोई बाजार तो खोला हो, हमने कोई मण्डी स्थल भी उनके लिए बनाया हो। मान्यवर, आप देखें कि लखनऊ में अगर हम गोमती नगर में रहते है तो सब्जी लेने आलमबाग तो नहीं जायेंगे। तो हमारे गोमती नगर में भी सब्जी वालों के लिए कोई छोटी-मोटी व्यवस्था होनी चाहिए। वह नहीं है। लेकिन मान्यवर, वहां पर कोई कोठी

बनाकर, सड़क घेरकर रहे उससे मैं कतई सहमत नहीं हूं और आपके साथ हूं। अगर आप उनके लिए सब्जी वालों के लिए, ठेले वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करेंगे तो वह मजबूर होंगे वहां बैठने के लिए माननीय मंत्री जी की जो मंशा है उससे मैं सहमत हूं लेकिन मैंने गरीब आदमी की बात करी है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, लोअर इनकम ग्रुप वालों की बात कही है उसको अवस्थापना सुविधायें आपको देनी चाहिए। विकास प्राधिकरणों में, आवास विकास में, नगर निगम के अन्तर्गत जो एक बार मैंने बात कही थी, मंत्री जी ने कहा था कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनमें आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है तालमेल है। मैं फिर कहता हूं कि इनमें तालमेल न होने कारण वह उसके पास दौड़ता है ओर वह उसके पास दौड़ाता है। तो जितनी भी योजनायें हैं इस प्रकार की वह सारी की सारी पूरी हो जायें। इतना ही विनम्र निवेदन के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय महाना जी से मेरा तो वैसे भी सम्बन्ध बहुत अच्छा है। वह इसे वापस ले लें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इशारे में ही कह दिया है मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रश्न यह है कि माननीय सतीश महाना द्वारा रखे गये संकल्प को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ठीक है। यह वापस हो गया।

[1.00 बजे] जनहित में आगरा में एन0एच0-2 रूपकला से एन0एच0-2 कुबेरपुर ताज एक्सप्रेस-वे तक उत्तर बाईपास का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरजपाल सिंह द्वारा 19 जून, 2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा.....(व्यपगत)

(श्री सूरजपाल सिंह का नाम पुकारे जाने और उनके उपस्थित न रहने पर)

डा0 धर्मपाल सिंह-

वह बढ़ाने के लिये दिये हैं।

श्री अध्यक्ष-

वह हमको तो नहीं दिया है, आपको देकर के चले गये। अब मद संख्या-18 लेते हैं।

[1.01 बजे] जनपद-आगरा के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा दि0 19 जून, 2014 को प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

*डा0 धर्मपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि आगरा जनपद के किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाय।''

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आगरा में किसानों को समुचित सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हमारे जिले में 3 तरह से नहरों का पानी मिलता है। जो हमारी विधान सभा है एत्मादपुर जो हमारी तहसील है एत्मादपुर उसमें गंग नहरें हैं और जो विधान सभा फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़, फतेहाबाद और ग्रामीण विधान सभा है उन क्षेत्रों में यमुनानहर का पानी मिलता है आगरा कैनाल के द्वारा और तीसरी विधान सभा जो बाह विधान सभा है उस विधान सभा में चम्बल डाल परियोजना के द्वारा वहां के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी हमारी विधान सभा एतमादपुर में अपर गंगा नहर जो हरिद्वार से निकली है उसकी क्षमता करीब 11000 क्यूसेक है उस अपर गंगा से हमारी मांट ब्रांच निकलती है उसकी क्षमता करीब 2100 क्यूसेक है और उसकी लम्बाई करीब 165 कि0मी0 है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बालनपुर जगह है जो अलीगढ़ जिले में है वहां से नीचे हमारी मांट ब्रांच को लोअर ब्रांच कहते हैं और मांट ब्रांच से जो हमारी विधान सभा का खन्दौली ब्लाक है जो इस समय डार्क ब्लाक है वहां से हमारी 4 नहरें निकलती हैं। धगैता, खन्दौली, जुगसेना जो हमारे क्षेत्र मे आकर उसका नाम सेमरा हो जाता है और कुरसण्डा माइनरे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन चारों नहरों में जनवरी से लेकर अभी 4 जुलाई हो गयी है एक बूंद पानी किसानों को सिंचाई के लिए नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, यह ब्लाक हमारा डार्क ब्लाक घोषित है इस ब्लाक में न तो बिजली पर्याप्त मिल रही है और न किसानों के ट्यूबवेल लगाये जा सकते हैं और यदि नहरों से भी पानी नहीं मिलेगा तो हमारा किसान कैसे सिंचाई करेगा। जो हमारा दूसरा ब्लाक है हमारी विधान सभा में एतमादपुर उसी लोअर ब्रांच से एक हाथरस ब्रांच निकलती है उसी हाथरस ब्रांच से हमारा सैफऊ रजबहा निकलता है, बरहन रजबहा निकलता है और फिरोजाबाद रजबहा निकलता है। उन नहरों में भी जनवरी से एक बूंद पानी नहीं आया। हमारा एतमादपुर ब्लाक वह सेमीडार्क ब्लाक है वहां के भी किसान नहरों के पानी के लिए बहुत परेशान हैं। उनके यहां भी जो फसलें थीं जायद की जो फसलें थीं हमारे विधान सभा में, इस बार जो फसलें थीं वह सूख गयीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का संज्ञान दिलाना चाहता हूं जहां से हमारी मांट ब्रांच निकलती है तो उसकी क्षमता 2100 क्यूसेक है वह कभी भी 1100 क्यूसेक से ज्यादा नहीं चलती है। मांट ब्रांच की जो क्षमता है 2100 अगर सरकार ध्यान दे अधिकारियों को निर्देश दे कि मांट ब्रांच अपनी पूरी क्षमता 2100 क्यूसेक से चले तो हमारी विधान सभा में चाहे वह खन्दौली ब्लाक के किसान हो, चाहें हमारे एतमादपुर ब्लाक के किसान हों उन किसानों को पानी मिल जायेगा। मान्यवर, डार्क ब्लाक होने के कारण ट्यूबवेल चलते नहीं हैं नये ट्यबवेल भी नहीं लगते, हमारा एतमादपुर का किसान बहुत परेशान है ओर उसकी जायद की सारी फसलें सूख गयीं हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि तुरन्त अधिकारियों को निर्देश देकर हमारी एतमादपुर की जो नहरें हैं चाहे मांट ब्रांच से निकलने वाली धंगेटा हो, कुरसण्डा हो, खन्दौली हो चाहे जुगसेना हो और माननीय अध्यक्ष जी, हाथरस ब्रांच से निकलने वाली नहरें चाहे वह सैफऊ हो, चाहे बरहन रजबहा हो, चाहे फिरोजाबाद रजबहा हो उन्हें पानी दिया जाय। माननीय अध्यक्ष जी अभी कुछ दिन पहले जब हमारी सरकार थी तो हमने इन नहरों के लिए पानी देने के लिए सरकार ने, मध्य गंगा से पानी देने के लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ था। जो खरीफ की फसलों में पानी देता है। माननीय अध्यक्ष जी, 2700 क्यूसेक का एक मांठ फीडर बनाया गया है, उसी से एक पेरेलेल हाथरस ब्रांच निकाली गयी है, उसी से एक मांठ निकाली गयी हैं,

इसके लिये तीनों प्रोजेक्ट मिलाकर पिछले साल नाबार्ड से 18 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था लेकिन वहां के अधिकारियों ने, वहां के इंजीनियरों ने इस पूरे पैसे का सदुपयोग नहीं किया, अगर हमें खरीफ की फसल में मांठ फीडर से एक हजार क्यूसेक पानी भी मिल जायेगा तो इस एक हजार क्यूसेक पानी से हमारे एतमादपुर की नहरों में पानी हो जायेगा और हमारे किसानों को भरपूर पानी सिंचाई के लिये मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से दो बिन्दुओं पर माननीय मंत्री जी को ज्यादा ध्यान देने के लिये अनुरोध करूंगा एक जो हमारी मांठ नहर है जिसकी क्षमता 2100 क्यूसेक है, अगर वह इस पूरी क्षमता से चल जाये तो हमें पानी मिल सकता है। दूसरा खरीफ की फसल के लिये जो हमारा मांठ फीडर बनाया गया है, अगर माननीय अध्यक्ष जी, हमें उससे एक हजार क्यूसेक पानी मिल जाय तो हमारी नहरों को पानी मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारा दूसरा सिस्टम है, आगरा कैनाल, जिससे हमारे आगरा जिले के एक बहुत बड़े भाग को पानी मिलता है, किरावली तहसील, खैरागढ़ तहसील, फतेहाबाद तहसील और आगरा सदर तहसील, इन तीन विधान सभाओं के किसानो को उस नहर से पानी मिलता है। माननीय अध्यक्ष जी, आगरा कैनाल ओखला से निकलती है। उसकी लम्बाई करीब 160 कि0मी0 है। उसकी क्षमता लगभग 4000 क्यूसेक है लेकिन अगर सरकार आज तक के रिकार्ड की जांच करा ले तो यह आगरा कैनाल कभी भी चार हजार क्यूसेक क्षमता से नहीं चली, वह ज्यादा से ज्यादा अगर चलती है तो 2800-2900 क्यूसेक से चलती है। माननीय अध्यक्ष जी, उसके कारण फतेहपुर सीकरी, खैरागढ़ फतेहाबाद, आगरा ग्रामीण जो हमारी सदर तहसील है, उसके किसानों को बिल्कुल पानी नहीं मिलता। आगरा कैनाल से मान्यवर, हमारी एक फतेहपुर सीकरी ब्रांच निकलती है, उसकी लम्बाई 93 कि0मी0 है। अभी पिछली बार जब बारहवें वित्त आयोग के माध्यम से सरकार ने उसकी सफाई कराई तो इस एफ0एस0 ब्रांच की केवल जीरो से सैतींस किमी0 की सफाई हुई। अगर उसकी 37 से 93 किमी0 तक की और सफाई हो जाये तो हमारे खैरागढ़, फतेहाबाद और आगरा ग्रामीण के किसानों को उससे पानी मिल सकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसका संज्ञान ले लें और जो एफ0एस0 ब्रांच की खुदाई/सफाई रह गयी है, उसे 37 किमी0 से 93 किमी0 तक करवा दें तो किसानों को बहुत लाभ होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, उसी आगरा कैनाल से दूसरा जो बड़ा सिस्टम है, टर्मिनल रजबहा, उस रजबहा से भी फतेहपुर सीकरी, आगरा ग्रामीण और फतेहाबाद के किसानों की जमीन की सिंचाई होती हैं वह टर्मिनल रजबहा, उसकी क्षमता साढ़े तीन सौ क्यूसेक है। माननीय अध्यक्ष जी, वह भी कभी अपनी पूरी क्षमता से नहर नहीं चली और उससे निकलने वाले रजबहा चाहे वह आगरा रजबहा हो, चाहे वह सिकन्दरा रजबहा हो, उन दोनों रजबहों से किसानों को कभी भरपूर पानी नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष जी, यह जो तहसील है इनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इन तहसीलों में जो ग्राउन्ड वाटर है, वह भी खारा है और माननीय अध्यक्ष जी, आप भी किसान परिवार से हैं और आप जानते हैं कि खारा पानी जब खेतों में लगाया जाता है तो फसल अच्छी नहीं होती। इसलिये हमारे किसानों को बहुत जरूरत है कि हमें नहरों का पानी मिले।

माननीय अध्यक्ष जी, जो आगरा कैनाल आती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि उसके पानी की चोरी होती है। उसी से हरियाणा को भी पानी दिया जाता है, वहां से राजस्थान को भी पानी

दिया जाता है और वहां जो फैक्टरियां हैं, कोसी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां फैक्टरियों को भी छोटे-छोटे कनेक्शन नहर विभाग द्वारा दे दिये गये हैं। लेकिन कभी भी नहर विभाग के अधिकारियों ने जो एग्रीमेंट हमारा हरियाणा के साथ है, जो हमारा एग्रीमेंट राजस्थान के साथ है, कितने पानी देने का एग्रीमेंट है, उसको कोई देखने नहीं जाता, उसकी कोई मानीटरिंग नहीं होती। एग्रीमेंट है 50 क्यूसेक का और पानी ले रहे हैं 200 क्यूसेक। राजस्थान का जो भरतपुर रजबहा है, उनको अगर नियमों में 200 क्यूसेक पानी देना है तो वह 400 क्यूसेक पानी ले रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कोसी की जो फैक्टरियां हैं, उनके जो एग्रीमेंट हैं, उसे कभी चेक नहीं किया जाता कि उस एग्रीमेंट के हिसाब से उन्हें पानी मिल रहा है या उससे ज्यादा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जो पानी हमारा चोरी हो रहा है, हरियाणा और राजस्थान के किसान बड़े-बड़े पाइप डालकर सरेआम वहां से पानी ले जा रहे हैं, वह कोई पैसा भी नहीं देते हैं। अगर आगरा कैनाल से पानी की चोरी रुक जाये इसके अलावा कोसी फैक्टरियों को जो पानी दिया जा रहा है, उनको एग्रीमेंट के हिसाब से पानी दिया जाय, जो उन्होंने कनेक्शन ले रखे हैं जितनी क्षमता के, उतना ही उन्हें पानी दिया जाय तो हमारे आगरा की हर तहसील के किसानों को चाहे वह किरावली तहसील हो, चाहे वह खैरागढ़ तहसील हो, चाहे वह फतेहाबाद तहसील हो, इनके किसानों को भरपूर पानी मिल सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां तीसरा सिस्टम है चम्बल डाल परियोजना जो हमारे जिले का एक बाह ब्लाक है, वहां इस चम्बल डाल परियोजना की स्थापना की गयी थी, चम्बल नदी से मान्यवर, पानी लिफ्ट करके वह नहरें चलाई जाती हैं मा0 अध्यक्ष जी, जो वहां लगाया गया है जो डिजाइन किया गया है उस प्रोजेक्ट को, अब आप जानते हैं कि सभी नदियों का पानी धीरे-धीरे घट रहा है। चम्बल नदी में अब पानी कम हो जाता है और जो पम्प डिजाइन है वह निश्चित पानी के लिए डिजाइन है इसलिए वह पम्प चल ही नहीं पाते हैं। वह चम्बल डाल परियोजना केवल जनवरी से लेकर रबी की ही फसल में पानी दे पा रही है और पूरे साल वह नहर बन्द रहती है। मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसकी डिजाइन पर फिर से विचार कर लिया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, वहां तो वह सिस्टम है ही नहीं जो हमारी बाड़ विधान सभा है वहां जो पानी की गहराई है वह 2 सौ, ढाई सौ फिट गहरा है वहां के किसान इस नहर से पहले चना और सरसों की खेती करते थे। जब से नहरें शुरू हुईं तो वहां थोड़ी बहुत गेंहूं की फसलें होने लगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि उस चम्बल डाल परियोजना के सिस्टम को एक बार चेक करा लें और जो नया सिस्टम बन सकता हो उसे बनवा दें। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत कृपापूर्वक धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि आगरा के किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो पानी की है सिंचाई की है वह मैंने आपके माध्यम से सरकार के सामने रखी। मुझे विश्वास है कि सरकार निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेते हुए हमारे आगरा के किसानों की समस्याओं का निदान करने की कोशिश करेगी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कालीचरन सुमन-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा विषय भी यही है, मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने संकल्प की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य डा0 धर्मपाल जी ने जो मत रखा है वास्तव में उनके मत से मैं सहमत हूं। आगरा ग्रामीण

क्षेत्र मेरा है और मैं वहां से जीत कर विधान सभा आता हूं। उस क्षेत्र में किसानों की नहरों की जो समस्या है वह यह है कि पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है उससे किसानों को बहुत परेशानी होती है। आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो आगरा रजबहा है उससे जो पानी मिलता है वह पानी सही से नहीं आता है आज भी उस नहर में पानी नहीं है। हमारी विधान सभा में तीन ब्लॉक आते हैं और तीनों ब्लॉक डार्क हैं और वहां का किसान केवल नहर पर निर्भर है। जब नहर में पानी नहीं आता है, समय पर पानी नहीं आता है तो किसान की समय पर खेती नहीं हो पाती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तो वहां से पानी आता ही कम है ओर जो आता भी है वह बीच में ही चोरी हो जाता है। आगरा जो रजबहा है उसकी माइनरों में पानी पहुंच ही नहीं पाता है। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो आगरा रजबहा है उसकी जो माइनर हैं उनकी समय पर सफाई नहीं होती है और न ही समय पर पानी आता है और वहां का किसान केवल नहरों पर ही निर्भर है इसलिए मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो आगरा रजबहा है, सिकन्दरा रजबहा है उसमें समय से पानी छोड़ा जाय और उसकी सफाई और निगरानी समय से की जाये। एक पीड़ा किसानों की और है कि उन्हें पानी मिलता नहीं है और उनकी आबपासी किसानों को थमा दी जाती है। मा0 अध्यक्ष जी, अब तक उन नहरों में कोई पानी नहीं आया है और आबपासी किसानों को दी जा रही है इस पर विचार कर लिया जाय। आपने मुझे संकल्प पर बोलने का मौका दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, डा0 धर्मपाल सिंह जी ने संकल्प के माध्यम से जिस समस्या का उल्लेख किया है उसका महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि वह किसानों से जुड़ी समस्या है। मान्यवर, अगर किसान के खेत को पानी नहीं दिया जा सके और सिंचाई की सुविधा अगर किसान को नहीं दी जा सके केवल आसमान के भरोसे वह खेती करे तो निश्चित रूप से अन्न उत्पादन का काम या अन्य जो फसलें लगाई जाती है उनका उत्पादन उस स्तर का नहीं हो सकता जिस स्तर का सिंचाई का साधन होने पर हो सकता है। मान्यवर, मा0 सदस्य ने तीन नहर प्रणाली का जिक्र किया है तो तात्पर्य यह है कि अगर वह प्रणाली ठीक से काम कर जाएं और सिर्फ उतना पानी उपलब्ध करा दें जितने के लिए पहले से परियोजना बनाई गई है। अगर यही परियोजनायें ठीक ढंग से काम कर जायें तो जैसा मा0 सदस्य ने इस संकल्प के माध्यम से उल्लेख किया है, मैं समझता हूं कि उतने से ही पर्याप्त हो जायेगा, उन्होंने कोई दूसरी नई बात नहीं कही जिसमें कि बड़ी भारी कठिनाई की बात हो। जो पहले से बना हुआ सिस्टम है उसे ठीक से काम करना चाहिए मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सिंचाई मंत्री जी ने दो दिन पहले सिंचाई विभाग का बजट रखते समय इसके बारे में विस्तार से कहा और इन समस्याओं का भी जिक्र हुआ। मुझे स्मरण है कि डा0 धर्मपाल सिंह जी ने उस दिन भी आगरा की नहरों का उल्लेख किया था यद्यपि कि आज थोड़ा विस्तार ज्यादा हुआ है। लेकिन मूलतः इन सारी समस्याओं का जिक्र भी हुआ था, समाजवादी पार्टी की सरकार मा0 अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व में जब से अस्तित्व में आयी है तब से किसानों के प्रति जो एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, न सिर्फ आश्वासन का उसको सरकार ने गम्भीरता से अपने ऊपर लिया है और क्रमशः उसको पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में नहरों की सफाई का काम जो उनमें सिल्ट भर गयी थी

उसको निकालने का काम जिस स्तर का पिछले दो वर्षों में हुआ है मैं पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ आपके बीच यह कहना चाहता हूं, हमारी भी सरकार रही है उसकी भी तुलना अगर हम कर लें तो भी, ओर बीच में दूसरी सरकारें रही हैं तो भी, कोई राजनीतिक आक्षेप किये बिना पिछले 15-16 सालों में नहरो की ऐसी सफाई नहीं हुई जैसी सफाई इन दो वर्षों में हुई है। जो हरियाणा के पानी लेने की बात आ रही है इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त भी किया था वह गम्भीर मसला है, पानी हरियाणा को देते हैं, राजस्थान को भी देते हैं, जितना पानी देते हैं उससे अधिक पानी लिये जाने की शिकायतें मिली हैं, उसके अतिरिक्त यह है कि जहां से वैधानिक तौर पर उनको पानी लेने का अधिकार है, उसके अलावा नहरों में बड़ी मोटी पाइप डाल करके नहरों से चोरी से पानी लेने का काम हो रहा है। अन्ततः जब वहां पानी कम होता है तो वहां से नहर फिर घूम करके हमारे प्रदेश में आती है तो हमारे प्रदेश के किसानों का अहित होता है और जिनता पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पाता है इसका संज्ञान मा0 मंत्री जी ने ले लिया है ओर मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितनी समस्याओं का आपने उल्लेख किया है उनके प्रति स्वयं इस बात की गम्भीरता है। अब डार्क जोन की बात है और डार्क जोन के अलावा खारे पानी की समस्या है। मैं इस सदन में जब से सदस्य हूं श्री बदन सिंह जी जो इस सदन के सदस्य रहे हैं उनके द्वारा शुरू से मैं सुनता आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

हम लोगों के साथ 1980 से सदस्य थे और बहुत दिनों से वह इस सदन में इस समस्या को उठाते रहे हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

लेकिन इस दिशा में प्रयास करने का काम पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है यह ठीक है कि अभी फिरोजाबाद में ही नहर का पानी दे करके खारे पानी की समस्या रिड्यूस करने का प्रयास हुआ है इस दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना हो न हो लेकिन इसे स्वीकार किया जाना चाहिए कि हमारी दृष्टि भी है और हम उस दिशा में लगातार प्रयास और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इन कठिनाइयों से निजात पाया जा सके। किसान का हित सर्वोपरि मानते हुए सरकार सारी बात करती है। माननीय सदस्य ने एक बात कही कि आबपासी की रसीद आ जा रही है। आपकी सूचना तीन वर्ष पुरानी है, नई सूचना के हिसाब से आबपासी का प्राविधान ही समाप्त कर दिया, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई और मुफ्त सिंचाई में नहर और स्टेट ट्यूबवेल की सिंचाई का कोई शुल्क प्रदेश में नहीं लिया जाता है। सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दी और पिछले बकाये के लिए आपके यहां कोई आ रहा है आप पुरानी सूचना के आधार पर यह बात कह रहे हैं, आप वेरीफाई कर लीजिएगा आबपासी का प्राविधान समाप्त कर दिया गया है और शिकायत आपकी सही नहीं है। इसी के साथ चूंकि पूरी गम्भीरता से आपकी बातों का संज्ञान सरकार ने लिया भी है और आपने जिस समस्या की ओर उल्लेख किया है उसको दूर करने के लिए सरकार सचेष्ट हैं माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा था मैं आज दोबारा आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसी गम्भीरता से लिया जायेगा इसलिये मेरा आग्रह है कि समस्या आ भी गयी है सरकार के संज्ञान में भी आप अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

आप संकल्प वापस लेंगे ?

डा0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं अभी पिछली बार सरकार एक भू-जल समग्र नीति लायी हैं उस नीति में भी सरकार ने यह वायदा किया है कि जो हमारे ब्लाक डार्क हैं और जहां सिंचाई का अन्य साधन नहीं है अगर वहां नहरों का कोई सिस्टम है तो सरकार उन नहरों को चलाने पर विशेष जोर देगी। मैंने अभी आपके माध्यम से सरकार को बताया कि हमारा खंदारी ब्लाक, बिचपुरी ब्लाक, बरौली अहीर, सैंया ब्लाक, खैरागढ़ ब्लाक व फतेहपुर सीकरी ब्लाक डार्क है जो हम नहरों की बात कर रहे हैं ज्यादातर उन्हीं ब्लाकों के किसानों को पानी देते हैं जो आगरे में डार्क ब्लाक हैं। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, जो रेगुलेशन सिस्टम है जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम को क्षमता से ही चला दिया जाय तो हमारे आगरा के किसानों की समस्या हल हो जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि चीफ इंजीनियर गंगा को सरकार के यह निर्देश चले जायें कि जो हमारी मांट ब्रांच की क्षमता 2100 क्यूसेक की है वह 2100 क्यूसेक से चल जाये, जो हमारी आगरा कैनाल की क्षमता 4000 क्यूसेक है वह 4000 क्यूसेक से चल जाय हमारा लाने वाला सिस्टम पूरी क्षमता से चलेगा तो हमारी जो निकलने वाली नहरें हैं उनको अपने आप क्षमता से पानी मिल जायेगा और हमारे आगरा के किसानों की समस्या हल हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह चीफ इंजीनियर गंगा को निर्देश जारी करा दें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जिन समस्याओं का आपने उल्लेख किया है सरकार ने उन समस्याओं का संज्ञान लिया है। मेरा निवेदन है कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि डा0 धर्म पाल सिंह द्वारा रखे गए संकल्प को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[1.19 बजे] जनपद-देवरिया के रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज यथाशीघ्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 19 जून, 2014 को प्रस्तुत संकल्प का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री अखिलेश प्रताप सिंह के अनुरोध पर इसे स्थगित किया जाता है।

[1.20 बजे] बुन्देलखण्ड में स्थापित थर्मल पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत से बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड में एक पृथक ग्रिड की स्थापना किये जाने विषयक दिनांक 19 जून, 2014 को श्री कृष्णपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर जारी चर्चा

*श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि बुन्देलखण्ड में स्थापित थर्मल पावर प्लाण्टों से उत्पादित विद्युत से बुन्देलखण्ड में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति हेतु बुन्देलखण्ड में एक पृथक ग्रिड की स्थापना की जाय।''

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुन्देलखड है और बुन्देलखण्ड में न कोई उद्योग हैं और सबसे ज्यादा बुन्देलखण्ड के लोग पलायन करते हैं। धन्धे के लिए रोजी रोटी के लिए इसलिए अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो बुन्देलखण्ड में कम से कम 3,150 मेगावाट विद्युत उत्पादित होने जा रही है अभी 1140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है अगर हमारा ललितपुर का पावर प्लाण्ट 1980 का जो बजाज के माध्यम से लग रहा है अगर यह चालू हो जायेगा तो 2150 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। माननीय अध्यक्ष जी बहुत से ऐसे जिले हैं जिनको 24 घण्टे बिजली मिल रही है लेकिन हमारा बुन्देलखण्ड सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें अगर 24 घण्टे बिजली मिल जाय तो हमारे क्षेत्र में उद्योग लगेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा नौकरियां भी मिलेंगी। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं जैसे माता टीला जल विद्युत परियोजना जहां पर विद्युत उत्पादन में 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट का खर्चा आता है यानी सबसे कम पैसे में अगर बिजली कहीं पैदा हो सकती है तो वह पानी से हो सकती है। माता टीला बांध से जो पानी आता है वह सुकवां ढुकवां बांध में आता है सुकवां ढुकवां बांध में टरबाइन लगा दी जाए जैसे माता टीला बांध में 10-10 मेगावाट की तीन टरबाइन लगी हुई हैं उसी माता टीला बांध से सुकवां ढुकवां बांध में पानी आता है और वह 30-40 फीट नीचे गिरता है अगर सुकवां-ढुकवां में 10-10 मेगावाट की तीन टरबाइन लगा दें तो हम 30 मेगावाट विद्युत का उत्पादन वहां से भी कर सकते हैं। वहीं पानी आगे पारीक्षा बांध में आता है अगर हम पारीक्षा बांध में 10-10 मेगावाट की तीन टरबाइन लगा दें पानी वहीं है पानी अलग से नहीं लाना पड़ रहा है तो यहां भी 30 मेगावाट विद्युत उत्पादन कर सकते हैं इस प्रकार हम 90 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। पारीक्षा से एक बेतवा नहर निकाली गई है जिसमें 5100 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता हैं उस नहर से आकर बकवां पर एक शीतला जल विद्युत परियोजना लगी है जिसम्रें 4 मेगावाट की टरबाइन लगी है। उसकी दूरी पारीक्षा बांध से जहां से नहर निकली है 50 कि0मी0 है। बकवा बांध में पानी वहां से जाता है। क्यों न हम 50 कि0मी0 के बीच में दो तीन जगह नहर को टर्न कर दें तो हम दो तीन जगह टरबाइन लगा सकते हैं उसमें चार-चार मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। क्योंकि उसमें 5100 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है। जब वह नहर पूरे गेट पर चलती है तो ऐसा लगता है कि नदी जा रही है। कम से कम 150-200 फुट चौड़ी नहर है, बहुत बड़ी नहर है। उसमें पुलिया से 2 नहरें गई हैं एक इधर हमीरपुर के आगे तक आई है और एक औरैया से इटावा तक आई है। बहुत लम्बे-लम्बे तक वह नहरें गई हैं। बहुत पानी उसमें जाता है अगर उसमें 3 जगह नहर को टर्न कर दें तो जैसे बकुवा पर शीतला परियोजना लगाई गई है उसी तरीके से अगर हम तीन जगह उसको टर्न करके 3 जगह पर टर्बाइन लगा दी जायें तो न कहीं से पानी लाने की जरूरत पड़ रही हैं वहीं पानी है जो एक परियोजना के लिये जा रहा है, वहीं तीन परियोजनाओं के लिये चला जायेगा और नहरों में पानी जा रहा है तो माननीय अध्यक्ष जी मेरा अनुमान है कि अगर नहर को तीन जगह मोड़ दिया जाय तो 4-4 मेगावाट की आप लगाइये 4-4 यानी 16 मेगावाट की बिजली हम वहां से उत्पादन कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी 6-6 फुट के चौड़े माता टीला बांध से झांसी के लिये पीने का पानी आता है। पीने का पानी 3 पाइपों द्वारा जो बहुत बड़े-बड़े पाइप हैं जो बबीना में आकर उस पानी का शुद्धीकरण होता है। शुद्धीकरण के बाद वह पानी झांसी को पीने के लिये दिया

जाता है। मैं गया था मैंने देखा बहुत सारा पानी वहां बबीना से शुद्धीकरण के माध्यम से अशुद्ध पानी तालाब में गिरता है वह कम से कम 30-40 फुट ऊपर जल निगम का बना वह है और वह तालाब 30-40 फुट नीचे है। वह पानी इतनी तेजी से गिरता है अगर वहां पर एक टर्बाइन लगा दी जाय वहां 12 महीने पानी गिरता है और वह तालाब में जाता है। तालाब के माध्यम से नाले के वहां से वह पानी नदी में चला जाता है। मैंने कई बार प्रश्नों के माध्यम से यह सवाल उठाया था कि उस तालाब से अगर वह पानी जा रहा है। अगर उस पानी को हम बबीना ब्लाक में छोटी सी माइनर दे दें तो बबीना में जो असिंचित पूरा ब्लाक है उसमें कम से कम 20-30 गांवों को हम 24 घण्टे पानी दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अगर इन स्रोतों के माध्यम से आप बिजली उत्पादन कर लें तो कम पैसे में कम लागत में, बिना पानी के हमें एक्स्ट्रा पानी लिये बिना भी हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं एक ग्रेड की और माननीय अध्यक्ष जी मेरा एक और अनुरोध है कि पारीछा से बिजली पनकी लाई जाती हैं पनकी से फिर झांसी भेजी जाती है। तो यह 300 किमी0 का जो रन है इसमें यह जो लाइन लॉस की समस्या आती है कि जितनी झांसी को, हमारे बुन्देलखण्ड को बिजली अगर आप दे रहे हैं तो वह बिजली क्यों न हम पारीछा से ही वहीं उतनी कट कर लें जितनी हमें पनकी ले जाना है उतनी पनकी ले जायें लेकिन पनकी से जो बिजली वापिस हम फिर झांसी को ले आते हैं तो जो लाइन लॉस 300 किमी0 में हो रहा है। वह हमारा बचेगा सरकार का नुकसान भी बचेगा। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पारीक्षा में जो बिजली उत्पादन हो रहा है माता टीला में जो बिजली उत्पादन हो रहा है उस बिजली को वही दे दिया जाय न कि पनकी लाकर फिर पनकी से वापस ले जाया जाय। इन चार जगहों पर टर्बामाइन लगाकर बिजली का उत्पादन करेंगे तो जो सरकार का भी पैसा बचेगा और सरकार की जो बिजली की किल्लत है वह दूर होगी और बुन्देलखण्ड में अगर 24 घण्टे बिजली मिल जायेगी तो हमारे बुन्देलखण्ड में जो उद्योग नहीं है, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। हमारे बुन्देलखण्ड के जो लोग पलायन करते हैं वह पलायन रूकेगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन पर विचार करें और विचार करके अनको लगवाने का काम करें।

*श्री फेरन लाल-

माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि हमारी विधान सभा क्षेत्र भी बुन्देलखण्ड से ही है और बिजली की समस्या बड़ी गम्भीर है। हमारा क्षेत्र 90 प्रतिशत कृषि आधारित क्षेत्र है और सिंचाई के समय तो किसानों के लिये समस्या होती है कि मोटर ही नहीं चलती। 3 हार्स पावर की मोटर नहीं चलती है और डीजल के रेट इतने ज्यादा हैं कि हमारी सरकार के बस में नहीं है रेट कम करना लेकिन बिजली तो हम दे ही सकते हैं और माननीय अध्यक्ष जी माना कि अभी बिजली की समस्या है लेकिन मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि ललितपुर में ही पावर प्लान्ट जो बजाज की तरफ से लगाया जा रहा है उसमें 2150 मेगावाट बिजली बनेगी यह एक साल के करीब में चालू हो जायेगा तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां अलग से फीडर लगा करके कम से कम ललितपुर को किसानों के लिये 4 महीने के लिये जब सिंचाई का टाइम होता है 24 घण्टे और पर्याप्त बिजली, जिसमें मोटर उठने की समस्या न हो, यह अगर सरकार कर दे तो बड़ी कृपा होगी क्योंकि हमारे क्षेत्र में कोई उद्योग

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है। न कोई उद्योग है न कोई व्यापार है हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है। यहां खनिज सम्पदा बहुत पाई जाती है जो खनिज के ठेकेदार, बाहर के लोग आते हैं काम करने वाले बाहर के लोग आते हैं वह वहां से पैसा कमाकर ले जाते हैं लेकिन जो कृषि योग्य भूमि है उसको ऊसर बनाकर चले जाते हैं। तो जो हमारा बुन्देलखण्ड और ललितपुर का किसान है वह बेरोजगार होता जा रहा है। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी हमारे ललितपुर महरौनी विधान सभा क्षेत्र में पचास गांव में बिजली की लाइन गई हुई है वह इतनी जर्जर है कि आए दिन घटनायें होती रहती हैं अभी पांच-छः दिन पहले प्रभू प्रजापति की तार टूटने से करंट लगने से मौत हो गई। अभी आज ही सुबह फोन आया है कि एक व्यक्ति की महरौनी में तार के करंट लगने से मौत हो गई। तो मेरा आपसे अनुरोध है सरकार से, आपके माध्यम से, कि जो टूटी हुई लाइनें हैं उनकी रिपेयरिंग करा दी जाये जिससे जो पशु और जनहानि होती है वह रोकी जा सके इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने अपने संकल्प के माध्यम से बुन्देलखण्ड में जो बिजली की समस्या का उल्लेख किया है और समस्या के उल्लेख करने के साथ-साथ जो मूल्यवान सुझाव दिये हैं वह स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से इसका तकनीकी परीक्षण कराया जाना चाहिए। जो सुझाव आपने दिया है कि हमको पानी भी दूसरी जगह से लाने की आवश्यकता नहीं है प्लेस टू प्लेस जो पानी की गति से टरवाइन चलते हैं वहां अगर इनकी व्यवस्था कर दी जाये और विद्युत का उत्पादन बढ़ जाये तो मुख्य समस्या जो बिजली की प्रदेश में है वह उत्पादन की कमी के कारण ही है अगर बिजली हमारे पास पूरी तौर पर होती तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में किसी जगह पर कम और किसी जगह पर ज्यादा, शहरों को ज्यादा और गांव को कम, यहां सबेरे, यहां शाम को, कहीं दो शिफ्ट में, कहीं एक शिफ्ट में करने की आवश्यकता ही नहीं थी जो मूल समस्या है वह बिजली की उपलब्धता की है उपलब्धता न होने की दशा में ही मंहगी बिजली बाहर से खरीदी और मंहगी खरीदिये और सस्ती दीजिये फिर बिजली का घाटा, सारी समस्याओं की जो जड़ है वह बिजली की अनुपलब्धता और उसमें हमारे उत्पादन करने की सीमायें कि कितना उत्पादन हम कर पायेंगे, अब जो स्थिति है उत्तरांचल अलग होने के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर है, हाइडिल को चलाने के लिए न हमारे पास नदियों का प्रवाह रहा न पहाड़ रहे, इसलिए जो सस्ती बिजली हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक से मिल सकती थी वह हमारी स्थिति नहीं है। मैदानी हिस्सा है पूरा का पूरा और इस मैदानी हिस्सा होने के कारण थर्मल पावर के अलावा और न्यूक्लीयर पावर जिसके लिए हमने कोशिश की थी और पिछली बार जिसके लिए हमने समर्थन दिया था कांग्रेस सरकार को, न्यूक्लीयर पावर प्लान्ट भी उत्तर प्रदेश में लगाये जा सकें न्यूक्लीयर पावर प्लान्ट से बिजली मिल सके। दूसरी बार गैस पर आधारित परियोजना के लिए जैसे पिछली बार दादरी में लगाने की कोशिश हुई थी मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता कि किन कारणों से, किन लोगों ने साजिश करके उसको दादरी में नहीं लगने दिया और न लगने के कारण आज 6 हजार मेगावाट बिजली हमको प्रदेश में अगर मिल रही होती तो मैं समझता हूं आज बिजली की जितनी डिमाण्ड आती है चाहे वह विपक्ष का कोई सदस्य हो चाहे सत्तापक्ष के लोग कहें कि हमारे क्षेत्र में बिजली दे दी जाये एक बार में क्यों नहीं मिलती 24 घंटे बिजली दी जाये सिंचाई के लिए दी जाये, उद्योग के लिए दी जाये इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अगर हमारे पास बिजली भरपूर

होती हो उसके वितरण को लेकर के इतनी समस्या नहीं आती। सारी समस्या इसलिए है कि बिजली है कम इसलिए वितरण में कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, शहर में इतने घंटे, गांव में इतने घंटे, तहसीलों पर अलग फीडर बनाने की बात हम कर रहे थे अलग सब स्टेशन और फीडर बनाने की बात कर रहे हैं जो इसको ठीक करने के लिए इतनी योजनायें बनाने की आवश्यकता पड़ रही है वह मात्र इसलिए पड़ रही है कि उत्पादन जितना हमारा है डिमाण्ड उससे कहीं ज्यादा है और उसको पूरा करने के लिए कई तरह के तालमेल की आवश्यकता पड़ेगी उसमें जो आपका सुझाव है और इसको हम हल्के में इसलिए नहीं ले सकते हैं कि बूंद-बूंद से घड़ा भरता है अगर चार मेगावाट, दस मेगावाट, बीस मेगावाट, तीस मेगावाट छोटी-छोटी प्रोडक्शन यूनिट बनाकर भी अगर हम बिजली ले सकते हैं तो जितना भी बढ़े रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था-

एक सूत भी कात सुहागन, तो भी नहीं अकाज,
शायद यही छुपा दे तुम्हारे किसी रोम की लाज,

तो एक सूत कातने से भी, लोगों ने कहा है कि एक सूत भी कात सको तो कातो, तो उसमें अगर चार मेगावाट, दस मेगावाट, बीस मेगावाट का भी उत्पादन अगर हम कर सके उसका प्रापर डिस्ट्रीक्यूशन कर सकें तो भी काफी राहत हो जायेगी यह अच्छा सुझाव है। यह अच्छा सुझाव है, आगे चल करके ऐसी व्यवस्था हो जाये कि छोटी-छोटी यूनिट्स लगें और उन शहरों को उस छोटी यूनिट से बिजली पूरी हो जाये तो हमको लम्बे तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर, ट्रान्समिशन लाइन पर निर्भर नहीं होना पड़े और उनकी लागत कम से कम आये। सुझाव अच्छा है। लेकिन अध्यक्ष जी, व्यावहारिक धरातल पर इसका जो तकनीकी पक्ष है, उसका परीक्षण किये बिना कोई बात नहीं कही जा सकती है कि तकनीकी तौर पर कितना सम्भव है। हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं तो तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, आप भी नहीं हैं और उनका बिना परीक्षण किये और उसकी व्यावहारिकता को समझे बिना, उसकी कास्ट एफिसियंसी को समझे बिना, हम आगे उसमें नहीं चल सकते हैं। लेकिन आपका सुझाव बहुत अच्छा है और आपके सुझाव पर सरकार बहुत गम्भीरता से गौर करेगी। आपने एक बात कही है कि बुन्देलखण्ड का अलग ग्रिड बना दिया जाये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक सरकार है, जिसने चार गुना से अधिक बुन्देलखण्ड की निधि में एक बार में बढ़ोत्तरी करने का काम किया है, एक बार में, धीरे-धीरे नहीं और बुन्देलखण्ड का विकास कैसे हो, यह इस सरकार की प्राथमिकता है, तमाम योजनाओं के माध्यम से, कैसे लोगों को राहत मिल सके, यह हमारा प्रयास है। अगर आप इस रोग में फंस गये जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग धोखे में कहते हैं कि हम देते हैं। मान्यवर, न हम देते हैं, न कोई देता है, यह ठीक बात है कि आप कहीं से प्रतिनिधित्व करते हैं और हम कहीं से करते हैं लेकिन हम सब लोग इस प्रदेश में हैं इसलिए बाहर की बात नहीं कह सकते। अगर यह कि नोयडा में उद्योग लगा है तो उसका पूरा फायदा नोएडा को मिल जायेगा गाजियाबाद में लगा है तो उसका फायदा गाजियाबाद के लोगों को मिल जाये और बुन्देलखण्ड को उसका फायदा न मिले, यह बात जिस दिन होना शुरू होगी तो यह बहुत घातक बात होगी। इसलिए इस नारे के खिलाफ चलिए। जो जहां पैदा होता है, जो जहां से आता हो, आवश्यकता यह है कि क्षमता भर उसको अधिक से अधिक उत्पन्न करे और वितरण ऐसा हो कि जिसकी जहां आवश्यकता हो, उसको वहां पहुंचाया जाये। अगर हमारे यहां ज्यादा अन्न होता है और आपके यहां कम है तो अन्न वहां पहुंचाया जाये।

कल की तारीख में अगर यह होने लग जाये कि इस उद्योग में यह पैदा होता है, यहीं रुक जाये, तो दूसरी जगह नहीं जायेगा तो क्या हालत होगी ? इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी बात सही नहीं है। आपने जिस भावना के साथ यह बात कही है, उस भावना का सम्मान, लेकिन आपकी यह बात अनुचित है, यह मैं कहना चाहता हूं। जब हम पिछड़े इलाके के लोग, पूर्वांचल के लिए, बुन्देलखण्ड के लोग किसी खास बात को लेकर अपने को अलग-अलग बांटने लगेंगे तो इससे हमारा लाभ होने वाला नहीं है। यह बात आपकी ठीक है कि बुन्देलखण्ड के किसानों को पर्याप्त बिजली दी जाये, मैं इस राय का हूं। यह भी है कि हमारे जो संसाधन हैं, जिनका हम समुचित उपयोग कर सकते हैं, उत्पादन किया जाये, सरकार इससे सहमत है। लेकिन आपका जो संकल्प है, यह मुनासिब नहीं है इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार स्वयं इस बात पर सचेष्ठ है कि अधिक से अधिक बिजली दी जाये, बिजली की वितरण व्यवस्था को भी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है, बिजली खरीदी भी जा रही है, उत्पादन बढ़ाने पर लगातार चेष्टा हो रही है। अध्यक्ष जी, हम राजनीतिक भेदभाव नहीं करते हैं, हम इसका उल्लेख करना चाहते हैं। आमतौर पर यह रहा है कि एक सरकार ने शुरू किया, दूसरी सरकार ने छोड़ दिया, उस सरकार ने चालू किया, इस सरकार ने बन्द किया। मान्यवर, पहली बार ऐसा हुआ कि जो 9 एमओयू कु0 मायावती जी की सरकार ने साइन किया था, प्रदेश में विद्युत उत्पादन के लिए और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो सभी 9 एमओयू की तिथि बढ़ा दी गयी। एक बार बढ़ा दी गयी, दो बार बढ़ा दी गयी और हम उन एमओयू की तिथि को फिर से बढ़ाने को तैयार हैं कि कोई तो बिजली उत्पादन के प्लाण्ट लगाये। हम यह नहीं करते कि यह आपने किया था, यह हमने किया था या उसने किया था और उसी के अन्तर्गत ललितपुर का उत्पादन जल्दी शुरू हो जायेगा, बिना किसी भेदभाव के। मा0 असीजा साहब यहां बैठे हैं, यह लोग क्या प्रयास करेंगे, कोल ब्लाक के आवंटन में, लिग्नाइट में, उसके लिए ईंधन कैसे मिल सके, सब लोग अपने-अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकेंगे, सभी लोगों को सम्यक रूप से प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ललितपुर का उत्पादन शुरू हो जाने के बाद प्रदेश की बिजली समस्या को निजात मिलेगी, बुन्देलखण्ड को भी मिलेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप अपना संकल्प वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संकल्प वापस लेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

अध्यक्ष जी, मेरा मा0 मंत्री जी से अनुरोध है, जो झांसी से बिजली पनकी आती है तो इतनी लम्बी लाइन की वजह से जो लाइन लास होता है पनकी से हमें जितनी बिजली मिल रही है उतनी हमें वहीं से दे दें। तो मा0 अध्यक्ष जी, जो लाइन लास हो रहा है वह तो नहीं होगा। उससे तो फायदा सरकार को भी होगा और हमारे क्षेत्र को भी होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना संकल्प वापस लेंगे।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

चलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

चलने दीजिए, क्या, अब उस पर मतदान होगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

आपने जितनी समस्याओं का उल्लेख किया उसका संज्ञान ले लिया। आपने जितने अच्छे सुझाव दिये उसकी सराहना कर दी। बुन्देलखण्ड के योगदान की बात कर दी। बुन्देलखण्ड निधि को चार गुना बढ़ाने की बात कर दी और क्या चाहिए और जो आपने कहा आपका संकल्प गलत है। आप अपने संकल्प को दोबारा पढ़ लीजिए। इसको वापस लीजिए। क्योंकि अगर इसको वापस नहीं लेंगे तो जो कुछ भी होगा लेकिन यह बात अनुचित होगी। आप अपने संकल्प को वापस ले लें यह मेरा अनुरोध है।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

अगर आप उन इकाइयों को मौके पर जाकर देख लें मैं संकल्प वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि मद संख्या-20 का संकल्प मा0 श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत जी वापस लें, क्या इसकी अनुमति दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सहमत। यह संकल्प वापस हुआ।

[01.41 बजे] नियम-301 की भांति नियम-51 में भी अनुपस्थित सदस्यों के स्थान पर उपस्थित सदस्यों की अस्वीकृत सूचनाएं लिये जाने का अनुरोध

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने एक व्यवस्था दी कि जो मा0 सदस्य नियम-51 की सूचना देने के बाद गैरहाजिर रहेंगे उनकी सूचना चयन नहीं की जायेगी। मान्यवर, यह उन लोगों के साथ भी वह लोग नाइंसाफी करेंगे। एक तो सूचना देकर चयन हो जायेगी, वक्तव्य, केवल वक्तव्य, ध्यानाकर्षण तो उनका हो जायेगा। तो उसमें जो आपकी सीमा 10-11 की निर्धारित है उसमें वह लोग आ जायेंगे और फिर गैरहाजिर हो जायेंगे तो उनके स्थान पर मेरा सुझाव यह है कि जो लोग कम से कम उपस्थित रहें उन पर विचार कर लें। मान्यवर, वह लोग देकर चले जाते हैं तो हम लोगों का अधिकार मारा जाता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पिछले दो हफ्ते से एक सूचना मैं दिनांक 19 जून से दे रहा हूं। वह सूचना आज तक नहीं आ पायी है। वह टाइप करने वाला भी टाइप करते-करते थक गया। वह कहता है कि अगर तुम्हारी सूचना नहीं ली जाती है तो तुम डालते क्यों हो।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमावली पढ़ेगे तो उसमें केवल एक नियम-51 लेने का प्राविधान है। लेकिन पहले 05 लिया जाता था। मैंने बढ़ाकर 10 कर दिया। आपका कहना सही है। मैं खुद बहुत दुखी हूं कि बहुत से सदस्य टेलीफोन करते हैं। मेरे चैम्बर में जाते हैं और कहते हैं कि मेरी सूचना ले ली जाये। उनके कहने पर तो नहीं लेता हूं विषय को देखकर लेता हूं। लेकिन वह यहां अनुपस्थित रहते हैं और न उसका उत्तर सुनने के लिए रहते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जैसे नियम-301 में लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात समझ गया। हम आज मान लेते हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आज नहीं अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि जो खन्ना साहब ने कहा है। आपकी जो निश्चित संख्या है उतनी ही लें लेकिन जो अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर अगले वाले को ले लें।

श्री अध्यक्ष-

यह आपके मा0 मेहरोत्रा जी हैं यह आपके सम्मानित सदस्य है। यह हमको टेलीफोन किये कि यह हमारा 301 ले लीजिएगा और मैंने ले लिया तो मैंने नाम बुलाया तो यह थे ही नहीं। कई बार इनकी सूचना लेता हूं यह नहीं रहते हैं तो बताओ कब तक लेते रहे और आपने कारण दिया है कि 12.20 तक सवाल चलता यह जानकर मैं नहीं आ पाया।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मैं समय से आ गया था। 12.20 तक प्रश्नकाल होता है। आप प्रश्नकाल के बाद नियम-301 लेते है। मैं 12 बजे आ गया था। उससे पहले आपने 301 ले लिया और हम विधान सभा में ही थे, हम किसी दूसरे काम में थे। हमारा प्रयास था कि हम प्रश्नकाल के दौरान आ जायेंगे। हम प्रश्नकाल समाप्त होने से पहले 12 बजे तक आ गये थे लेकिन आपने उससे पहले मेरी सूचना को ले लिया था।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा है यह एजेण्डा होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न कम है तो पहले खत्म हो गया तो उसके बाद वाला एजेण्डा ले लिया जाता है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल का एजेण्डा कम प्रश्नकाल समय से पहले समाप्त हो जायेगा। यह बात हम जान नहीं पाये थे। आगे से ध्यान रखूंगा। मेरी सूचना स्वीकार कर लें।

माननीय अध्यक्ष जी मैं सदन में हमेशा रहा हूं आज ऐसा हो गया आगे से ऐसी बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

यह बात आप कई बार कह चुके हैं और कई बार मैंने आपका लिया है, अब आप वायदा करिये कि जब आप देंगे तो आप असेम्बली में बैठेंगे।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, हम वायदा कर रहे हैं कि जब भी हम सूचना देंगे, असेम्बली में उपस्थित रहेंगे, पूरे समय रहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 04-07-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 61 सूचनायें प्राप्त हुईं :-

पहली सूचना श्री मित्रसेन यादव की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

ऐसा है जब आप लोग विषय दीजिए तो असेम्बली में बैठा कीजिए, आप अपनी सूचना देकर रह जाते हैं और उससे समय का नुकसान होता है, उसकी जगह पर दूसरे माननीय सदस्यों की सूचना ले ली जाय। अच्छा आप पहली बार, दो बार देते हैं, नहीं रहते हैं, तो जो सदस्य सूचना दिये हुए हैं, वह वंचित हो जाते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए।

दूसरी सूचना श्री संतराम कुशवाहा की जनपद जालौन के वि0स0 क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत सिकरी ग्राम में दिनांक 12-02-2014 को दलित मजदूर के हत्यारों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तीसरी सूचना श्रीमती पूजा पाल की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

चौथी सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद-रायबरेली की जिला पंचायत सदस्य, श्रीमती कमला देवी-डीह प्रथम द्वारा बिना किसी आदेश या निर्वाचन के बावजूद पद धारण किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवी सूचना श्री दीपक पटेल एडवोकेट की इलाहाबाद क्षेत्र पंचायत शंकरगढ़ में वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक स्वीकृत धन का ब्लाक प्रमुख एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा गबन किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ में लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत धनराशि के बाद भी सड़क का निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री सुदेश शर्मा की गाजियाबाद के ब्लाक भोजपुर से फरीदनगर हेतु हुए पिलखुवा तक मार्ग निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्रीमती माधुरी वर्मा की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

नौवीं सूचना डा0 मो0 अयूब की पीस पार्टी को कार्यालय हेतु श्रेणी-5 का आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप की है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

ग्यारहवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में विद्युत पोल एवं तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री फेरनलाल की जनपद ललितपुर के ग्राम नाराहट वाया जामनी बांध तक सड़क तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के ग्राम सभा सतपोखरी व मढ़ीया में पानी निकासी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

अनुपस्थित माननीय सदस्यों के स्थान पर श्री त्रिलोकी राम, श्री राजबली जैसल, श्री मो0 जासमीर अंसारी, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री रविदास मेहरोत्रा की सूचना को स्वीकार किया जाता है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

श्री अनिल कुमार, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री मनबोध, श्री अजय कुमार लल्लू, डा0 अरुण कुमार, श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन, श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री ममतेश शाक्य, श्री जगराम पासवान, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री रामसरन, श्री सतीश महाना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि, श्री संजय कपूर एवं श्री मदन चौहान, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री तसलीम अहमद, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री मनीष असीजा, श्री प्रदीप माथुर, श्री रघुनन्दन भदौरिया, श्री राम चन्द्र यादव, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीमती रजनी तिवारी, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री गजराज सिंह एवं श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना'।

जनपद सहारनपुर में चरका से सरणथल के बीच पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य...(व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री जगपाल सिंह जी।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सभी किसानों के बैंकों का कर्ज माफ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य...(व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री दलजीत सिंह जी

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

जनपद चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा अमोघपुर विकास खण्ड नियमताबाद में चकिया मेन रोड से पंचायत भवन अमोघपुर तक पिच रोड तक पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री बब्बन सिंह चौहान जी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत ग्रामसभा अमोधपुर...

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

[विकास खण्ड नियमताबाद में चकियां मेन रोड से पंचायत भवन अमोघपुर तक पिचरोड पूर्ण रूप से क्षति ग्रस्त हो गयी है। यह मार्ग कई ग्राम सभाओं को जोड़ने का प्रमुख मार्ग को बनवाने के लिये जिलाधिकारी चंदौली, मुख्य विकास अधिकारी चंदौली विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से भी अवगत कराया गया है परन्तु अभी तक मार्ग का आज तक बनवाने का कार्य नहीं किया गया है। जिससे आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चंदौली के पत्र संख्या-178/जि0पं0 च0/2014-15, दिनांक 23-06-2014 तथा पत्र दिनांक 03-07-2014 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत सड़क जिला पंचायत, चंदौली की नहीं है और न ही जिला पंचायत की किसी कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त सड़क लोक निर्माण विभाग, चन्दौली की है। अतः पंचायती राज विभाग से प्रश्नगत सड़क की मरम्मत/निर्माण नहीं होना है।]

जनपद-इलाहाबाद के जमुनापार के तहसील-करछना में किसानों की जमीन वरौनी-कानपुर के प्रयास द्वारा जमीन अर्जन कर समुचित मुआवजा न दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजबली जैसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री राजबली जैसल जी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद-इलाहाबाद के जमुनापार के तहसील.....।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[करछना के ग्रामों महेवा, कटका, कचरी, गढ़वा व देवरीकला के किसानों की जमीन बरौनी कानपुर के प्रयाग द्वारा जमीन का अधिअर्जन किया जा रहा है। जिसका मुआवजा एकाउन्ट पेई चेक से दिया जा रहा है। जो चेक निर्गत किया जा रहा है। वह 10 सी0सी0 एल0बी0के0पी0एल0 सुबेदारगंज, पीपल गांव, इलाहाबाद द्वारा मात्र 2.05 दो रुपये पांच पैसे, 6.15 छः रुपये तथा 11,04 ग्यारह रुपये चौदह पैसे का चेक दिया जा रहा है। जो बहुत ही दुर्भाग्य एवं अन्यायपूर्ण है।

जबकि इसी तरह से गेल द्वारा अन्य स्थानों पर पाइप लाइन ले जाने की जमीन का मुआवजा इससे कई गुना अधिक का भुगतान दिया जा रहा है। इस प्रकार किसानों के शोषण में समस्त ग्रामों के किसानों में जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उक्त किसानों को उचित मुआवजा देने एवं कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य-

प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) इलाहाबाद से प्राप्त आख्या दिनांक 25-6-2014 के अनुसार बरौनी-कानपुर पाइप लाइन हेतु यमुनापार तहसील करछना के जिन ग्रामों का उल्लेख है, उनमें से मात्र दो ग्रामों कटका व महेवा का ही अभिनिर्णय घोषित कर प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की गयी है जो निम्नवत् हैः-

(1) पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 के प्राविधानों के अनुसार भू-स्वामियों को उक्त अधिनियम की धारा-3(1) के अधीन जारी अधिसूचना की तारीख को उस भूमि के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर प्रतिकर दिये जाने की व्यवस्था है।

(2) बाजार मूल्य का निर्धारण नियमानुसार पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकर का अर्जन) अधिनियम 1962 के प्राविधानों के अनुसार किया गया है।

(3) जहां तक मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में प्रतिकर की धनराशि का रु0 2.05 रु0 6.15 व रु0 11.04 के प्रतिकर भुगतान का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि यह भू-स्वामी ग्राम महेवा के है। इनका प्रभावित गाटा 142/2 से मात्र 0.0025 वर्गमीटर भू अर्जन से प्रभावित है जिसमें इनका हिस्सा 1/48 है। रु0 2.05 व 6.15 फसल की क्षतिपूर्ति तथा 11.04 भूमि का प्रतिकर है, जो इस ग्राम की निर्धारित दर रु0 21,19,560.00 प्रति हेक्टेयर के आधार पर 10 प्रतिशत आगणित है।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी मे कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

यह मद संख्या-28 स्थगित है।

जनपद-गोरखपुर के ग्राम सभा झगहा में चकबन्दी मे बरती जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी.....।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्यमंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना

[के विकास खण्ड-मलवां के अन्तर्गत बिन्दकी से जी0टी0 रोड मुरादीपुर तक, जी0टी0 रोड से नूरपुर होते हुए चन्दिका देवी के घाट के पुल तक तथा जोनिहा से अमौली रोड तक की सड़कों के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त नहीं होने से उक्त सड़कों के चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा सड़क निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु कई बार अनुरोध भी किया जा चुका है, परन्तु अभी तक शासन द्वारा शेष धनराशि अवमुकत नहीं हो सकी है।

अतः जनहित में इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से वक्तव्य/कार्यवाही की मांग करता हूं।

बिन्दकी से जी0टी0 रोड मुरादीपुर तक (बिन्दकी गुनीर मार्ग) (अन्य जिला मार्ग)-

इस मार्ग के 7.300 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु शासनादेश दिनांक 24-06-11 द्वारा रु0 785.58 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी, जिसके सापेक्ष अब तक रु0 742.50 लाख (वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 150.00 लाख का आवंटन निर्गत किया गया है) की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इस मार्ग के 6.00 कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0 स्तर तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जी0टी0 रोड से नूरपुर होते हुए चन्दिका देवी के घाट के पुल तक (जी0टी0 मार्ग के कि0मी0 53 से नूरपुर आश्रम होते हुये गंगा नदी पर नवनिर्मित बक्सर घाट पुल के अतिरिक्त पहुंच मार्ग)

वित्तीय वर्ष 2011-12 में इस मार्ग के 5.025 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं गंगा नदी पर नवनिर्मित सेतु के अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु रु0 1062.79 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत शासनादेश दिनांक 24-06-2010 द्वारा निर्गत की गई थी, जिसके सापेक्ष अब तक रु0 600.00 लाख (वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 50.00 लाख का आवंटन निर्गत किया गया है) की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। 2.025 कि0मी0 लम्बाई (नवनिर्माण) में जी0एस0बी0 एवं 2.00 कि0मी0 लम्बाई (चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण) में टाप कोट स्तर कार्य किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

जोनिहा से अमौली रोड तक (जहानाबाद से जोनिहा चौराहा तक मार्ग) (प्रमुख जिला मार्ग)-

वित्तीय वर्ष 2010-11 में इस मार्ग के 42.800 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु रु0 4230.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश दिनांक 17-8-2010 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसके सापेक्ष अब तक रु0 2932.24 लाख (वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु0 500.00 लाख का आवंटन निर्गत किया गया है) की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। मार्ग के 27.00 कि0मी0 लम्बाई में बी0एम0 स्तर का कार्य एवं 17.00 कि0मी0 लम्बाई में एस0डी0बी0सी0 स्तर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है।

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के अन्तर्गत बालपुर बाजार के पास टेढ़ी नदी पर पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बावन सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य...(व्ययगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री बावन सिंह जी।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)

मा0 सदस्य नहीं हैं, यह व्ययगत हुआ।

सिंचाई खण्ड कासगंज के अधिशासी अभियन्ता द्वारा विभिन्न कार्यों के धन की अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री ममतेश शाक्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य.....(व्ययगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री ममतेश शाक्य जी।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)।

मा0 सदस्य नहीं हैं, यह व्ययगत हुआ।

जनपद-हाथरस के अलीगढ़ आगरा रोड पर तालाब चौराहे स्थित रेलवे फाटक पर फ्लाई ओवर ब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदालाल चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य.... (व्ययगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री गेंदा लाल चौधरी जी।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)।

मा0 सदस्य नहीं हैं, यह व्ययगत हुआ।

जनपद-हापुड़ के कन्या विद्याधन से सम्बन्धित प्राप्त चेकों का भुगतान न होने के सम्बन्ध में श्री गजराज सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का केवल वक्तव्य..... (व्ययगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री गजराज सिंह जी।

(मा0 सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं अनुपस्थित रहने पर)।

मा0 सदस्य नहीं हैं यह व्ययगत हुआ।

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री बब्बन सिंह चौहान जी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद-चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में सड़क का.....

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्यमंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[मार्ग तक सड़क पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। केवल मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग पी0डब्लू0डी0 एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 को पत्र के माध्यम से भी अवगत कराया जा चुका है एवं विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से पूछा जा चुका है। जिसका जवाब अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। यह मार्ग कई ग्राम सभाओं को जोड़ने का एक प्रमुख मार्ग है। मार्ग खराब होने से आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। जिससे क्षेत्रीय जनता में जनाक्रोश प्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रश्नगत प्रकरण में 02 ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं जिनकी स्थिति निम्नवत है:-

(1) **गंगानहर पुलिया से पिच रोड राधाकृष्ण मंदिर मार्ग का नाम सिंघीताली जिवनाथपुर:-** इस ग्रामीण श्रेणी के मार्ग की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(2) **गंगानहर से हिन्दवारी बस्ती होते हुए जिवनाथपुर तक:-** इस ग्रामीण श्रेणी के मार्ग (कुल लम्बाई 4.00 कि0मी0) में से 3.00 कि0मी0 के मार्ग पर सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण के योग्य है तथा 1.00 कि0मी0 पर प्रथम एवं द्वितीय सतह लेपन की आवश्यकता है। यह कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के कतिपय ग्रामों एवं कस्बों में विद्युत की सुचारु रूप से व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश त्रिपाठी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

श्री राजेश त्रिपाठी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, जनपद-गोरखपुर की तहसील गोला के कतिपय .....।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण राज्यमंत्री (श्री शंखलाल मांझी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[अन्तर्गत सभी गांवों, कस्बों में विद्युत आपूर्ति की दशा अत्यन्त दयनीय है। इस तहसील के बड़हलगंज, गोला, डेरवा, चैनपुर, सेमरा, अहिरौली, मंझगावां, संकर देइया चीनी मिल, धुरियापार, पकड़ी विद्युत सब स्टेशनों पर बिजली की आपूर्ति काफी खराब है। इन स्थानों पर बिजली भोर में चार बजे आती है। इस बीच पूरी रात बच्चे, महिलायें, बूढ़े गर्मी से बिल-बिलाते रहते हैं। दिन में भी बिजली बड़े मुश्किल से दो या तीन घण्टे ही रह पाती है। जिससे ग्रामीणों, किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। जिस शिड्यूल से इन गांवों में बिजली दी जा रही है, उसका कोई भी लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के अनियमित शिड्यूल को लेकर किसानों, व्यापारियों, छात्रों एवं स्वयंसेवी सामाजिक संगठन लगातार बिजली आपूर्ति दिन में कम से कम 11 बजे से 5 बजे तक तथा रत्रि में कम से कम 10 बजे से 5 बजे तक आपूर्ति के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। इस आन्दोलन को लेकर जनता में भारी आक्रोश है।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इस संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद-गोरखपुर के तहसील-गोला अन्तर्गत बड़हलगंज, गोला, डेरवा, चैनपुर, सेमरा, अहिरौली, मंझगावां, संकर देइया चीनी मिल, धुरियापार, पकड़ी विद्युत सब स्टेशनों पर बिजली की आपूर्ति का शिड्यूल प्रातः 04 बजे से 09 बजे तक एवं अपराह्न 13 बजे से सायंकाल 18 बजे तक, कुल 10 घण्टे का निर्धारित है। क्षेत्र को इसी कार्यक्रम के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत की मांग में अत्याधिक बढ़ोत्तरी एवं उपलब्धता में कमी के कारण राष्ट्रीय ग्रिड की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कभी-कभी आकस्मिक कटौती करनी पड़ जाती है। स्थिति सामान्य होने पर आपूर्ति पूर्व की भांति कर दी जाती है।]

वक्तव्य के समय अनुपस्थित सदस्यों की आगे सूचना न लिये जाने का अनुरोध

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, उठने के पहले मेरा एक और अनुरोध है कि जो मा0 सदस्य जवाब सुनने के लिए भी उपस्थित नहीं हैं उनकी अगली नोटिस न ली जाए। आप चाहें तो सदन की राय ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इनके ऊपर जुर्माना क्यों न कर दिया जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, जुर्माना मत कीजिए। सबसे बड़ा जुर्माना यह है कि जो स्वयं देकर के और इन सारी चीजों का टाइम वेस्ट करते हैं इस सारे प्रोसेस का उनके साथ न्यूनतम इतना कर दीजिए कि उनकी अगली सूचना नियम-51 और 301 की न ली जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, सोमवार को पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 10 मिनट पर सोमवार दिनांक 07 जुलाई, 2014 के दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,

दिनांक 04 जुलाई, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अता0 प्र0सं0-3 का उत्तर पीछे पृष्ठ-25 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2014 के 3सरे शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री सुनील कुमार सिंह यादव, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-3 का उत्तर का संलग्नक।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान नया नाम निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालय का विवरण वित्तीय वर्ष 2011-12

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	लक्ष्य	पूर्ति	अवशेष
1	2	3	4	5	6
1	म्योरपुर	रनटोला	21	21	0
2	म्योरपुर	पिपरी	20	20	0
3	म्योरपुर	रणहोर	37	37	0
4	म्योरपुर	परनी	44	44	0
योगः			**122**	**122**	**0**
1	चोपन	महम	19	19	0
2	चोपन	भरहरी	180	180	0
3	चोपन	बिल्ली मारकुण्डी	168	168	0
4	चोपन	वर्दिया	150	150	0
5	चोपन	वटवघ	138	138	0
6	चोपन	टापू	39	39	0
7	चोपन	अदलगंज	52	52	0
योगः			**746**	**746**	**0**
1	रावर्ट्सगंज	रूदौली	45	45	0
2	रावर्ट्सगंज	बेलछ	127	127	0
योगः			**172**	**172**	**0**
महायोगः			**1040**	**1040**	**0**

जिला पंचायत राज अधिकारी,
सोनभद्र।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालय का विवरण

वित्तीय वर्ष 2012-13

क्र0 सं0	**विकास खण्ड का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**लक्ष्य**	**पूर्ति**	**अवशेष**
1	2	3	4	5	6
1	रावर्ट्सगंज	रजघन	226	226	0
2	रावर्ट्सगंज	बेलकम	337	337	0
योगः			**563**	**563**	**0**
1	चोपन	अगोरीखास	160	160	0
2	चोपन	घटिहटा	100	100	0
योगः			**260**	**260**	**0**
महायोगः			**823**	**823**	**0**

जिला पंचायत राज अधिकारी,
सोनभद्र।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालय का विवरण

वित्तीय वर्ष 2013-14

क्र0 सं0	**विकास खण्ड का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**लक्ष्य**	**पूर्ति**	**अवशेष**
1	2	3	4	5	6
1	रावर्ट्सगंज	मारकुण्डी	103	103	0
योगः			**103**	**103**	**0**
1	चोपन	कनहरा	120	88	32
2	चोपन	करगरा	96	76	20
योगः			**216**	**164**	**52**
महायोगः			**823**	**823**	**0**
1	म्योरपुर	रणहोर	107	71	36
2	म्योरपुर	डडिहरा	87	72	15
योगः			**194**	**143**	**51**
महायोगः			**513**	**410**	**103**

जिला पंचायत राज अधिकारी,
सोनभद्र।

पी0एस0यू0पी0-एल0 192 विधान सभा (339)-17-11-2014-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।